खण्ड–6, अंक–6
बुधवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(12 जून, 2002 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

234

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड 6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय सूची

234

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–33
राज्य में स्टाम्प पेपर की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33–34
बद्री, केदार मार्ग में यात्रा के दौरान शराब एवं मांस की बिक्री रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
राज्य में कुशल खिलाड़ियों को सम्मान देने हेतु राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना —	34
राज्य में अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
गंगा के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बाढ़ लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
प्राथमिक विद्यालयों को अपने गृह जनपद में स्थानान्तरण नीति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद चमोली के गैरसैंण के अन्तर्गत नागचुला खाल घोरियाल में पेयजल योजना का कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	35
जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)... ...	36
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	36–42
उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 (पारित)	42–52

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान :	
अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–1, विधान सभा विभाग, अनुदान संख्या–3, मंत्रिपरिषद् विभाग, अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–20, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग (स्वीकृत) ...	52–114
ऊधमसिंह नगर की ग्राम सभा गिधौर देवीपुर, आरता, विही, चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीर पीराडांया, पीलापानी जाने वाली सड़क तथा इससे संबंधित पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	114
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	115
विधान सभा मण्डप की लॉबी में हुए अग्निकाण्ड की जांच हेतु सर्वदलीय जांच समिति का गठन	115
ऊधमसिंह नगर में 2000 के0एल0सी0 की 1987 में स्वीकृत पेयजल योजना के संबंध में डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पेयजल मंत्री का वक्तव्य	115–116
पंजीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	116

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—श्री अनुसुया प्रसाद मैखुरी (डॉ0)
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश (डॉ0)
8—श्री उम्मेद सिंह माजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री किशोर उपाध्याय
11—श्री कैलाश शर्मा
12—श्री कौल दास
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोबिन्द लाल
17—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री चन्द्रशेखर
19—श्री जोत सिंह
20—श्री तसलीम अहमद
21—श्री तिलक राज बेहड़
22—श्री तेजपाल सिंह रावत
23—श्री दिनेश अग्रवाल
24—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25—श्री नव प्रभात
26—श्री नारायण पाल
27—श्री नारायण राम आर्य
28—श्री नारायण सिंह जंतवाल
29—काजी निजामुद्दीन
30—श्री प्रकाश पंत
31—कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
32—श्री प्रताप बिष्ट (डॉ0)
33—श्री प्रदीप टम्टा
34—श्री प्रीतम सिंह (चकराता)
35—श्री प्रीतम सिंह पंवार (यमुनोत्री)
36—श्री प्रेमानन्द महाजन
37—श्री फूल सिंह बिष्ट
38—श्री बलबीर सिंह नेगी
39—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
40—श्री बिशन सिंह चुफाल
41—श्री मदन कौशिक
42—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
45—श्री मातबर सिंह कण्डारी
46—श्री मालचन्द्र

47—श्री यशवीर सिंह (चौ0)

48—श्री योगम्बर सिंह

49—श्री रणजीत सिंह

50—श्री राम प्रसाद टम्टा

51—श्रीमती विजय बड़थ्वाल

52—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

53—श्री शूरवीर सिंह

54—श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल (डॉ0)

55—श्री शहजाद

56—श्री साधू राम

57—श्री सुबोध उनियाल

58—श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल

59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी

60—श्री सुरेश चंद्र

61—श्री हरक सिंह रावत (डॉ0)

62—श्री हरबंस कपूर

63—श्री हरभजन सिंह चीमा

64—श्री हरिदास

65—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल

66—श्री हीरा सिंह बिष्ट

67—श्री हेमेश खर्कवाल

68—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

69—श्री रसौल वैलेन्टाइन गार्डनर (नामित)

बुधवार, दिनांक 12 जून, 2002 ई0)
(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में परिसम्पत्तियों का बंटवारा

** 1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मा0 मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार बनने से अब तक उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश में किन–किन परिसम्पत्तियों का बंटवारा हो चुका है ?

परिसम्पत्तियों के बंटवारा न हो पाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में आस्तियों एवं दायित्वों के प्रभाजन का प्राविधान निर्धारित है। दोनों राज्यों द्वारा अनेक बार आपसी विचार–विमर्श कर अधिकतर प्रकरणों पर सहमति व्यक्त की गयी है।

जहां तक परिसम्पत्तियों के बंटवारे का प्रश्न है, अभी तक कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि0, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम तथा हिलट्रान लि0 के स्वामित्व उत्तरांचल को हस्तान्तरित हो चुके हैं। पावर कॉरपोरेशन की उत्तरांचल में स्थित परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण हो चुका है तथा दिनांक 9–11–01 से उत्तरांचल में स्थित जल विद्युत की परिसम्पत्तियों का भी हस्तान्तरण उत्तरांचल जल विद्युत निगम को हो चुका है। उत्तरांचल वन विकास निगम, वन चिकित्सालय ट्रस्ट हल्द्वानी, सहकारिता क्षेत्र की चारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों चीनी मिलें क्रमशः बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज एवं नादेही शुगर मिल तथा डोईवाला एवं किच्छा चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली, राही मोटल, हरिद्वार तथा पर्यटक आवास गृह, पीरान कलियर उत्तरांचल को हस्तान्तरित हो चुके हैं। गन्ना विकास संस्थान तथा गन्ना शोध केन्द्र काशीपुर के हस्तान्तरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है एवं कारगिल शहीद कोष का विभाजन हो चुका है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल मंडी परिषद् को मंडी विकास निधि की धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है।

विभिन्न अन्य मामलों में उ0 प्र0 के साथ सहमति नहीं हो पाने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं हो सके हैं। अभी तक भारत सरकार को उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में उत्तरांचल के अभ्यर्थियों को आरक्षण सुविधा का मामला संदर्भित है। आवश्यकतानुसार अन्य प्रकरण भी भारत सरकार को संदर्भित किये जायेंगे।

सरकार द्वारा इस दिशा में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल की सभी परिसम्पत्तियों की स्थिति हमको मिल गई है, इसमें सरकार का कोई प्रयास नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल के बाहर कौन–कौन सी परिसम्पत्तियां स्थित हैं, जिनका बंटवारा होना अभी शेष है ?

मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वे कौन–कौन सी परिसम्पत्तियां हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में आपस में सहमति नहीं बन पा रही है तथा तीसरा प्रश्न यह है कि हमारी देनदारी क्या है और हमारी मांगदारी क्या है ? अर्थात् क्या हमने उत्तर प्रदेश से लेना है और क्या देना है ? इस संबंध में उत्तरांचल सरकार क्या काम कर रही है ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि पुनर्गठन विधेयक में आय–व्ययक स्रोतों की जिम्मेवारी के बारे में बहुत विस्तार से कहा गया है। इस बारे में माननीय सदस्य को, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर जानकारी होगी। हमारे बहुत से साथी यहां पर बैठे हैं जो इस आंदोलन के अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इस विधेयक से आंदोलनकारी खुश नहीं हैं और मुझे नहीं लगता है इस विधेयक से हमें कोई लाभ मिला हो। मान्यवर, आपका प्रश्न भ्रामक है, आप किस सरकार की बात कर रहे हैं, जो सरकार 9 दिसम्बर, 2000 को गठित हुई थी या जो 2 मार्च, 2002 को गठित हुई (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, इन तीन महीनों में परिसम्पत्तियों के बंटवारे में क्या हुआ है, ये जानना चाहते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पिछले 16 महीनों में यहां पर भी उसी दल की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश में भी, उसी दल की सरकार थी। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, विगत तीन महीनों के अन्दर आपने क्या किया, ये जानना चाहता हूं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल से बात की........(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से बात की और राज्य सरकार से बात की।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारा स्पष्ट सवाल है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डॉ0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह उचित परम्परा नहीं है, अगर माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, अगर वह बोलने ही नहीं देंगे तो यह ठीक नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारा स्पष्ट प्रश्न है, अगर मुझे मालूम ही होता तो मैं प्रश्न क्यों पूछता। हमारा कहना है कि किन–किन विषयों पर सहमति नहीं मिल पा रही है, किन–किन परिसम्पत्तियों का बंटवारा हो चुका है, तीसरा बिन्दु है कि हमारी देनदारी और लेनदारी क्या है ? इसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया बिन्दुवार बता दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो कार्मिक से संबंधित मामले हैं उसमें से 38 विभागों के लगभग 2 हजार को हमने उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करने के लिए परामर्शी समिति को प्रस्ताव भेजा है उसमें 131 की सहमति प्राप्त हुई है, जो सिंचाई विभाग से संबंधित मामले हैं उसके बारे में 14–12–2001 तक (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हम तीन माह की स्थिति पूछ रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि सरकार बनने से अब तक।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार तो यह है वह तो अन्तरिम सरकार थी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहता हूं। परिसम्पत्तियों के बंटवारे का मामला बहुत गम्भीर मामला है। इसे हम सभी को मिलजुल कर हल करना होगा, चाहे वह सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों। यह मामला दोनों के लिए गम्भीर है पर केवल एक दूसरे की बातों का विरोध करने से काम चलने वाला नहीं है। रोडवेज जैसा निगम है, एक–एक बस सडकों पर खड़ी मिलती है, मैं तो बस से यात्रा करता रहता हूं। रोडवेज का बंटवारा नहीं हो पाया, निर्माण निगम है, जल निगम है, इनके बंटवारे का प्रश्न है जिसे माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने यहां पर उठाया है। प्रश्न पूछने और जवाब देने से इनका हल होने वाला नहीं है। इस प्रश्न को स्थगित करके इस पर कम से कम दो घंटे की चर्चा करवा दें ताकि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग भी अपनी बातों को यहां पर रख सकें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर मामला है। कोई भी मुख्यमंत्री बने। चाहे आप बनें या जो पहले थे। एकदम से परिसम्पत्तियों का निपटारा होना मुश्किल होता है। किन्तु मान्यवर, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर सही नहीं आ रहा है। सही उत्तर दिया जाय, इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर तीन महीने में नहीं हो पाया तो नहीं हुआ इस बात को सरकार स्वीकार कर ले तो अच्छा है। मान्यवर, मैं तो यह चाहूंगा कि परिसम्पत्तियों के बंटवारे में एक कमेटी गठित कर दी जाय। उस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी तथा विपक्ष के नेताओं को तथा अन्य दलों के नेताओं को उस कमेटी में शामिल कर लिया जाय ताकि कमेटी के माध्यम से दबाव बना सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जिस समय राज्यों के बंटवारे का प्रश्न सामने आया, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड का उस समय मैं लोक सभा सदस्य होने के नाते वहां विवाद में मैं निरन्तर रहा।

मान्यवर, लोक सभा सदस्य होने के कारण मैं विवाद के समय निरन्तर वहां उपस्थित रहा, उसके पहले भी मैंने परामर्श दिया था। मैंने तब भी यह आशंका जताई थी कि परिसम्पत्तियों को लेकर लम्बा विवाद हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस समय जहां तक उत्तरांचल का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, माननीय कण्डारी जी, बहुत ही बुद्धिमान और मंझे हुए विधायक हैं, उन्होंने अपना प्रश्न इस तरह से लिखा है कि उसमें पूर्व सरकार भी आ जाती है और आज की सरकार भी। उन्होंने प्रश्न पूछा–सरकार बनने से अब तक, यह तो कहना गुस्ताखी होगी कि सरकार पहले थी ही नहीं। वास्तविकता यह है कि पहले एक अन्तरिम सरकार थी और उसने बहुत जोरों से काम करने की कोशिश की। माननीय सदस्य का पूरा सवाल था कि सरकार बनने से अब तक उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश में किन–किन परिसम्पत्तियों का बंटवारा हो चुका है ? तो जैसा प्रश्न था, वैसा जवाब भी आ गया। इसमें दोनों सरकारें आ जाती हैं। जहां तक बंटवारा न होने के कारण हैं, उसके विषय में माननीय राज्य मंत्री जी ने उत्तर देने की कोशिश की है, स्पष्ट है कि इसमें दो हाथ से ताली बजनी है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मैं इस सदन और इस प्रदेश का सेवक होने के नाते किसी दूसरे प्रदेश की सरकार पर आरोपण नहीं करना चाहता। ऐसा करना हमारे राज्य के हित में नहीं होगा, परिसम्पत्तियों के बंटवारे के हित में नहीं होगा। यही कहा जायेगा कि आपने दो मिनट सब्र नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम यहां पर उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के पुराने संबंधों को देखते हुए कोई ऐसा लोक व्यवहार न करें, जिससे यह मामला पेचीदा हो जाय और भारत सरकार के लिए भी इस मामले को हल करना मुश्किल हो जाय। मैंने 3–4 बार कोशिश की है कि इस संबंध में माननीया मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश से बातचीत हो जाय और मेरी बातचीत हुई भी है। लेकिन पूरी बात नहीं हुई। अब उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, चाहे दिल्ली में हो या कहीं और। उत्तर प्रदेश में पहले यह स्थिति बनी थी कि कोई भी दल बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं था, बाद में जब बहुमत हो गया तो सरकार बन गयी। अब उनके ऊपर भी है कि हमारी समस्याओं को

हल करने के लिए समन्वय समिति की बैठक बुलाएं। हमारे पास उन सम्पत्तियों की पूरी लिस्ट है, जिनका बंटवारा होना है, इसमें विकल्पधारियों का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी माननीय ऐरी जी ने रोडवेज के सम्बन्ध में बताया कि हमारे यहां सवा हजार बसें उत्तर प्रदेश की चल रही हैं। अब हम चाहें तो सारी बसें जब्त तो नहीं कर सकते। इस बात के लिए उत्तर प्रदेश को राजी करना होगा कि जो हमारी बसें नहीं हैं लेकिन हमारे यहां चल रही हैं, उन्हें वापस कर लें।

मान्यवर, इसी तरह उद्योग विभाग की परिसम्पत्तियां हैं। आज भी कई मिलें हैं, सोयाबीन मिलें हैं, सहकारिता की हैं, सूत की 2–2 मिलें हैं। वहां अब भी उत्तर प्रदेश की परिसम्पत्तियां हैं, अब यह जाहिर है कि वे यहां उपस्थित हैं। "दैट इज व्हेयर इज" यह फार्मूला लागू होता है। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट जाय, भारत सरकार में जाय तो यह सदन के हित में नहीं होगा। यह जो संविधान की आत्मा है, उसके विरुद्ध है और यह सदन कभी नहीं चाहेगा कि उत्तरांचल राज्य की जो मर्यादाएं हैं उसमें यह मालूम पड़े कि यह झगड़ालू प्रदेश है और संविधान को न मानने वाला प्रदेश है। अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं हो रहा है, झारखण्ड बिहार के बहुत झगड़े हैं। वहां हमारे सम्मानित लालू जी जैसे लोग मौजूद हैं, वे भी मर्यादा निभा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें मर्यादा निभानी चाहिए, लेकिन यह परिसम्पत्तियों का मसला बहुत ही महत्व का है। हर रोज काम करने की कितनी बाधाएं आ रही हैं तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आप कहें तो पढ़ दें या इसकी कापियां वितरित करा दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यदि एक–एक कापी मिल जाय तो उचित होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह कहूंगा, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पीड़ा आपकी है और हमारी भी है तो मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और ठोस निर्णय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं और पूरी बातें आपके सामने रख चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, सबसे आसान काम है, भारत सरकार के सुपुर्द रख दिया जाय। नहीं तो बातचीत बन्द कर दें तो सारा मसला भारत सरकार के पंचनामें में है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करने की कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूं, क्योंकि बार–बार मुख्यमंत्री जी मिल नहीं सकते, बातचीत के लिए उचित माहौल नहीं होता। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से करना चाह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री जी बाहर की परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए अथवा पूरी परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए मंत्रियों की एक चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनाने पर विचार करेंगे या कर सकते हैं, ताकि सुविधा हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं बात को पहले ही कहने जा रहा था, वहां जो समानान्तर मंत्री हैं, उनसे बात करके, बातचीत हुई भी है, सिंचाई मंत्री, सिंचाई मंत्री से करें, सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री से करें। और विभागीय सचिव, मुख्य सचिव की तो 4 बार मेरे सामने हुई है। तो उनसे भी मैंने बात की है, उच्चाधिकारियों से हुई ताकि कुछ परिणाम निकले। यह प्रयास तो जारी रहेगा। अब 2 विषय तो भारत सरकार को भेज दिये गये हैं।

मान्यवर, एक मेडिकल छात्रों के संबंध में जो आदेश हुआ था, वह नहीं मान रहे हैं और दूसरा तराई बीज विकास निगम का मामला है। ये दोनों मामले भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। मान्यवर, अगर सदन की आज्ञा हो कि बिना कोई वार्ता किये सारी परिसम्पत्तियों का मामला भारत सरकार को भेज दिया जाय, भारत सरकार की बेंच पर बातचीत हो, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं। आप कृपया चर्चा जारी रखें। और आपका जो आग्रह है कि हमें इस विषय पर, उत्तरांचल को, उत्तर प्रदेश से अलग करके नहीं सोचना चाहिए, हम बहुत समय तक उत्तर प्रदेश का अंग रहे हैं। मान्यवर, हम भारत सरकार के पंचनामें में बहुत जल्दी नहीं जाना चाहते हैं। परिसम्पत्तियों के बंटवारे का जो मसला है, वह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में निहित है। इसमें कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से हमें इतनी लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मेरी भावना यह है और पूरे सदन की यह भावना है कि परिसम्पत्तियों के बंटवारे के विषय पर आपको क्या कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों का खुलासा होना चाहिए, जनता इसे जानना चाहती है, जनता आपको कठघरे में खड़ा कर रही है कि परिसम्पत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है ? आप जनता को बताएं कि हमने इतनी बैठकें की हैं, इतनी वार्ताएं हो चुकी और ये–ये प्रयास किये जा रहे हैं, इन–इन वजहों से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर परिचर्चा कराएं तो सारी बातें साफ हो जायेंगी। इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाये।

तारांकित प्रश्न

उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्याली सौड़ के टिहरी बांध के प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति

* 1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्याली सौड़ के टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के लिए कोई पुनर्वास नीति सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

जी नहीं।

टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित सभी पूर्ण डूब व आंशिक डूब क्षेत्र के लिए पूर्व से ही पुनर्वास नीति निर्धारित है, जो समस्त पूर्ण डूब क्षेत्र हेतु एक समान ही लागू की गयी है। वर्तमान पुनर्वास नीति दिनांक 09–12–1998 से संशोधनोपरान्त लागू है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस नीति की बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि दिनांक 09–12–1998 से संशोधनोपरान्त लागू है।

मान्यवर, उस नीति के हिसाब से टिहरी बांध से प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। मान्यवर, टिहरी देश की खुशहाली के लिए बनाया जा रहा है लेकिन टी0एच0डी0सी0 की गलत नीति के कारण हजारों परिवारों को बेरोजगार करने की साजिश की जा रही है और बेरोजगार किया गया है, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। क्या कारण है कि आज तक प्रभावित गांवों के लिए भूमि अधिनियम की धारा 6 लागू नहीं की गयी है ? बांध से प्रभावित होने वाले कुल कितने लोगों को भूमि की आवश्यकता है और अब तक कुल कितनी भूमि की व्यवस्था की गयी है ? जिन गांवों की उपजाऊ और सिंचित भूमि है और अब उनके पास केवल मकान ही सीमित रह गया है, उनकी आजीविका के लिए सरकार ने क्या किया है ? माननीय मंत्री जी ने 1998 की नीति के अनुसार कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए भूमि और साथ ही मकान बनाने की सामग्री दी जा रही है तो क्या वह सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध करायी जा रही है ? इस नीति में यह भी है कि प्रभावित होने वाले ग्रामीणों को टी0एच0डी0सी0 में नौकरी दी जायेगी और स्थानीय स्तर पर जो रोजगार उपलब्ध होंगे, उनमें स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, टिहरी बांध देश की खुशहाली के लिए बन रहा है, टिहरी बांध से प्रभावित पूर्ण डूब और आंशिक डूब के क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकार ने समय–समय पर प्रतिबद्धता जाहिर की है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने अलग–अलग समय पर अलग–अलग पैकेज दिये हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ ब्लॉक में एक गांव जोगियाणा पूर्ण डूब क्षेत्र में आता है और अन्य 15 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं। यदि भविष्य में उनको अधिक खतरा उत्पन्न होता है तो उसके लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक टीम वहां की जनता की प्रार्थना पर भेजी गयी है। यह वहां सर्वेक्षण करेगी कि क्या अन्य गांवों को तो खतरा नहीं हो सकता है। जिन अन्य गांवों को पूर्ण डूब क्षेत्र में लिए जाने की संस्तुति आयेगी, उनको लिया जायेगा। अभी तो हमारी प्राथमिकता टिहरी शहर को खाली कराने की है। खाली कराने के लिए हमारे पास भवन व भू–स्वामियों तथा विस्थापितों की संख्या 1185 है जिनको हमने प्लाट आवंटित किये हैं, जिन्हें भवन आवंटित किया है, उनमें से अनेक लोगों ने सरेन्डर भी कर दिया, वह दूसरी जगह बसना चाहते हैं, उनकी संख्या 581 है।

मान्यवर, शेष शहर में जो लोग विस्थापित होने हैं, उनकी संख्या 350 है। कुल मिलाकर 1766 लोगों में से अब 350 लोग वहां से विस्थापित होने हैं। मान्यवर, किरायेदारों को भी विस्थापन की सुविधा दी गई है, उनके 442 में से 207 विस्थापन हेतु शेष रह गये हैं।

मान्यवर, भवन स्वामी 384 थे जिनमें से 92 लोगों को विस्थापित करना शेष है। अर्थात कुल 2592 लोगों में से 649 लोगों को विस्थापित करना शेष रह गया है। मान्यवर, यह कार्य गतिमान है और उनको निकट भविष्य में शीघ्र ही विस्थापित कर दिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि 649 लोगों को विस्थापित किया जाना शेष है। मान्यवर, टिहरी में पानी की झील बन चुकी है, वहां के 3–4 नम्बर के गेट बन्द हो चुके हैं और जल–स्तर धीरे–धीरे बढ़ रहा है और मानसून के आते ही पानी शहर में होगा। तो उन परिवारों का क्या होगा जो विस्थापित होने बाकी हैं, यह स्पष्ट करें कि उनके जीवन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों के लिए पुनर्वास की जो नीति है, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी पुनर्वास की वही नीति होगी। मान्यवर, आपने बताया कि टिहरी शहर से किरायेदारों और दुकानदारों का विस्थापन किया गया, क्या ग्रामीण क्षेत्र के किरायेदारों के लिए भी उसी तरह की सुविधायें दी जायेंगी।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, वहां पर वास्तव में पानी धीरे–धीरे बढ़ रहा है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उनके प्रयास से वहां के भवन स्वामियों को विस्थापन के लिए अलग से पैकेज दिया गया।

मान्यवर, जो उन्होंने अलग से मांग की है कि हमें सीमाबद्ध भवनों का मूल्य नहीं दिया है, तो हमने नया पैकेज देकर प्लाट आवंटित किये। मान्यवर, इसमें 60 से 100 वर्ग की भूमि दी गई है, दो लाख 50 हजार रु0 अतिरिक्त। जिसको 100 वर्ग से लेकर 200 वर्ग तक प्लाट आवंटित किया था, उसको साढ़े तीन लाख रुपया अतिरिक्त दिया गया, जिनको 200 से 300 वर्ग मी0 दिया था, उन्हें 4.50 लाख रुपये दिये गये। इसके लिए 18 करोड़ रु0 हमारे पास पहुंच गया है। तीसरे पैकेज के लिए हमारे पास 36 करोड़ रु0 आया है, जो हम लोगों को दे रहे हैं, अभी तक 8 करोड़ 8250 रु0 हमने दिया है। प्रतिदिन करीब 10–12 लोग विस्थापित हो रहे हैं। मान्यवर, हम बहुत चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये प्रश्न उठाया। पुनर्वास होने वाले लोगों के लिए अब तक जो समिति बनायी गयी थी, उसमें टिहरी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष तथा वहां के नगर पंचायत के अध्यक्ष होते थे। अब जो समिति बनी है, उसमें हमारे दो मंत्रीगण तथा टिहरी, उत्तरकाशी के 5 विधायकगण तथा सरकारी सदस्य भी हैं। इस समिति का कार्य प्रगति पर है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश की खुशहाली के लिए टिहरी बांध बनाया जा रहा है, लेकिन रोजाना जब वहां के लोग आन्दोलन करते हैं। देहरादून में आकर धरना–प्रदर्शन करते हैं, तब ऐसा लगता है कहीं न कहीं, कोई न कोई दिक्कत जरूर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस बच्चे के लिए आज पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था न हो और कहीं रहने की व्यवस्था न हो तो उस बच्चे का भविष्य आगे क्या होगा, यह विचारणीय तथ्य है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज केन्द्र सरकार, जहां तक हमारी जानकारी है।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस स्तर पर क्या प्रयास हुए ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, अब तक हमको जो भूमि की आवश्यकता है, वह कम से कम पांच हजार एकड़ भूमि चाहिए। हमने पिछले एक वर्ष में जो भूमि अधिग्रहीत की है, वह 35 सौ एकड़ अर्थात तीन हजार तीन सौ पचास एकड़ भूमि हमने अभी तक विस्थापितों के लिए अधिग्रहीत कर ली है, बाकी डेढ़ हजार एकड़ भूमि की हमको आवश्यकता है, वह हमें निजी श्रोतों से लेनी पड़ेगी। अब तक हमने जो भूमि ली है, वह सरकारी भूमि अधिग्रहण की है। धारा 4 में जो मूल गांव स्थापित हैं, वह 109 गांव हैं जिनकी धारा 4 करना बाकी है। इसके पश्चात् धारा 6 प्रारम्भ होगी।

रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली पट्टी लस्या में भूकम्प से पड़ी दरार के सम्बन्ध में

*2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम डूमली, पट्टी लस्या के ऊपर विनाशकारी भूकम्प से चौड़ी दरार पड़ी हुई है ?

जिससे ग्रामवासियों के जीवन को अतिवृष्टि से गम्भीर खतरा हो सकता है ? यदि हां, क्या सरकार उक्त ग्राम के पुनर्वास हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

आपदा प्रबन्धन मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

जी हां।

प्रभावित परिवारों को ग्राम मखेत (डोमली) के ही सीमान्तर्गत काश्तकारों की नाप भूमि में विस्थापित/पुनर्वास किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुनर्वास का काम कब तक हो जायेगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 1999 में डूमली गांव के ऊपर दरारें पड़ गई, वहां कभी भी जान–माल की हानि हो सकती है, यह संवेदनशील मामला है। इसमें कब तक पुनर्वास की व्यवस्था कर लेंगे।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 1999 में जो विनाशकारी भूकम्प आया था, उससे ग्राम डूमली में दरारें पड़ने से 85 परिवार प्रभावित हुए थे और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि काश्तकारों की नाम भूमि में पुनर्वास किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भू–वैज्ञानिकों की रिपोर्ट शासन को प्राप्त होती है, तदनुसार उक्त गांव के पुनर्वास किये जाने पर सरकार विचार

करेगी। आपदा प्रबन्धन में बजट भाषण में उल्लेख किया था कि इसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो प्रदेश सरकार का अपना हिस्सा इस बजट में होता है, उस पर भी भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार ही प्रदेश सरकार को काम करना होता है। पुनर्वास के संबंध में प्रदेश सरकार के पास केन्द्र सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, इस संबंध में हमने भारत सरकार को लिखा, लेकिन जैसा मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि केन्द्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद शीघ्र इस गांव को पुनर्वासित किया जायेगा, जहां तक सवाल बरसात का है, इसमें सरकार जिला अधिकारी को निर्देश करेगी कि इस तरह का वहां कोई खतरा न हो।

मान्यवर उनके निवास की व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत हम जिलाधिकारियों को टैंट उपलब्ध करा देते हैं तथा उन्हें निर्देशित भी किया है कि आपातकालीन स्थितियों में यदि उन्हें अतिरिक्त टैंट की आवश्यकता महसूस होती है तो वह तत्काल सरकार को अवगत करायें, सरकार तुरन्त उसकी व्यवस्था करायेगी।

अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड तथा हज कमेटी बनाने के सम्बन्ध में

* 3–श्री प्रकाश पंत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड तथा हज कमेटी बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

जी हां।

हज कमेटी का गठन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–7–2001 द्वारा किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड के गठन हेतु भारत सरकार की अनुमति अपेक्षित है। भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होते ही वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा। अल्पसंख्यक आयोग के गठन की कार्यवाही मा0 विधान सभा के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के गठन का प्रस्ताव उत्तरांचल सरकार ने बना लिया, यदि हां तो यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास कब भेजा गया ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, वक्फ बोर्ड का गठन का प्रस्ताव भारत सरकार से अपेक्षित है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के लिए बना लिया गया है तो यह प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजा गया ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे छः माह हो चुके हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। छः माह या सात माह की बात गलत है। स्पष्ट तिथि होगी कोई, उसको बताएं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, छः माह पूर्व भारत सरकार को भेजा गया है, जिसे मान्यवर, इन्हीं की सरकार द्वारा भेजा गया। इस तथ्य को छुपाने का कोई औचित्य नहीं है। छः माह तो सरकार को गठित हुए भी नहीं हुए हैं तो हम इस तथ्य को कैसे छुपा सकते हैं ? लेकिन अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। आज अल्पसंख्यक आयोग विधेयक के रूप में आ रहा है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि सरकार अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी पर विचार कर रही है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि छः माह पूर्व वक्फ बोर्ड के गठन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अल्पसंख्यक आयोग और हज कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव, भारत सरकार के पास भेजा जाता है ? इसमें स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं हो सकता है क्या ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तो स्पष्ट है कि यही बनेगा।

काजी निजामुद्दीन–

अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भारत सरकार के पास अनुमति के लिए क्यों भेजा जाता है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियमावली आदि के संदर्भ में वह जाता है, वहां से अनुमति आती है। वक्फ बोर्ड सम्पत्तियों से संबंधित है और वक्फ बोर्ड की बहुत सम्पत्तियां ऐसी हैं जिन पर बंटवारे के बारे में विवाद है।

मान्यवर, वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए किया जाता है और जब तक बोर्ड का गठन न हो, तब तक प्रशासनिक स्तर पर यह देखा जाता है कि कहीं पर अवैध कब्जा न हो। हमारे यहां डी0एम0 को प्रशासक नियुक्त किया गया है। हमारे पुनर्गठन विधेयक में यह स्पष्ट है कि जब तक हमारे नियम अलग नहीं बनेंगे, उत्तर प्रदेश के नियमों को ही अपनाया जायेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने इस संबंध में नियम 56 में भी एक नोटिस दिया था, पता नहीं किस कारण से वह स्वीकार नहीं हुआ। मेरी जानकारी में है कि राजपुर रोड पर किशनपुरा में वक्फ बोर्ड की जमीन पर मंदिर और मदरसा है और उस भूमि पर कोई व्यक्ति जबरन कब्जा करना चाहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक हमारी नियमावली नहीं बनती, डी0एम0 ऐसे सारे प्रकरणों का समाधान करेंगे। डी0एम0 को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वक्फ बोर्ड का प्रपोजल भारत सरकार में भेजा जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को चिन्हित कर लिया गया है ?

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जब बोर्ड बन जायेगा, तब चिन्हीकरण का काम उसी के द्वारा किया जायेगा। अभी प्रशासक की जानकारी में सब कुछ है, किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जायेगा।

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, तब तक उत्तर प्रदेश के नियमों के अनुसार वक्फ बोर्ड की जमीनों की रक्षा की जा रही है। मान्यवर, अभी काजी निजामुद्दीन जी ने भी बताया और मेरी भी जानकारी में है कि ईदगाह, मस्जिदों, मदरसों, इमारती जायजादी सम्पत्ति पर आज नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे यहां वक्फ बोर्ड का न कोई चेयरमैन है और न ही कोई कमेटी है। पिछली सरकार ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। हमारी मांग है कि आज भी उसका प्रस्ताव होना चाहिए।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब तक वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, तब तक जो प्रशासक हमारे यहां नियुक्त हैं, वही इसको देखेंगे और यदि कोई कठिनाई उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच में आयेगी, तो केन्द्र सरकार पुनर्गठन विधेयक के अनुरूप हमारा सहयोग करेगी।

रुद्रप्रयाग में भूकम्प पीड़ितों को गृह अनुदान आवंटन के संबंध में

* 4–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में आये भूकम्प से प्रभावित जनपद रुद्रप्रयाग में कितने भूकम्प पीड़ितों को गृह अनुदान आवंटित किया गया है ?

क्या अभी भी पीड़ितों को अनुदान राशि आवंटित की जानी शेष है ?

यदि हां, तो कितने भूकम्प पीड़ितों को ? यदि नहीं तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

वर्ष 1999 में आये भूकम्प से प्रभावित जनपद रुद्रप्रयाग में 38766 भूकम्प पीड़ितों को गृह अनुदान वितरित किया गया है।

जी हां।

28366 भूकम्प पीड़ितों को गृह अनुदान वितरित किया जाना है।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, यह अनुदान राशि कब तक वितरित की जायेगी और इसमें जो कॉमर्शियल भवन होते हैं। चूंकि हमारे पहाड़ में सभी लोग गरीब होते हैं और अपनी आय के लिए दुकान बनाते हैं और उनसे आय होती है, क्या यह भी भूकम्प अनुदान राशि की श्रेणी में हैं ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्या जी को अवगत कराना चाहता हू कि जो कैटेगरी जी–1, जी–2, जी–3, जी–4 और जी–5, रुद्रप्रयाग जनपद में इस भूकम्प से क्षति हुई थी उसमें 09 करोड़ 28 लाख 18 हजार 73 रुपया वितरित किया जा चुका है तथा 07 करोड़ 31 लाख 75 हजार 27 रुपया वितरित किया जाना अवशेष है। मान्यवर, चूंकि इसमें कुछ मुख्यमंत्री राहत कोष से और शेष आपदा प्रबन्धन से यह राशि वितरित की जानी है, इस पर त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है जहां तक कॉमर्शियल भवनों को इसमें सम्मिलित और लाभान्वित करने का विषय है तो मैंने जैसा उल्लेख किया है, चाहे कॉमर्शियल भवन हो, या आवश्यक भवन हो, जी–5 में 25 हजार रुपये जो पूर्ण क्षतिग्रस्त हों, कॉमर्शियल हो या आवश्यक। जी–4 में 15 हजार रुपये, जी–3 में 7500 रुपये, जी–2 में 2000 रुपये और जी–1 में 800 रुपये की सहायता दी जाती है।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, शायद मंत्री जी को ठीक ढंग से जानकारी नहीं है। कॉमर्शियल भवन जो बिजनेस की दृष्टि से होते हैं। आवासीय भवनों को भी नहीं लिया गया है।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्या जी मेरी जानकारी को चुनौती दे रही हैं।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने जो संख्या बताई है। 1999 में भूकम्प आया था और उस समय जो हमारे साथी प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उनकी सरकार थी और श्री काशी सिंह ऐरी जो कि इस समय उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने स्वयं इस सदन में कहा था कि जब–जब प्रतिपक्ष की सरकार आती है, तब भूकम्प आता है।

मान्यवर, उस समय जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार मैंने आंकड़े दिये। जहां तक कॉमर्शियल भवन का सवाल है, भारत सरकार की योजना के तहत वे भवन इसमें सम्मिलित नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर आवासीय और कॉमर्शियल भवन एक ही में होते हैं। उसी में लोग रहते हैं और उसी में नीचे दुकानें बना दी जाती हैं। ऐसे भवनों को तो आवश्यक भवनों की श्रेणी में रखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैसे माननीय मंत्री जी ने पहले कहा था कि दोनों के लिए एक ही मानक है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को संकट में नहीं डालना चाहता हूं। मैं स्पेसिफिक जानकारी दे रहा हूं ग्राम खड़िया, जामो, रविगांव, फाटा लगभग समाप्त हो गये थे, इनको गृह अनुदान की राशि नहीं मिली थी, इनको कब तक राशि दे देंगे। मान्यवर, खानी गांव चारों तरफ से कट गया है, उसे बसाया जाना है। क्या उसको बसाने के लिए कोई व्यवस्था करायी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय भट्ट जी पहले आपदा प्रबन्धन मंत्री रह चुके हैं, और उनको जानकारी भी है। मैं माननीय भट्ट जी को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने स्वयं स्वीकार किया है, जिन गांवों का आपने उल्लेख किया है सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में 7 करोड़ 31 लाख 75 हजार 27 रुपये जी–1 से लेकर जी–5 तक में देना अवशेष है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। 65 करोड़ रुपया पिछला और इस समय का मिलाकर प्रदेश सरकार के पास है और इसमें मैंने त्वरित शब्द का प्रयोग किया है। मैंने शीघ्र भी नहीं कहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, इसमें बहुत जल्द ही, जो अवशेष राशि है उसे स्वीकृत कर दिया जायेगा, यह विश्वास मैं माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि 1998–2000 में मेरे क्षेत्र केदारनाथ में भूस्खलन हुआ। 1998 में 126 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और सन् 2000 में 26 लोगों की मौत हो गयी थी लेकिन अभी तक केवल 18 गांवों को पुनर्वासित किया गया है और 13 गांवों को पुनर्वासित किया जाना शेष है और

2000 में चार गांव डूब क्षेत्र में आ गये जिनके नाम धानी गांव, पाटा गांव, रवि गांव और खड़िया गांव। इनको पुनर्वासित किया जाना है तो इन गांवों के लोगों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जायेगा, क्या इसके लिए आपके पास कोई योजना है ? मैंने कल भी अपने भाषण में कहा था कि वो लोग 8 महीने तक इंतजार करते हैं और अब उनके मन में डर बन रहा है कि 4 महीने बरसात में वो कैसे रहेंगे, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया, वह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। चूंकि माननीय सदस्या ने जिज्ञासा व्यक्त की है और उनकी पीड़ा है इसलिए मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि इसके प्रति हमारी सरकार बड़ी गम्भीर है, पूरा सदन इन दैवीय आपदाओं के प्रति गम्भीर है, भूस्खलन के संबंध में ऊखीमठ में जो कार्यवाही की जा रही है या माननीय सदस्या इस संबंध में और कोई जानकारी चाहती हैं तो दूसरे नियम में इस सवाल को उठा लें। मैं निश्चित रूप से सदन के सम्मुख जानकारी उपलब्ध कराऊँगा और यदि वे मेरे कक्ष में आकर जानकारी चाहती हैं तो वह भी मैं उपलब्ध करा दूंगा।

देहरादून में सुसवा, रिस्पना व सौंग आदि नदी से भू–कटान के संबंध में

* 5–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में सुसवा, रिस्पना तथा सौंग नदी से होने वाली सम्भावित भू–कटान से बचाव के लिए सम्बन्धित विभागों से संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी ली जा चुकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भू–कटाव के दृष्टिकोण से जनपद देहरादून के कौन–कौन से क्षेत्र संवेदनशील माने गये हैं।

तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कोई योजना बनाई जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हां।

जनपद देहरादून की भू–कटाव के दृष्टिकोण से संवेदनशील माने गये क्षेत्रों की सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न संख्या–5 का संलग्नक

जनपद देहरादून की भू–कटाव के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची

1–रिस्पना नदी के किनारे का क्षेत्र :

अपर कण्डोली, आर्यनगर, नेहरू कॉलोनी, रिस्पना नगर, राजीव कॉलोनी, दीप नगर एवं सपेरा बस्ती।

2–सौंग नदी के किनारे का क्षेत्र :

केसरवाला, बडोवाला, डोईवाला पुल से नीचे धर्मचक तक, साहबनगर, गौहरी माफी, ठाकुरपुर, खड़क ग्राम खदरी एवं नेपाली फार्म।

3–आसन नदी से प्रभावित क्षेत्र :

बद्रीपुर, नयागांव, ईस्ट होप टाउन, कुंजा ग्रान्ट, धर्मावाला, आधूवाला।

4–बिन्दाल नदी पर कांवली रोड के ब्रिज से गांधी ग्राम तक का क्षेत्र :

गांधी ग्राम, पटेलनगर, निरंजनपुर, ब्राहमणवाला।

5–सुसवा नदी के किनारे का क्षेत्र :

मोरोवाला, रामगढ़, मौहम्मदपुर, बड़कली, झबरावाला, खैरी, कुड़कावाला, तैलीवाला।

6–रायपुर क्षेत्र की अति संवेदनशील बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र :

नालापानी, रायपुर में ओली नाला।

7–यमुना नदी से प्रभावित क्षेत्र :

ढकरानी, एनफील्डग्रान्ट, अम्बाड़ी, डुमेट।

8–चन्द्रभागा नदी से प्रभावित क्षेत्र :

आदर्शनगर (ऋषिकेश)।

9–मोट एवं कोट नदी से प्रभावित क्षेत्र :

ढलानी, सोरना, डोबरीगांव एवं लांघा।

10–गोयला नाला से प्रभावित क्षेत्र :

गढ़ी, मयचक, मल्लाफार्म, पुष्पाफार्म, गुलरानी, शाहपुर, भट्टोवाला, आशाप्लान्ट, खैरीखुर्द।

11–बंगाला नाला से प्रभावित क्षेत्र :

ग्राम ठाकुरपुर, भट्टीवाला, करपुरीफार्म, हरीपुरकलाँ, छिद्रवाला, महादेववाला, भोगपुर एवं चन्द्रशेखर।

12—गंगानदी से प्रभावित क्षेत्र :

त्रिवेणी घाट, आदि।

13—अन्य संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र :

फतेहपुर, बैरागीवाला, सहसपुर, शीशमबाड़ा, प्रतीतपुर, सभावाला, जाटोवाला, आसनपुर, तिपरपुर, शेरगढ़, वेस्ट हॉपटाउन, स्वनानदी, सीतलानदी, रांझावाला, भगवानपुर, शुघली, रामपुरकलॉं, शंकरपुर, तेलपुर, भाऊवाला।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अति संवेदनशील के कोई मानक भी हैं यदि हां, तो देहरादून में कोई अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके मापदण्ड क्या हैं, क्या कोई शासनादेश है या कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से है, इसे माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, नदियों के कटाव के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र वही माने जाते हैं जब कोई दैवीय आपदा होगी। जैसे बरसात के समय कटाव शुरू हो जाये, भू—स्खलन हो जाये तो वह क्षेत्र अति संवेदनशील माने जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

मान्यवर, क्या इसके लिए कोई कार्ययोजना बनाई जा रही है, यदि बनाई जा रही है तो कब तक लागू हो जायेगी।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी है।

टनकपुर को पूर्ण तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में

* 6—श्री हरबंस कपूर—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टनकपुर को पूर्ण तहसील बनाये जाने के विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 12—03—2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर टनकपुर को तहसील का दर्जा दिया जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में टनकपुर, तहसील निर्माण हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

पिथौरागढ़ में दैवी आपदा से कूटा, कन्याल, गराली आदि स्थानों के परिवारों का पुनर्वास के संबंध में

* 7–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में 09–08–2000 को दैवी आपदा से कूटा कन्याल, खेतार कन्याल, गराली, कौली–हुड़की क्षेत्र के प्रभावित परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों में टैन्ट लगाकर निवास कर रहे हैं?

सरकार द्वारा पुनर्वास की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

कार्यवाही विचाराधीन है।

उत्तरांचल के किसानों की कब्जेकाश्त भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में

* 9–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में किसानों की कब्जेकाश्त की वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण की योजना है ?

यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा यह कब तक लागू हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

धारचूला व मुनस्यारी तहसील को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में

* 10—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला व मुनस्यारी तहसील को जनजाति क्षेत्र घोषित कराने के लिए जो संकल्प पारित किया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला व मुनस्यारी को जनजाति क्षेत्र घोषित कराने के लिए विधान सभा में पारित संकल्प भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अग्रेत्तर कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जानी है।

ऊधमसिंह नगर स्थित क्षेत्र के अन्तर्गत बुक्सा जाति की भूमि की रजिस्ट्री पर प्रतिबन्ध के संबंध में

* 11—श्री अरविन्द पाण्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित बाजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बुक्सा जाति की भूमि की रजिस्ट्री पर प्रतिबन्ध है ?

यदि हां, तो क्या सरकार बुक्सा जनजाति को अपनी भूमि, रजिस्ट्री किये जाने का हक दिलायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जी हां।

बुक्सा जनजाति द्वारा जनजाति के व्यक्ति को भूमि हस्तांतरण की रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु ज0वि0 एवं भू–व्यवस्था अधि0 की धारा–157 ख में अनु0 जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमकेश्वर स्थित ग्राम पंचायत कसाण भूमिया की भूमि धंसने के सम्बन्ध में

* 12—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर स्थित ग्राम पंचायत–कसाण भूमिया की भूमि धंस रही है ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त तथ्य को संज्ञान में लाने के बावजूद भी ग्राम पंचायतों के निवासियों के पुनर्वास हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी ?

यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायत के निवासियों के पुनर्वास हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के ग्राम कसाण भूमिया की भूमि धंसने का मामला वर्ष 1999 में आये भूकम्प के कारण प्रकाश में आया है।

जी नहीं।

ग्राम कसाण भूमिया को अन्यत्र बसाने हेतु राजकीय/निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि के स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जो भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उत्तरकाशी के मोरी, नौगांव तथा पुरोला में अग्निकाण्ड में पीड़ितों को सहायता के संबंध में

* 13–श्री माल चन्द्र–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मोरी, नौगांव तथा पुरोला में लगभग तीन वर्ष पूर्व भयंकर अग्निकाण्ड की घटना घटी थी ?

यदि हां, तो मुख्यमंत्री राहतकोष से किन–किन अग्नि पीड़ितों को कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अग्नि पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद उत्तरकाशी के मोरी, नौगांव विकास खण्ड के अन्तर्गत 03 वर्ष पूर्व वर्ष 1999–2000 में अग्निकाण्ड की घटना घटी थी।

मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं बल्कि दैवीय आपदा के अन्तर्गत 18 पीड़ित व्यक्तियों में कुल रु0 92,100/– की आर्थिक सहायता दी गई है।

उत्तरांचल की प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के संबंध में

* 14–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार, उत्तरांचल की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन कर नए जिले, तहसील, उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुकी है ?

यदि हां, तो कौन–कौन से नए जिले सृजित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा टिहरी क्षेत्र के विस्थापितों को आवासीय, व्यवसायिक दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में

* 15–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा टिहरी क्षेत्र के विस्थापितों को आवासीय, व्यवसायिक दुकानो का आवंटन नेहरूपुरम् आवासीय योजना, देहरादून के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

यदि हां, तो इसका मानक क्या है ? और कितने लोगों को अब तक ऐसे भवन/दुकानें आवंटित की गई हैं ?

क्या यह सही है कि ऐसे आवंटन द्वारा इन आवासीय भवनों का इस्तेमाल व्यवसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर ऐसे आवंटन को निरस्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हां।

वर्ष 1985 से पूर्व के डूब क्षेत्र के विस्थापितों को ही पात्रता के अनुसार भवन एवम् दुकानें आवंटित की जा रही हैं, 41 आवासीय भवन एवं दुकानें आवंटित की गयी हैं।

जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता है।
प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

राजस्व विभाग के विभिन्न संवर्गीय कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति के सम्बन्ध में

1–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में वर्षों से कार्यरत विभिन्न संवर्गीय कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो पदोन्नतियाँ कब तक की जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं। राजकीय सेवा में प्रोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है, जो प्रोन्नति के पदों की उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर सम्पन्न की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिद्वार में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के भुगतान के संबंध में

2—श्री मदन कौशिक—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जिले में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन सभी पात्र व्यक्तियों को नियमित रूप से प्राप्त हो रही है ?

यदि नही, तो क्या शेष बचे पात्रों को चिन्हित कर लिया गया है ?

यदि हां, तो चिन्हित किये गये पात्र व्यक्तियों को यह सुविधा कब तक दे दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

जी नहीं। वर्तमान में हरिद्वार जिले में 10196 वृद्धों एवं 3381 विधवाओं को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में 467 एवं विधवा पेंशन योजना में 490 शेष बचे पात्रों को चिन्हित कर लिया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु चिन्हित किये गये शेष पात्रों को लक्ष्य वृद्धि अथवा जांचोपरान्त मृत/अपात्र व्यक्तियों के स्थान पर पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में विनाशकारी भूकम्प से रा0ई0का0 के भवनों के क्षतिग्रस्त होने एवं पुनःनिर्माण के सम्बन्ध में

3—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 1999 के विनाशकारी भूकम्प से रा0इ0का0 खेड़ाखाल, रा0इ0का0 बाड़ा, रा0इ0का0 रतूड़ा का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जी नहीं, बल्कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य है। इस प्रकार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त रा0इ0का0 के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य न होने के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तरकाशी के बाडागडी क्षेत्र में आई बाढ़ से निजी सम्पत्ति के नुकसान एवं अवमुक्त राशि के सम्बन्ध में

4—श्री अजय भट्ट—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1997 में जनपद उत्तरकाशी के बाडागडी क्षेत्र में आई बाढ़ द्वारा कितना सरकारी एवं निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ? शासन द्वारा राहत कार्यों हेतु अभी तक कितनी राशि अवमुक्त की गयी है ? यदि कोई राशि अवमुक्त नहीं की गई है, तो कब तक राहत राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

डॉ0 हरक सिंह रावत—

वर्ष 1997 में जनपद उत्तरकाशी के बाडागडी क्षेत्र में बाढ़ नहीं आयी थी। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं टिहरी गढ़वाल में काबिज भूमि का नियमितीकरण

6—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल में कितनी राजस्व भूमि पर कृषक कब से कब्जा किये हुए हैं ?

क्या सरकार ऐसी काबिज भूमि से कृषकों को बेदखल करने या ऐसी काबिज भूमि का नियमितीकरण करने का विचार रखती है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं,तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

जनपद हरिद्वार में 38.779 हे0 भूमि पर वर्ष 1914 से जनपद टिहरी में 383.504 हे0 भूमि पर वर्ष 1972 के पूर्व से जनपद ऊधमसिंह नगर में 9905.02 हे0 भूमि में वर्ष 1983 से, जनपद नैनीताल में 587.902 हे0 भूमि पर वर्ष 1987 से कृषक कब्जा किये हुए हैं।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नहर निर्माण से हुए भूमि के कटान व दबान से कृषकों को दिये गये मुआवजा के सम्बन्ध में

7—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नहर निर्माण कराने में भूमि के कटान एवं दबान के रूप में कितनी धनराशि का मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को करना है ?

यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के बकाया धनराशि का भुगतान करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

प्रदेश में नहर निर्माण कराने में भूमि के कटान एवं दबान के रूप में कुल रु0 123.912 लाख का मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को दिया जाना है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना के संबंध में

8–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकलांगों के पुनर्वास के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के पुनर्वास हेतु तीन विकलांग कर्मशालायें क्रमशः चमियाला (टिहरी गढ़वाल), हल्द्वानी एवं पिथौरागढ़ में संचालित की जा रही है।

पिथौरागढ़ में भुजगढ़ व बगड़ नदी द्वारा प्रतिवर्ष बास बगड़ व खेत भराड़ क्षेत्र के कटाव को रोकने के लिए तटबन्ध के सम्बन्ध में

9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में भुजगढ़ व बगड़ नदी द्वारा प्रतिवर्ष बास बगड़ व खेत भराड़ क्षेत्र को कई एकड़ भूमि के कटाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार जनहित में उक्त नदियों पर तटबन्ध बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 1974–75 में भुजगढ़ नदी की बाढ़ सुरक्षा हेतु 4 सी0सी0 ब्लाक स्पर एवं 83 मी0 सुरक्षात्मक दीवार तथा बगड़ नदी की बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत मराड़ बाढ़ सुरक्षा हेतु 196 मी0 सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण किया गया है।

पिथौरागढ़ में बासबगड़ क्षेत्र की खाद्यान्न समस्या के निराकरण हेतु गल्ला गोदाम खुलवाये जाने की स्वीकृति

10–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बासबगड़ क्षेत्र की खाद्यान्न समस्या के निराकरण हेतु उक्त स्थान पर गल्ला गोदाम खुलवाये जाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद पिथौरागढ़ में बासबगड़ क्षेत्र में खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है और उक्त स्थान पर गल्ला गोदाम खुलवाये जाने की कोई योजना नहीं है।

वर्तमान में बासबगड़ क्षेत्र की 2438 यूनिटों जिनके लिये लगभग 17.08 मी0टन खाद्यान्न की प्रतिमाह आवश्यकता होती है, के लिए उचित दर के विक्रेताओं के माध्यम से तेजम स्थित राज्य के खाद्यान्न गोदाम जिसकी संग्रहण क्षमता 400 मी0टन है, से खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति की जा रही है। तेजम खाद्य गोदाम से बासबगड़ की दूरी लगभग 20 कि0मी0 है।

प्रदेश में बन्द राजकीय ट्यूबवैलों को चालू करने की मांग

11–श्री हरबंस कपूर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं ?

क्या सरकार कृषक हित में तुरन्त इन ट्यूबवैलों को तुरन्त चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

प्रदेश में कुल 61 राजकीय ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास हेतु योजनायें

12—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए सरकार क्या—क्या योजनाएं चला रही है ?

इन योजनाओं का सही लाभ इस वर्ग को मिलना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए निम्न योजनायें चलाई जा रही हैं :—

(क) <u>अनुसूचित जाति कल्याण योजनायें</u> :—

1. पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
2. अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना
3. आई०टी०आई० छात्रवृत्ति योजना
4. बुक बैंक योजना
5. मैरिट उच्चीकरण छात्रवृत्ति योजना
6. पूर्वदशम शुल्क क्षतिपूर्ति योजना
7. कक्षा 10—12 परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना
8. राज्य सेवा हेतु पूर्व परीक्षा कोचिंग योजना
9. आश्रम पद्धति विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन
10. विविध प्रशिक्षण योजनायें
11. आवर्तक अनुदान पर प्राइमरी विद्यालयों का संचालन
12. स्वच्छकार विमुक्ति योजना
13. स्वतः रोजगार योजना
14. दुकान निर्माण योजना
15. परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजना
16. शादी/बीमारी अनुदान योजना

(ख) <u>अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनायें</u> :—

1. पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
2. आई०टी०आई० छात्रवृत्ति योजना
3. बुक बैंक योजना
4. मैरिट उच्चीकरण छात्रवृत्ति योजना
5. आवर्तक अनुदान पर प्राइमरी विद्यालयों का संचालन
6. आश्रम पद्धति विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन

7. राज्य सेवा हेतु पूर्व परीक्षा कोचिंग योजना

8. आदिम जनजाति विकास योजना

9. एकीकृत विकास जनजाति योजना

10. पांच विकास खण्डों की योजना

11. जनजाति उप क्षेत्र योजना

12. सहकारिता कार्यक्रम

13. खडंजा गली निर्माण योजना

14. कृषि रक्षा कार्यक्रम योजना

15. शौचालय निर्माण योजना

16. उर्वरक प्रदर्शन योजना

17. भूमि संरक्षण योजना

18. पेयजल योजना

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए संचालित योजनाओं का लाभ इस वर्ग के लोगों को प्रदान किये जाने हेतु जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो इन कल्याणकारी योजनाओं का सत्यापन कर जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराती है।

देहरादून में सरकारी आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

13—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, यमुना निर्माण खण्ड, देहरादून के पत्रांक 2750/य.नि.ख./ए–16(जी), दिनांक 10–5–2001 द्वारा कितने अधिकारियों को रिक्त होने की प्रत्याशा में आवास आवंटित किये गये हैं ?

क्या इन सभी अधिकारियों को आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं ?

यदि हां, तो किस अधिकारी को कौन सा आवास आवंटित हुआ है ?

क्या दिनांक 10–5–2001 के पश्चात् जिन अधिकारियों को आवास आवंटित हुए हैं ? उनका विवरण क्या है ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

अधिशासी अभियन्ता, यमुना निर्माण खण्ड–प्रथम, देहरादून के पत्रांक 2750/य० नि०ख०/ए० 16(जी), दिनांक 10–5–2001 के द्वारा रिक्त की प्रत्याशा में 2 अधिकारियों को आवास आवंटन किये गये थे।

इन अधिकारियों को पूर्व में आवंटित आवास रिक्त न होने के कारण अन्य आवास आवंटित किये गये। श्री तारा दत्त बिष्ट, चीफ रिपोर्टर, विधान सभा को आर- 13 आवास आवंटित हुआ, जिसका कब्जा उनके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। श्री ललित [illegible]न्द्र तिवारी

निजी सचिव, मा0 विधान सभा अध्यक्ष को ओ0बी0सी0–35 आवंटित किया गया था जिसका कब्जा उनके द्वारा नहीं लिया गया है।

दिनांक 27–5–2001 के पश्चात् 27 अधिकारियों को आवास आवंटित किये गये, जिनका विवरण संलग्न है–

द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–13 का संलग्नक–1

दिनांक 10–5–2001 के बाद सचिवालय/विधान सभा के अधिकारियों को आवंटित आवासों की सूची :–

क्र0सं0	अधिकारियों का नाम	आवास संख्या
1.	श्री इन्दु कुमार पाण्डे, सचिव (वित्त)	टी–15
2.	" रमेश चन्द्र शर्मा, अनुभाग अधिकारी (वित्त)	टी–3
3.	" किशन नाथ, संयुक्त सचिव	पी–4/8 (श्री महेश चन्द्र, सचिव, विधान सभा द्वारा अधिग्रहण न लिये जाने के कारण)
4.	" सुरेश चन्द्र जोशी, निजी सचिव	टी एल–9
5.	" विक्रम सिंह चौहान, निजी सचिव	टी एल–13
6.	" अतर सिंह, अनुभाग अधिकारी	ओबीसी–13
7.	" धीरेन्द्र सिंह दाताल, अनुभाग अधिकारी	ओबीसी–40
8.	श्रीमति महिमा रौंकली, अनुभाग अधिकारी	ओबीसी–43
9.	श्रीमती मायावती ढकरियाल, अनुभाग अधिकारी	ओबीसी–35 (श्री ललित चन्द्र, तिवारी, निजी सचिव द्वारा अधिग्रहण न लिये जाने के कारण)
10.	श्री महावीर सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी	ओबीसी–75

द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–13 का संलग्नक–2

दिनांक 10–5–2001 के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवंटित आवासों की सूची :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग	आवास सं0	अभ्युक्ति
1.	श्री पी0के0 शर्मा, सहायक अभियंता	कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्तरांचल), देहरादून	ओबीसी–78	
2.	श्री अशोक कुमार राठी, अधीक्षण अभियन्ता	लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल–1, देहरादून	पी–4/2	
3.	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता	अनु0 एवं नि0 खण्ड, बड़कोट, देहरादून	टी–26	

1	2	3	4	
4.	श्री राम राज, सहायक अभियन्ता	अनु० एवं नि० खण्ड, बड़कोट, देहरादून	ओबीसी–38	
5.	श्री नरेन्द्र सिंह देउपा, सहायक अभियन्ता	नलकूप खण्ड, देहरादून	टी–4/2	
6.	श्री वी० मे० मित्तल, अधि० अभियन्ता	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, बड़कोट, देहरादून	पी–4/18	
7.	श्री संजीव जैन, सहायक अभियन्ता	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	ओबीसी–2	
8.	श्री गुणानन्द शर्मा, सहायक अभियन्ता	सुरंग एवं वि०गृह खण्ड–2 देहरादून	ओबीसी–3	
9.	श्री विकास, सहायक अभियन्ता	–तदैव–	ओबीसी–51	
10.	श्री प्रमोद कुमार जोशी, वित्त नियंत्रक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता विभागाध्यक्ष (उत्तरांचल) सिं०वि० (देहरादून)	ओबीसी–4	
11.	श्री आर०पी० अरोड़ा उप राजस्व अधिकारी	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	ओबीसी–34	
12.	श्री विजय कुमार, अधि० अभियन्ता	अर्थमविंग उपकरण खण्ड, डाक पत्थर (देहरादून)	ओबीसी–61	
13.	श्री सुरेशचन्द्र जोशी, मु० अ० एवं विभागाध्यक्ष	सिंचाई विभाग, देहरादून	टी–7	
14.	श्री नरेन्द्र सिंह, अधि० अभियन्ता	मनेरी माली निर्माण खण्ड खण्ड–3, चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)	ओबीसी–31	आवास परिवर्तन
15.	श्री प्रेम सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता	यमुना निर्माण खण्ड–1 डॉलीपुर (देहरादून)	ओबीसी–58	
16.	श्री के०एन० विरमानी, अधि० अभियन्ता	सुरंग एवं वि०गृ० खण्ड–2 देहरादून	ओबीसी–9	
17.	कु० शालिनी समरवाल	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (यमुना), देहरादून	ओबीसी–15	आवास परिवर्तन

पिथौरागढ़ में डूँगातोली तहसील की धारचूला सिंचाई योजना पर व्यय एवं सिंचित भू–भाग की जानकारी

14–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में डूँगातोली तहसील की धारचूला सिंचाई योजना पर कुल कितना व्यय किया गया है तथा उस सिंचाई पाइप लाइन से कितने भू–भाग में सिंचाई की जा रही है ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

तहसील धारचूला जनपद पिथौरागढ़ में ढूंगातोली सिंचाई योजना के निर्माण पर कुल रु0 6.15 लाख व्यय किया गया है तथा उक्त सिंचाई पाइप लाइन से वर्तमान में दो से लेकर चार हैक्टेयर तक सिंचाई की जा रही है।

ग्राम पंचायत तौली के बलमरा में विकास खण्ड धारचूला सिंचाई योजना पर व्यय एवं सिंचित भू–भाग की जानकारी

15–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत तौली के बलमरा में विकास खण्ड धारचूला सिंचाई योजना जनपद पिथौरागढ़ में कितने लागत से बनाई गयी थी कितना भू–भाग सिंचित हो रहा है ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

ग्राम पंचायत तौली के बलमरा में विकास खण्ड धारचूला सिंचाई योजना जनपद पिथौरागढ़ में कुल रु0 10.11 लाख की लागत लगाई गयी थी, तथा इस योजना से अधिकतम 4 हैक्टेयर तक का भू–भाग सिंचित हो रहा है।

सरकार द्वारा राजि जनजाति के उत्थान के लिए गत पांच वर्षों में कल्याणकारी योजनायें

16–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राजि जनजाति के उत्थान के लिए गत पांच वर्षों में कौन–कौन सी कल्याकारी योजनायें चलाई गई ?

क्या सरकार यह भी अवगत करायेगी कि वर्तमान में कितनी स्वयंसेवी संस्थायें इन पर कार्य कर रही है ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

राजि जनजाति के उत्थान के लिए गत पांच वर्षों में निम्न योजनायें चलाई गई :–

1. दुधारू पशुपालन योजना
2. स्वतः रोजगार योजना
3. कृषि सम्बन्धी योजना
4. आवास निर्माण योजना (इन्दिरा आवास पैटर्न पर) रु0 22,000 प्रति आवास।

वर्तमान में स्वैच्छिक संस्था सीमान्त अनुसूचित जनजाति सेवा संस्थान, पिथौरागढ़ जौलजीवी में राजि जनजाति के बच्चों हेतु एक आवासीय विद्यालय संचालित कर रही है।

टिहरी की भिलंगना घाटी, बालगंगा घाटी ग्यारह गीव हिन्दाव नैलचामी घाटी में बाढ़ व भुस्खलन का सर्वेक्षण

17—बलवीर सिंह नेगी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र की भिलगना घाटी, बालगंगा घाटी ग्यारह गीव हिन्दाव नैलचामी घाटी में बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वन भूमि व नाप भूमि के उन्नयन हेतु कोई कार्य योजना बनाने की सरकार की मंशा है ? यदि हां, तो कब तक ? कितने-कितने प्रभावित क्षेत्रों का सरकार ने बचाव हेतु सर्वेक्षण करवाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत—

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा राहत कोष की धनराशि व्यय की जाती है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा से प्रभावित भूमि के उन्नयन हेतु कार्य योजना के संबंध में आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य न होने के कारण विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत भिलगना घाटी, बालगंगा घाटी, ग्यारह गांव हिन्दाव नैलचामी घाटी में बाढ़/भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वन भूमि व नाप भूमि के उन्नयन हेतु कोई कार्य योजना बनायी जानी सम्भव नहीं है।

टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में दैवीय आपदा के कारण अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में

18—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र कौन-कौन से राजस्व ग्रामों को, गतवर्षों बादल फटने, अति वर्षण व भूधंसाव के कारण अन्यत्र बसाये जाने की नीति निर्धारित की गई है ? यदि पुनर्वास नीति बनाई गई है तो किन-किन ग्रामों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाना अपेक्षित है ?

डा0 हरक सिंह रावत—

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 30/31 अगस्त, 2001 को बादल फटने के कारण भूस्खलन होने से ग्राम गोना प्रभावित हुआ है। भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गोना के 106 प्रभावित परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रदेश में निराश्रित अपंग बालक-बालिकाओं के लिए अनाथालय की व्यवस्था

19—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निराश्रित अपंग बाल-बालिकाओं के लिए अनाथालय की व्यवस्था है तथा शासन द्वारा इन निराश्रित अपंग बाल-बालिकाओं को क्या सुविधायें मुहैया करायी जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं। प्रदेश में निराश्रित अपंग बाल–बालिकाओं के लिए पृथक से अनाथालय की व्यवस्था नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय/छात्रावासों में ही निराश्रित अपंग बाल–बालिकाओं हेतु शिक्षण आवास, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है तथा इन्हें शासन द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

सभी टिहरी बांध विस्थापितों को उचित मुआवजा दिये जाने विषयक

20–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सभी टिहरी बांध विस्थापितों को उचित मुआवजा दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि किरायेदारों, दुकानदारों को साख भत्ता दिया गया है ? जबकि भू–स्वामियों को साख भत्ता नहीं दिया गया है ?

क्या सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों को जो भू–खण्ड आवंटित किये गये थे, उन भू–खण्डों पर उनको भूमिधरी अधिकार प्राप्त करा दिये जायेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

यह नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित सभी शहरी पात्र विस्थापितों को पुनर्वास नीति के अनुसार उचित मुआवजा दिया गया है, तथा ग्रामीण पुनर्वास के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले पूर्ण डूब/आंशिक डूब क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों के विस्थापितों को प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

किरायेदारों को साख भत्ता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है जबकि दुकानदारों को साख भत्ता दिया गया है और भू–स्वामियों को प्रो0 हनुमन्तराव कमेटी की संस्तुति के आधार पर भवन निर्माण सहायता के रूप में साख भत्ते की न्यूनतम राशि रु0 60,000.00 एवं अधिकतम रु0 1,80,000.00 प्रति परिवार अनुमन्य थी, जिसे उत्तरांचल सरकार द्वारा क्रमशः रु0 2.50 लाख एवं 4.50 लाख प्रति परिवार अनुमन्य किया गया है।

टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लगभग 960 विस्थापित परिवारों को रायवाला, भानियावाला एवं देहरा खास के पुनर्वास स्थलों पर भूमिधरी अधिकार दिये जा चुके हैं तथा अन्य पुनर्वास स्थलों पर भूमिधरी अधिकार दिलाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

आवंटित भू–खण्डों पर विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों की कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार
2. श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
3. श्री अजय भट्ट
4. श्री मदन कौशिक
5. श्री मातबर सिंह कण्डारी
6. श्री माल चन्द्र
7. श्रीमती आशा नौटियाल
8. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
9. श्री प्रकाश पन्त
10. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
11. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
12. श्री अनिल नौटियाल
13. श्रीमती विजय बड़थ्वाल

इनमें से श्री मदन कौशिक, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री अजय भट्ट, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री अनिल नौटियाल जी की सूचना स्वीकृत करता हूं।

राज्य में स्टाम्प पेपर की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में आजकल स्टाम्प पेपर की कमी के कारण जनता परेशान है और जनता के जरूरी कार्य जैसे–इकरारनामे, बैनामे, लाइसेन्स आदि कार्यों हेतु बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प पेपरों की आपूर्ति डिपो आगरा से की जाती थी लेकिन आजकल उत्तरांचल राज्य में डिपो की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण स्टाम्प पेपरों की कमी है, इससे स्टाम्प पेपर विक्रेताओं के सामने भी आजीविका चलाने का भारी संकट उत्पन्न हो गया है।

अतएव इस अति अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन की कार्यवाही तुरन्त रोक कर इस पर कार्यवाही की मांग करता हूं।

बद्री केदार मार्ग में यात्रा के दौरान शराब एवं मांस की बिक्री के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, बद्री केदार मार्ग में पूरे यात्रा मार्ग में स्थान–स्थान में शराब एवं मांस की बिक्री खुले आम हो रही है। जिस कारण सरकार के नियमों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। स्थानीय प्रशासन उक्त बिक्री रोकने में असमर्थ रहा है। जिस कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है, तथा असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

राज्य में कुशल खिलाड़ियों को सम्मान देने हेतु राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर हमारे उत्तरांचल राज्य में, अति विशिष्ट कुशल खिलाड़ियों को राज्य में सम्मान देने हेतु पुलिस सेवा आदि में राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है जबकि भारत के अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा आदि में ऐसा किया जाता है जिसके फलस्वरूप वहां के खेल का स्तर ऊंचा है तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ख्याति प्राप्त होती है। स्वयं एक खेल प्रेमी नवयुवक जनप्रतिनिधि के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के अति कुशल खिलाड़ियों को उचित सम्मान देने का प्रावधान शासन द्वारा निर्धारित अवश्य कराया जाय। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

राज्य में अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अल्पकालिक रूप में नियुक्त अध्यापक लगातार 10 वर्षों से शिक्षण कार्य में लगे हैं, किन्तु आज तक इनका विनियमितीकरण नहीं हो पाया है, जबकि उ0प्र0 में 30 दिसम्बर, 2000 को अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमितीकरण कर दिया गया है। अविभाजित उ0प्र0 में एक ही समय पर एक ही राजाज्ञा से उत्तरांचल के अध्यापकों की भी नियुक्ति हुई थी। अतः मैं उपरोक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तरांचल के अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमितीकरण किये जाने हेतु सरकार को निर्देश देने की मांग करता हूं।

गंगा के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बाड़ लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह समाचार अब सामान्य हो गया है कि आज पवित्र गंगा नदी में पैर फिसल जाने से पर्यटक की गंगा में डूबकर मौत हो गई और कई बार यह भी खबर पढ़ने को मिलती है कि बचाने वाला खुद भी तेज धारा में अथवा भंवर में फंस गया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर सुरक्षा बाड़ लगाई जानी चाहिए, गंगा के किनारे सुरक्षा कर्मियों व गोताखोरों की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी ?

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपने गृह जनपद में स्थानान्तरण की नीति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कई अध्यापक अपने गृह जनपद से बाहर के जनपदों में कार्यरत हैं, जबकि ये अध्यापक जनपदीय संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण इन्हें अपने गृह जनपद के बजाय बाहर के जनपदों में तैनाती दी गई। अब इन अध्यापकों को अपने जनपद में स्थानान्तरण के लिए सरकार द्वारा तय की गई नीतियों एवं नियमों के कारण अपनी वरिष्ठता खोने से लेकर कई अन्य कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थिति के कारण जहां एक ओर शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, वहीं अध्यापकों एवं जनता में इस स्थिति के कारण रोष एवं असंतोष व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

जनपद चमोली के गैरसैण के अन्तर्गत नागचुला खाल–घोरियाल में पेयजल योजना का कार्य बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत नागचुला खाल–घोरियाल गांव बजियाणी पेयजल योजना 2001 में शुरू हुई थी, किन्तु अब लगभग 6–7 माह से इस योजना पर कार्य बन्द कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर वक्तव्य की मांग करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी की सूचना प्राप्त हुई है, जो उप तहसील जखोली, रुद्रप्रयाग को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने के संबंध में है। मैं कल भी कह चुका हूं यह कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है, आप भी इसके सदस्य हैं, इसलिए मैं इसको नहीं सुन रहा हूं।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ के गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने के संबंध में श्री केशर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पिथौरागढ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बड्थ्वाल, श्री हरबंस कपूर, श्री माल चन्द्र, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री प्रकाश पन्त, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अनिल नौटियाल, श्री नारायण सिंह जंतवान, की है। इनमें से माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री हरबंस कपूर, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री अजय भट्ट तथा श्री मातबर सिंह कण्डारी को मैं ग्राहयता पर सुन रहा हूं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी सर्टिफिकेट लाइब्रेरी कोर्स जो 6 महीने का होता है इस कोर्स की उत्तरांचल राज्य में सिर्फ तीन जगह व्यवस्था है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो तब रजिस्ट्रार विभाग इलाहाबाद द्वारा इसकी परीक्षा ली जाती थी। पिछले वर्ष इस परीक्षा को लेने का संकट पैदा हो गया, उत्तरांचल सरकार के मौखिक कह देने से रजिस्ट्रार विभाग इलाहाबाद ने इस परीक्षा को लिया। सरकार बनने के बाद वह संकट फिर उत्पन्न हो गया है। इलाहाबाद ने इस परीक्षा को लेने से इन्कार कर दिया है। उत्तरांचल में इसकी व्यवस्था नहीं है इसको देहरादून, रुड़की, नैनीताल में जो इस कोर्स को करना चाहते हैं वह बहुत परेशान हैं। इस कोर्स को करने से लाइब्रेरी में जो काम करते हैं उनको बड़ा लाभ मिलता है। आज इलाहाबाद रजिस्ट्रार से इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उत्तरांचल सरकार हमको लिखित रूप में दे दे तो हम लेंगे। आज हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्थान पर उत्तरांचल विद्यालीय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् का गठन वर्ष 2001 में किया गया जिसका प्रमुख कार्य माध्यमिक परिषदीय परीक्षायें एवं उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न की जाने वाली समस्त परीक्षाओं का कार्य उक्त परीक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् का मुख्यालय रामनगर में स्थापित किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के परिषदीय परीक्षायें (हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट) उत्तर प्रदेश के सहयोग से सम्पादित की गयी। आगामी परिषदीय परीक्षायें उत्तरांचल परीक्षा परिषद् द्वारा स्वयं संचालित की जायेंगी। इसी प्रकार उक्त परिषद् के गठन से पूर्व रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्पादित की गयी। उक्त परिषद् द्वारा यद्यपि परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की गई फिर भी

संबंधित संस्थाओं को परीक्षायें उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें इलाहाबाद से संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। आगामी शैक्षिक सत्र से उक्त परीक्षायें नियमित रूप से उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित की जायेंगी।

परीक्षाएं इलाहाबाद से संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। आगामी शैक्षिक सत्र से नियमित रूप से परीक्षाएं सम्पादित की जायेंगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, लिखित रूप में इसकी कापी मिल सकती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

हाँ–हाँ क्यों नहीं। मैं इसकी कापी आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरे कार्यालय में इसकी कापी उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मदन कौशिक तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय में स्थित होण्डा पावर प्रोडक्ट लि0 रुद्रपुर में श्रमिकों के आंदोलन के मसले को उठाना चाहता हूं। मान्यवर गत मार्च, 2002 से श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। फैक्ट्री प्रबन्धन फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित करना चाहता है। जब श्रमिकों को इस बात की जानकारी हो गई तो वह इसका विरोध करने लगे तथा गत मार्च से आंदोलित हैं। किन्तु उनके आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला। श्रमिकों के परिवार की हालत तंग है, वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। श्रमिकों के आंदोलन से फैक्ट्री व श्रमिकों को लाखों का नुकसान हो रहा है। चूंकि यह उद्योग से सम्बन्धित मामला है तथा यह फैक्ट्री हमारे प्रदेश में है अगर यह फैक्ट्री यहां से चली जाती है तो हमारे प्रदेश को हानि होगी। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्य स्थगन की मांग करता हूं चूंकि यह तात्कालिक है और हमारे प्रदेश के श्रमिकों की रोजी–रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मै0 होण्डा सील पावर प्रोडक्ट लि0, रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा अपने पूरे कारखाने को नोएडा शिफ्ट करने का कोई प्रकरण नहीं चल रहा है। उक्त कारखाने के सेवायोजकों के द्वारा कारखाने के एल्यूमीनियम मशीनिंग प्लांट को नोएडा शिफ्ट करने का प्रकरण चल रहा है। जिस पर त्रिपक्षीय समझौता वार्ता द्वारा समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा था इसी मध्य सेवायोजकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष सिविल मिस रिट पिटिशन सं0 208/एम0बी0/2002 होण्डा सील पावर प्रोडक्ट्स लि0 बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य दायर की गयी हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण पर वर्तमान में कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पानी के बारे में कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न वास्तव में अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है। पानी के बिना किसी भी प्राणी का जीवन नहीं चल सकता है। पूरे राज्य में पानी के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है। पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है इसमें थोड़ा सा दोष नजर आ रहा है क्योंकि जो प्राकृतिक जल स्त्रोत पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं नोले आदि से सूख गये हैं।

मान्यवर, गांवों में जाने पर मुझे यह महसूस हुआ है कि एक घर के जितने सदस्य हैं, उसमें से 2–3 लोग तो दिन भर कोशी और अलकनन्दा, पिंडर, रामगंगा, भिलंगना आदि नदियों से पानी लाने का काम करते हैं। ऐसे में यदि उनके घर पर कोई अतिथि आ जाय, तो बहुत परेशानी होती है। कई जगहों पर आज पानी का व्यवसाय हो रहा है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का एक वाक़या बताना चाहता हूं। अल्मोड़ा जिले के ग्राम सभा पजीना के संगदीना गांव के माधोसिंह की लड़की की शादी हेतु रुपये 2600 एव ग्राम सभा स्यूरालकोट के नन्दराम की लड़की की शादी में रु0 3500 का पानी घोड़ों से मंगाया गया। इसी प्रकार ग्राम जाख में प्रतिदिन कोसी नदी से पानी मंगाकर बेचा जा रहा है। मान्यवर, यह शत–प्रतिशत सही है, सरकार चाहे तो किसी से पता करवा ले। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सदन को गलत बात बतायी जा रही हो। मैं इस संबंध में किसी को कोई दोष भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार इसके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। स्रोत जो सूख गये हैं, उनको रिचार्ज करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलाधिकारी को 2 लाख रुपया आपदा प्रबन्धन के लिए दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। तहसील और ब्लाक मुख्यालय पर कोई टैंकर जाता भी है, तो उसका लाभ 20 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। आज की स्थिति में पम्पिंग पेयजल योजनाएं बनायी जानी अत्यन्त आवश्यक हो गयी है। पम्पिंग पेयजल योजनाओं को स्वीकृति देनी ही होगी। मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है इसलिए मैं पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, उत्तरांचल में पेयजल की गम्भीर समस्या नहीं है और न ही चारों ओर त्राहि–त्राहि मची है। प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की मात्रा में कमी होने के कारण पेयजल के उत्पादन/उपलब्धता में थोड़ी कमी आयी है। जहां कहीं पेयजल की अनुपलब्धता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सड़क से दूर स्थित अभावग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन के सहयोग से खच्चरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। जहां तक पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण का प्रश्न है, इस संबंध में स्थिति यह है कि पम्पिंग पेयजल योजनाएं काफी अधिक लागत पर निर्मित होती हैं तथा उसके बाद उनका संचालन और विद्युत व्यय भी काफी अधिक होता है। इसी कारण यह प्रयास किया जाता है कि पम्पिंग पेयजल योजनाओं की अपेक्षा यथासम्भव प्राकृतिक स्रोत से पाईप लाईन, हैण्ड पम्प, रैन वाटर हार्वेस्टिंग आदि सस्ते विकल्पों से जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाय किन्तु जहां पर ऐसे विकल्प न हों और पम्पिंग योजना ही एकमात्र विकल्प हों, ऐसे स्थानों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पम्पिंग योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। इसके अलावा जैसा कि अभी

माननीय भट्ट जी ने बताया कि अधिकतर जल स्रोत सूखते चले जा रहे हैं, यह वास्तव में चिंता का विषय है। इस संबंध मे हमारी सरकार बिल्कुल गम्भीर है और इसके समाधान के लिए एक नीति बनायी गयी है।

मान्यवर, शासन स्तर पर उच्च समिति का भी गठन किया गया है जिसमें प्रमुख सचिव, वन अध्यक्षता कर रहे हैं तथा सचिव, पेयजल उसके संरक्षक हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितने टैंकर लगे हैं और कितने घोड़े आज कहां–कहां लगाये गये हैं, अगर यह मंत्री जी बता देंगे तो उचित होगा यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। इसमें मान्यवर, कोई निर्देश जाना चाहिए। मंत्री जी का ठीक से वक्तव्य आना चाहिए। मान्यवर, स्थिति बड़ी विषम है, लोग जानना चाहते हैं, वे कपड़े फाड़ने को तैयार हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अगर यह सच माना जाय तो कपड़े फटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यह सच है कि पानी की कमी है और टैंकर विधिवत् उनकी जानकारी में हैं कि कहां–कहां लगाये गये हैं और घोड़े कहां–कहां पर हैं यह भी उन्हें पता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं यह सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, विकास खण्ड अगस्त्यमुनि, जनपद चमोली में था और 1997 में जनपद रुद्रप्रयाग का सृजन हुआ। फलतः इस विकास खण्ड में पट्टी बछणस्यू की 20 ग्राम पंचायतें और रानीगढ़ की 09 ग्राम पंचायतें और तल्ला नागपुर की 32 ग्राम पंचायतें (विकास खण्ड अगस्त्यमुनि) में शामिल की गयी है। अब कुल मिलाकर इस विकास खण्ड में 173 ग्राम पंचायतें हैं। अब कल्पना कर लीजिए कि 173 ग्राम पंचायतें जिस विकास खण्ड में होंगी वहां पर कार्य कैसे चलेगा और यहां तक कि यह समस्या भी है कि वहां पर जब बी0डी0सी0 की बैठक होती है तो एक साथ नहीं हो पाती है, अलग–अलग होती है। मेरा निवेदन है कि अगस्त्यमुनि ब्लाक बहुत बड़ा ब्लाक है। एक नए विकास खण्ड की मांग लोग जनपद रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं। मान्यवर, यह तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित में इस रुद्रप्रयाग ब्लाक का सृजन कर दिया जाय ताकि वहां पर कार्य सुचारू रूप से चल सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद यह महसूस किया जा रहा था कि विकास खण्डों का भी सृजन करते हुए छोटी इकाइयों का प्राविधान होगा और जिस पर चिन्ता जाहिर की गयी। अगस्त्यमुनि विकास खण्ड 173 ग्राम पंचायतों के बारे में माननीय

सदस्य ने जो कहा, तो ऐसा लगता है कि हम व्यावहारिकता के साथ नहीं जा रहे हैं और
आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार की योजना आयोग ने
स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नये विकास खण्डों का सृजन नहीं किया जायेगा और हम
मजबूर हैं। फिर भी इस विषम परिस्थिति को देखते हुए योजना आयोग को पत्र प्रेषित
किया जा चुका है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विशेष परिस्थिति है। मान्यवर, मैं
स्वीकार करता हूं कि भारत सरकार ने रोक लगा रखी होगी, परन्तु विशेष परिस्थिति होने
के कारण और नये जनपद होने के कारण और 173 ग्राम समाएं जिस विकास खण्ड में
हों वहां पर कार्य कैसे चलेगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि इसका
प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया था कि इस आशय का एक पत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल
में नये विकास खण्डों के सृजन के लिए वित्त आयोग को भेजा जा चुका है। यदि आप
चाहते हैं कि अगस्त्यमुनि विकास खण्ड जिसमें 173 ग्राम पंचायतें हैं, के लिए अलग से
प्रस्ताव बनाकर भेजा जाय, तो उसे भी भेज दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को
अग्राह्य करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं। इस सदन में कई बार
भू–माफियाओं द्वारा कब्जे की बात कही गयी। मान्यवर, ऐसी ही एक घटना ऋषिकेश में
घटित हुई है। राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश के सामने लगभग सवा सौ एकड़ का
भू–भाग है। इसके कब्जे के लिए एक राजनीतिक दल से सम्बद्ध लोगों द्वारा लगभग
400–500 लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित की जाती है। 6–7 बजे से ही वहां पर लोगों
का जमावड़ा लग जाता है और उसके सामूहिक कब्जे की नीति बनाई जाती है। लगभग
11–12 बजे तक ये सारा कार्य वहां पर चलता रहा और पुलिस प्रशासन मूक बनी रही,
पुलिस का कोई भी आदमी वहां पर नहीं पहुंचता है। वहां पर एक मंत्री विशेष के नारे भी
लगाये जाते हैं और फिर नगर के कुछ लोगों द्वारा उन लोगों को वहां से खदेड़ा जाता
है। यह जानकारी भी मिली कि 200–200 रुपये एकत्रित लोगों से लिये गये। मान्यवर, यह
अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय है जब रक्षक ही भक्षक बन जायें तो प्रदेश की जनता
कैसे सुरक्षित रह सकती है ?

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं भी इसी सूचना पर बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे भी सुन लें।
मान्यवर, जिस घटना का माननीय भट्ट जी ने उल्लेख किया है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है और बार-बार इस तरह के विषय सदन के सामने आये हैं। इसी तरह पूर्व में नियम 56 के अन्तर्गत भी देहरादून के कई भूखण्डों पर कब्जा करने का विषय आया था। यह घटना कल की है जो ऋषिकेश में घटित हुई। लगभग 125 बीघा जमीन जिस पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अखबारों में मंत्रियों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा रहा है और उनकी संबंधता व्यक्त की जा रही है यह केवल मात्र सत्तापक्ष ही नहीं बल्कि पूरे जनप्रतिनिधियों के ऊपर अविश्वास का प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि सरकारी भूमि पर या गैर सरकारी भूमि पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है। जिस प्रकार से सुबह 4.00 बजे लोग इक्ट्ठे हुए और कब्जा करने का प्रयास किया गया और 12.00 बजे तक प्रशासन और पुलिस हरकत में नहीं आयी। मजबूर होकर दूसरे पक्ष के लोग इक्ट्ठे हुए और उन्होंने कब्जेदारियों को भगाया। यहां निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी और प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया किसी के दबाव में आकर निश्चित रूप से जिसकी भूमि पर कब्जा हो रहा है वह इक्ट्ठा होकर ऐसा करेंगे। मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर, मैं आपके माध्यम से चर्चा कराना चाहता हूं जिससे उन लोगों को राहत मिल सके जिनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और उनको न्याय मिल सके।

आपदा प्रबन्धन एवं राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, श्री भट्ट जी ने और सम्मानित हरबंस कपूर जी ने नियम 56 के अन्तर्गत जो ध्यान माननीय सदन के माध्यम से आकृष्ट किया है इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर, इस सामान्य सदन के सम्मुख एक परम्परा सी बनती दिखाई दे रही है कि हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा किसी न किसी रूप में सम्मानित मंत्रीगणों का उल्लेख किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा आशय यह था कि बार-बार जिस तरह सरकार पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उचित नहीं है। मान्यवर, मैं तीन बार विधायक रहा हूं और उत्तर प्रदेश जैसे सम्मानित सदन का सदस्य होने का अवसर मिला है। इसलिए किसी अखबार के संज्ञान में आने से ऐसा नहीं करते हैं। लोकतंत्र में अखबार चौथे खम्भे के रूप में काम करता है लेकिन न्यायालयों और सदनों में अखबार का संज्ञान नहीं लिया जा सकता, इसको ठीक नहीं माना जा सकता।

मान्यवर, किसी मंत्री या किसी सदस्य पर उंगली उठाकर उसके व्यक्तित्व पर आलोचना करना स्वस्थ परम्परा नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वह प्रदेश सरकार की एक इंच भूमि का अवैध रूप से कब्जा करेगा तो हमारी सरकार उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी। (व्यवधान) मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय के सामने अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति की बात उठाई गई है। मान्यवर, यह गम्भीर बात है हम इसके समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं। मान्यवर, यह जो मुद्दा उठाया गया है उसको उल्लिखित भूमि के अन्तर्गत धारा 219/209 के तहत उक्त जिलाधिकारी ऋषिकेश के न्यायालय में है।

श्रीमन् पूर्व में आदेश जारी किये गये थे कि वाद के निर्णित होने तक यथा स्थिति बनायी जाय। जो भूमि खाली पड़ी हुई है, उसका रकबा 103 एकड़ है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं उक्त आंकड़े से (103) सहमत हूं।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दिनांक 6–11–2002 को प्रातः 8 से 2 बजे के बीच एस0डी0एम0 ऋषिकेश को दूरभाष पर अवगत कराया। उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो पट्टे बांटे जा रहे हों कुछ लोगों द्वारा तिरपाल के टेन्ट बनाये जा रहे थे। उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश मौके पर गये जहां 200 स्त्री–पुरुष मौजूद थे। पुलिस बल पर्याप्त संख्या में न होने के कारण रायवाला तथा रानपुर के थानों से लेकर अवैध कब्जा स्थल तक पहुंचे तथा स्थल को खाली करने का निर्देश दिया। पी0ए0सी0 के पहुंचने के पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा और एस0डी0एम0 प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को समझाने–बुझाने के बाद उस भूमि को खाली करवा दिया गया। (व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी घटना हुई उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा रहा है। ये सुबह 4 बजे का प्रकरण है, 12 बजे तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, वहां के लोगों ने स्वयं उनके खिलाफ कार्यवाही की, पुलिस देखती रही। मान्यवर, निश्चित रूप से इसका उल्लेख किया गया कि किसी माननीय कैबिनेट मंत्री का हस्तक्षेप हुआ और उसके विरोध में नारे लगाये गये।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी मैं बार–बार उल्लेख कर चुका हूं, माननीय सदस्यों द्वारा मंत्री जी का उल्लेख किया जा रहा है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए मैं इस पर सख्त एतराज करना चाहता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रदेश की एक इंच जमीन पर चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो उसके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जायेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(भाजपा के सभी सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस राज्य का गठन 9 नवम्बर, 2000 को हुआ। उत्तरांचल की कुल जनसंख्या 85 लाख है जिसमें अल्पसंख्यकों की आबादी 12 प्रतिशत है, इसलिए उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करना, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए किसी कार्ययोजना को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अन्य जनहित के कार्य किया जाना, यह विधेयक इसी उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। इसके साथ ही हमने राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी इंगित किया। यह सही है कि सरकार का तीसरा माह चल रहा है, सदन तीसरे माह में बैठा है, सदन में ही इसको प्रस्तुत किया जाना था। मान्यवर, तीसरा माह सदन के बैठते ही इसे प्रस्तुत कर दिया था, और इसमें हमने उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के संबंध में भी जहां कहीं वांछित हो विचार किया जायेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता की गई। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का है, इसके लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है। यह आवश्यक था कि उत्तरांचल राज्य में अल्पसंख्यक भाईयों की संख्या 12 प्रतिशत है, उनके हितों की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया जाना आवश्यक था ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। वह मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अपनी बात इस आयोग के समक्ष रखें, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात इस आयोग में रख सकें। लोक सेवक के रूप में इसमें अधिकारियों को रखा गया इसकी खास बात है, इसके तीनों अधिकारी अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे।

मान्यवर, जो हमारी महिला बहिनें हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इसमें दो पुरुष, एक अध्यक्ष स्वयं और एक महिला भी उसमें होंगी। ये तीनों ही अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। महिलाएं जो प्रमुख रूप से शोषण की शिकार होती हैं इसलिए एक महिला को भी इसका सदस्य बनाया गया है ताकि महिला सदस्य का सहयोग लेकर वे अपनी बात को कहें।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, मैं अल्पसंख्यक आयोग के गठन के बारे में सरकार को बधाई देता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह वायदा किया गया था कि दो माह के अन्दर अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया जायेगा। चूंकि अब तीन महीने पूर्ण हो गये और आज तो 100 दिन हो गये। चलिए देर आए, दुरुस्त आए। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार भी इस संबंध में गम्भीर थी और यह पूरे सदन का अभिमत होना चाहिए कि जो 12 प्रतिशत अल्पसंख्यक भाई हैं उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। इस संबंध में जो अल्पसंख्यक आयोग के अन्दर जितने भी प्राविधान किये गये हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए दूसरा जो तीन सदस्यीय सदस्य आयोग में रखे गये हैं अगर इसमें संशोधन करके पांच सदस्य रख दिये जायें, तो बेहतर होगा।

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है, हां इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है किन्तु इसमें सारा सदन एकमत है और शायद यह पहली बार हुआ है चूंकि प्रक्रिया तो पहले ही शुरू हो गई थी और काफी विचार विमर्श भी इसमें हुआ है। इसके बाद जो आज यहां पर विधेयक आ रहा है इसके प्रावधानों पर वास्तव में कड़ाई से पालन होना चाहिए।

कभी–कभी आयोग बना दिये जाते हैं लेकिन उनको शक्ति सम्पन्न नहीं किया जाता है। अगर इसमें सदस्यों की संख्या पांच या सात कर दी जाय तो ज्यादा बेहतर होगा इसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जायेगा। आज उत्तरांचल में अल्पसंख्यकों की आबादी 12 प्रतिशत है तो इसलिए विभिन्न जिलों से, विभिन्न जगहों से, विभिन्न तरह के लोग जो अलग–अलग मतों को मानने वाले लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल जायेगा। इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर सरकार सदस्यों की संख्या बढ़ा दे इस आयोग में तो अच्छा रहेगा। आयोग में सदस्यों की संख्या पांच या सात कर दी जाय।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात कही और बनाने जा रही है और उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सरकार को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उसने यह कदम उठाया। मान्यवर, मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे, छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर ध्यान दे। बाकी सारे काम तो स्वतः ही होते चले जायेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि काजी जी कुछ सुनायेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं विपक्ष में बैठा हुआ हूं–

"बातों से भी कभी बदलती है किसी कौम की तकदीर,
जुगनू के चमकने से कभी अन्धेरा नहीं जाता।"

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब काजी निजामुद्दीन बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको बचपन से जानती हूं। इनके पूज्य पिताजी और मैं 1974 में साथ ही चुनकर आये थे, लेकिन वे विधान सभा में रहे और मैं विधान परिषद् में। काजी जी ने बहुत सही कहा कि जुगनू के चमकने से अंधेरा नहीं जायेगा, रोशनी लानी ही होगी। माननीय प्रकाश पन्त जी और माननीय अजय भट्ट जी ने भी कुछ अच्छे सुझाव इस सम्बन्ध में दिये। मैं कहना चाहती हूं कि इस पर खुले दिल से विचार किया जायेगा, आवश्यकता के अनुसार इसमें संख्या भी बढ़ायी जा सकती है। एक अच्छे उद्देश्य के लिए सरकार वित्तीय भार से भी पीछे नहीं हटेगी। यहां पर उद्देश्य एक समुदाय विशेष के हितों के लिए है, इसलिए इस पर विचार अवश्य होगा लेकिन अभी यह इसी रूप में प्रस्तुत हुआ है इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस समय इसको पास कराने में हमें सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–19 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002

(उत्तरांचल विधेयक संख्या सन् 2002)

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में अधिनियमित

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुसांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए विधेयक

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, 2002 कहा जायेगा;
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा;
   (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करें;

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक की संदर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो :
   (क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग से है;
   (ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है;
   (ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं;
   (घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है।

अध्याय–दो
आयोग

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का गठन

3. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा;
   (2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और दो सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित दो सदस्य अल्पसंख्याक समुदाय में से होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा;

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्यागपत्र दे सकता है;

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी अपराध के लिए जिससे सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है;

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित होता है;

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की किसी स्थिति का किसी प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया है;

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति–युक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा;

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5. (1) सरकार इस विधेयक के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए एक सचिव एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी;

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

6. अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा।

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी। रिक्तियां इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझें, अपनी बैठक करेगा; आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा;

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चिय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्– आयोग के कृत्य

(क) उत्तरांचल में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों / विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबधित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदान के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना; और

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी;

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में वह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अध्याय–चार
वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

10. (1) सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी;

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

11. (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उनकी लेखा परीक्षा करवायेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

13. सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उनसे दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा। आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. जो कोई धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश के निदेश की अवज्ञा करे तो यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा। शास्ति

16. कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। अपराध का संज्ञान

17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है; नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात–

(क) धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्य मामला;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा;

(घ) प्रारूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन लेखों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23(क) की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1994 का निरसन

19. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 एतद्द्वारा, जहां तक उत्तरांचल राज्य में लागू होने का प्रश्न है इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रवृत्त अधिसूचना की तिथि से निरसन लिया जाता है।

अल्पसंख्यक आयोग हेतु स्टाफ की आवश्यकता

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सचिव, आयोग (श्रेणी 2 का पद)	1	8000—13500
2.	लेखाकार	1	5000—8000
3.	वैयक्तिक सहायक आयोग के अध्यक्ष के लिये	1	5000—8000
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	4000—6000
5.	कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	3050—4590
6.	चालक (एक चालक अध्यक्ष तथा एक चालक सचिव के लिए)	2	3050—4590
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मी (एक चपरासी अध्यक्ष के लिये, एक चपरासी दो अन्य सदस्यों के लिए, एक चपरासी सचिव के लिए तथा एक चपरासी कार्यालय के लिए)	4	2550—3200

नोट—सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था संविदा पर की जायेगी।

अल्पसंख्यक आयोग के लिए वित्तीय आवश्यकता

(धनराशि लाख में)

1.	अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों के लिए एक मुश्त मानदेय रु0 15000 प्रतिमाह की दर से		5.40
2.	आयोग के सचिव के वेतन भत्तों के लिए 8000-13500 के वेतनमान पर श्रेणी 2 का पद		1.44
3.	लेखाकार, वेतनमान 5000-8000 पर देय वेतन भत्ते		0.90
4.	अध्यक्ष के लिए वैयक्तिक सहायक वेतनमान 5000-8000 पर देय वेतन भत्ते		0.90
5.	वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 4000-6000 पर देय वेतन भत्ते		0.72
6.	कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतनमान 3050-4590		0.56
7.	चालक वेतनमान 3050-4590		1.12
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतनमान 2550-3200		1.836
9.	एक कार अध्यक्ष के लिए तथा एक डीजल जीप सचिव के लिए		8.00
10.	कार्यालय भवन का किराया 10000 प्रतिमाह की दर से		1.20
11.	कम्प्यूटर	एक	1.00
12.	फोटोस्टेट मशीन	एक	1.00
13.	टेलीफोन	एक	0.50
14.	फैक्स	एक	0.20
15.	फर्नीचर एवं साज सज्जा		2.00
16.	कार्यालय लेखन सामग्री एवं आकस्मिक व्यय		1.00
17.	यात्रा भत्ता		0.50
	योग :		28.276

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–19 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 17 कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग

कृषि एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1868932 हजार (एक सौ छियासी करोड़ नवासी लाख बत्तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, बजट सामग्री, साहित्य आज भी उपलब्ध नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, साहित्य की व्यवस्था की गयी है, शायद आ रहा होगा।

श्री अध्यक्ष–

साहित्य पहले ही उपलब्ध करा दिया करें। मैं इस संबंध में पहले भी कह चुका हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की आपत्ति ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि साहित्य पहले ही उपलब्ध करा दिया जाय।

कृषि एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज मुझे भी और इस उत्तरांचल प्रदेश को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कभी कहा जाता था कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज मैं माननीय पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में होने के नाते, एक संदेश देना चाह रहा हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, अपने सम्मानित सदस्यों के माध्यम से प्रदेश में एक संदेश देना चाह रहा हूं। आज हमें इस बात का फक्र है कि जो भारत कृषि प्रधान देश हुआ करता था आज इस सरकार में कबीना मंत्री होने के नाते मुझे सब साथियों को लेकर एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारा उत्तरांचल भी कृषि प्रधान श्रेणी में आ चुका है। 55.92 लाख हेक्टेयर में पूरा प्रदेश है और आज 7.84 लाख हेक्टेयर में हम खेती करते हैं, आधी सिंचित है और आधी असिंचित भी होती है और आज मुझे यह कहने में फक्र हो रहा है कि आज इस प्रदेश में 18.18 लाख मीट्रिक टन अनाज हम पैदा कर रहे हैं और आज उत्तरांचल की जो आवश्यकता है वह 14.82 लाख मीट्रिक टन की है। यह फक्र की बात है। यह संदेश इस सदन के माध्यम से प्रदेश में जाना चाहिए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है, माननीय पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी की है और यह ऐतिहासिक बजट भी है।

मान्यवर, यही नहीं जितना सरप्लस हम आज अपने प्रदेश में समझते हैं कि 3.36 लाख मीट्रिक टन अनाज है, हम समझते हैं कि सरप्लस में है। आज हमें खुशी इस बात की भी हो रही है कि हम उस अनाज को चावल के रूप में, एक बासमती के रूप में या तिलक के रूप में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में धान और गेहूं के अलावा दलहन, तिलहन, राजमा और जो भी इस तरह की प्रजातियां हैं, उसकी कमी है और आज हमारे प्रदेश ने केन्द्र सरकार के माध्यम से कई योजनाएं ऐसी कार्यान्वित की है जिससे आज हम राजमा, दलहन, तिलहन को भी उसी श्रेणी में जिस श्रेणी में आज हम गेहूं और चावल को लाते हैं इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से मक्के की खेती के लिए भारत सरकार से जो पैसा मिला था आज तक केवल 2 जनपद ही उससे लाभान्वित होते थे। आज हमारी सरकार की कोशिश है कि सम्पूर्ण प्रदेश में, 13 जनपदों में वह कार्यक्रम लागू करें जिससे मार्केट में जो कमी दिखाई देती है, वह न रहे इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में योजनाएं लागू कर दी हैं। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि गेहूं की फसल जिसे हम अत्यधिक समझ रहे हैं उसके बावजूद भी हमारी सरकार का प्रयास है कि पंत नगर विश्वविद्यालय के माध्यम से या अल्मोड़ा में जो भी हमारे वैज्ञानिक रिसर्च यूनिट हैं, उनके माध्यम से ऐसी प्रजाति पैदा करवा रहे हैं, जिनके बीजों से हम तो पैदाइश बढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा बाहर के मुल्कों में भी बढ़ सके। मान्यवर, हमने माईक्रोमोड योजना जो भारत सरकार से स्वीकृत हुई है, हमने कोशिश की थी कि उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में कई योजनाएं लागू करेंगे, परन्तु हमने 20 करोड़ रुपये की मांग की थी, जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप थी, परन्तु वह न मिलकर केवल 14 करोड़ रुपये हमको मिले फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें।

मान्यवर, आज तक पारम्परिक खेती गेहूं, चावल की होती रही है। हमने मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत कई तरह की ऐसी प्रजातियां प्रदेश के अन्दर लाने का प्रयास किया है। यहां कि भूमि की टेस्टिंग करके, यहां की जलवायु की टेस्टिंग करके। आज यह कहते हुए इस सदन के अन्दर और माननीय सदस्यों के बीच मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमने लीची में इतनी उपलब्धि की है। लीची की इतनी पैदाइश की है रामनगर और देहरादून को लीची-जोन में बदला है पिछले वर्ष 1100 कुन्तल एक्सपोर्ट होता था आज हमारा लक्ष्य 3500 कुन्तल का रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है वर्षों पहले जिस क्षेत्र में मैं आया हूं वहां भी चाय के बागान होते थे। पिथौरागढ़ में बेरीनाग ऐसी जगह है जहां डा0 दान सिंह बिष्ट जी का चाय के बागान की फैक्ट्री होती थी। ब्रिटिश कार्यकाल में चाय अंग्रेज लोग आसाम से मंगाया करते थे। आज हमारी सरकार ने उसी से लगे हुए कौसानी में प्राइवेट सेक्टर से अनुबंध करते हुए चाय कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय पादप बोर्ड द्वारा चकरौता में हर्बल बोर्ड की स्थापना की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता की है और यही नहीं जड़ी-बूटी के लिए पांच करोड़ की स्वीकृति उत्तरांचल विकास निगम को हुई है। जड़ी-बूटी हेतु प्रयास किया है। हमने हर्बल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है इसलिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तरांचल औषधालय पादप बोर्ड और उसकी एजेन्सी गोपेश्वर में रखी है।

मान्यवर, कृषकों की फसल को हानि से बचाने के लिए राज्य में फसल बीमा योजना को लागू किये जाने का प्रस्ताव हमारी सरकार का है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2002-2003 में इस योजना के लिए 3 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं एवं विभाग में उपलब्ध नवीनतम तकनीकी की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है और मान्यवर, हमने कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषक बन्धु समिति का गठन किया है। प्रत्येक माह में कृषक बंधु की बैठक कराकर कृषकों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। मान्यवर, भरसाल औद्योनी महाविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का प्राविधान आय-व्ययक में सुनिश्चित किया गया है। मान्यवर, टैक्नोलोजी के विकास हेतु एक नये कार्यक्रम के लिए वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में 10 लाख रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मान्यवर, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम समग्र जन सहयोग से 2002-2003 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

काजी निजामुद्दीन-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, देहरादून में विज्ञान कितनी प्रगति करता है यह हमें विधान सभा में आकर पता चलता है। मान्यवर, जब माननीय तिवारी जी की सरकार बनी तो लीची में फूल आ गये और पता नहीं इन्होंने कौन सी दवा छिड़की कि उसकी पैदावार सामने रखे हैं। मान्यवर, बड़ा कष्ट हुआ। माननीय मंत्री जी आंकड़े मत दीजिए लोगों की भूख देखिए यहां ए0सी0 में बैठकर भूख नहीं दिखाई देती है। मान्यवर, हमें भूख दो जगह दिखाई देती है एक तो प्रेमचंद जी के उपन्यास में और दूसरा उत्तरांचल की गरीब जनता में।

मान्यवर, एक बार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बहला रहा था कि तुम हमसे शादी कर लो तो हम तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो उस प्रेमिका ने कहा कि ऐसी बात मत करा करो जो नहीं कर सकते हो, यह सीधी बात करो कि बाजार से सब्जी ला पाओगे, आटा ला पाओगे या अन्य सामान ला पाओगे। तो माननीय मंत्री जी ऐसी बात करें जो हो सके। आंकड़े तो बहुत दिखाये जा सकते हैं।

मान्यवर, छोटे राज्य बने, छोटे राज्य बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि लखनऊ से देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग आदि दूरस्थ स्थानों तक शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की नजर नहीं पड़ती थी। मान्यवर, लेकिन उत्तरांचल बनने के बाद भी कोई उद्देश्य हाथ नहीं लगा वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है। मान्यवर, और मदों में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। 186 करोड़ रु0 का आपने बजट रखा यह निहायत ही कम है, हमने धरती को माँ माना है, माँ कभी किसी से कुछ नहीं मांगती है, और न ही आशा रखती है। मान्यवर, यहां ए0सी0 में बैठकर आंकड़े समझाये जा रहे हैं हरिद्वार आदि जनपदों में जाकर देखिये काश्तकारों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं। जहां तीन कुन्तल पैदावार होनी चाहिए थी, वह एक–डेढ़ कुन्तल पर रुक गयी है, यह बहुत ही चिंता की बात है। किसान सब्र करता है, सिर्फ सब्र के अलावा उसे कुछ पता नहीं होता है, उसे यह भी नहीं मालूम कि सरकार कृषि कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च करती है। मान्यवर, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी हैं या मेला अधिकारी। आये दिन इनकी ड्यूटी मेलों में लगी रहती है। मान्यवर, उत्तरांचल की कृषि को दो भागों में बांटना चाहिए–पर्वतीय तथा मैदानी। पर्वतीय क्षेत्रों में 13 प्रतिशत भूमि है। बम्बई, दिल्ली आदि महानगरों से लोग आकर एक–एक लाख, डेढ़–डेढ़ लाख रु0 में गरीब कृषकों की जमीन खरीदते हैं। गरीब लोगों को पैसों की आवश्यकता रहती है, इसलिए वे अपनी जमीन को बेच देते हैं, हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। मान्यवर, कृषकों को लेटेस्ट तकनीकी की जानकारी भी देनी चाहिए। मान्यवर, यहां पर कीटनाशक का तो जिक्र हुआ, लेकिन मैं समझता हूं खरपतवार का कभी भी किसी ने जिक्र नहीं किया है। एक खेत में आधा से ज्यादा खरपतवार पैदा होता है, पहाड़ की बहुत कम भूमि सिंचित है और न ही यहां सिंचाई के कोई साधन हैं और न ही फसलों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, यहां केवल चावल और गेहूं के अलावा कुछ नहीं जानते।

मान्यवर, छोटा किसान और बड़ा किसान की बात मेरे समझ में नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा किसान होगा वह साढ़े 12 एकड़ जमीन वाला होगा। किसान तो हमेशा ही छोटा है। मान्यवर, कैश क्रोप्स वहां पर बोई जानी चाहिए जिससे कि ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ऊंचाई पर खेती कर रहे हैं वहां उनको पूछने वाला कोई नहीं है, रामदाना पर पिछले साल भी कीड़ा लगा। वह खेती करके पैदावार तो करेगा लेकिन मार्केटिंग कहां करे। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, वहां के लोगों को प्रोत्साहित करें, और वहां क्षेत्रीय मण्डियां बन जायें, इससे वहां मार्केटिंग की स्थिति ठीक हो जायेगी। प्लेन्स में मशीनों के बारे में कोई, जानकारी नहीं है वहां पर ईख बो दिया, गेहूं बो दिया। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मंगलौर में दुकानदार को डाक्टर कहते हैं। मान्यवर, एक गम्भीर विषय है अन्डर ग्राउन्ड जल स्तर गिरता जा रहा है, ट्यूबवेलों का जल कम होता जा रहा है, अभी तक कृषि विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं

दिया, अगर ड्रिप एरिगेशन को प्रोत्साहित किया जाय तो ड्रिप एरिगेशन से बहुत बड़ी मात्रा में पानी की बचत की जा सकती है। उत्तरांचल में नहरों में पानी बन्द हो जाता है, उनसे पूछा जाता है कि पानी बन्द क्यों हो गया तो वह कहते हैं कि ओम प्रकाश जी के आदेश हैं। परम्परागत फसलों के अलावा माननीय मंत्री जी स्ट्राबेरी, मशरूम आदि चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों को फायदा हो सकता है।

मान्यवर, राईस मिल्स के बारे में बताना चाहता हूं वह बन्द होने के कगार पर आ गई हैं। उन्हें विद्युत बिलों में छूट होनी चाहिए क्योंकि यह सिजनल काम है। मान्यवर, आज साइंस का दौर है तीन महीने में लौकी की फसल तो हो गयी लेकिन आस्ट्रेलिया डेनमार्क में फलों के उत्पादन में जो काम हो रहा है वह हमें आज तक देखने को नहीं मिला वहां ग्लास हाउस के माध्यम से फलोत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हो रही है लगभग 10–10 गुना ज्यादा पैदावार हो रही है तथा फलों को आंधी तूफान से भी काफी हद तक बचाया जा सकता है शायद यहां ग्लास के बारे में किसी को जानकारी ही न हो। इंश्योरेन्स की प्रणाली को सरल बनाया जाय। मान्यवर, एक सवाल माननीय श्री नव प्रभात जी से भी है कि वे पॉलिथीन को बन्द करवा दें, यदि पॉलिथीन रही तो कृषि शब्द किताबों में ही रह जायेगा खेतों में तो केवल पॉलिथिन ही दिखाई पड़ेगी वह कभी नष्ट भी नहीं होती। मान्यवर, आज जैनिटिक इंजीनियरिंग का दौर चल रहा है उससे बहुत उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किसान से संबंधित मान्यवर एक समस्या बड़ी गम्भीर है किसान गेहूं, चावल आदि जो कुछ बोता है उसके लिए बीज, खाद आदि उसे नगद रूप में लेना पड़ता है वह उधार नहीं कर सकता लेकिन जब वह अपनी फसल बेचता है तो उधार में बेचता है। माह अप्रैल में गेहू की कटान शुरू हो गई थी किन्तु अभी तक उसे उसका भुगतान नहीं मिला वह जो भी ऋण लेगा उसे उस पर ब्याज देना होगा लेकिन उसका कोई इन्टरेस्ट नहीं मिलता। मान्यवर, फसल बोने से पहले उसका समर्थन मूल्य किसान को पता चल जाना चाहिए ताकि वह अपने हिसाब से तय कर ले कि वह फसल उसे बोनी चाहिए या नहीं। मान्यवर, आप कृषि एक्सपोर्ट की बात करते हैं जो बड़े किसान करते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि छोटा किसान भी इस बात को महसूस करे कि वह भी एक्सपोर्टर है। आज एग्रोफारेस्ट्री का जमाना है हमारे कई मंत्री आस्ट्रेलिया खूब जा रहे हैं कोई नये पेड़ पौधों के बारे में वहां से जानकारी लेकर आयें, जो जल्दी तैयार होते हों और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हों।

मान्यवर, ट्रैक्टर और पावर थ्रेसर खरीदने के लिए सब्सिडी बहुत कम है। कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आदमी पहले कोई कारोबार करे, फिर यह सामान खरीदे और उसके बाद खेती करे, आज यह स्थिति हो गयी है। कीटनाशक दवा छिड़कने के यंत्र की बात आज कृषक से करें तो वही पुरानी कंधे में टांगने वाली या पैर से चलने वाली मशीन की तरफ उसका ध्यान जाता है। पावर मशीन के विषय में तो वह कुछ जानता ही नहीं है। हमारे पास कृषि का खजाना है फिर भी हम दर–बदर धक्के खा रहे हैं हमारे यहां पंतनगर विश्वविद्यालय के होते हुए भी चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि अगर बीज पर सब्सिडी दी जायेगी तो पैदावार कहीं की कहीं पहुंच सकती है। मान्यवर, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं मैं अपने पास गेहूं स्टोर कर लेता हूं क्योंकि बुवाई के समय मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता कि मैं बीज खरीद सकूं। इसलिए बीज पर सब्सिडी होना आवश्यक है। दालों पर सब्सिडी दी गयी है

लेकिन सिर्फ चना, मटर, मसूर आदि पर, उरद तथा मूंग पर सब्सिडी नहीं दी गयी है। तिलहन में मूंगफली पर सब्सिडी दी गयी है लेकिन सरसों पर, तिल पर और अलसी पर सब्सिडी नहीं दी गयी है। कीटनाशक रसायनों में कहीं कोई सब्सिडी नहीं है। कृषि विभाग के बारे में बताना चाहता हूं, आज हमारे हरिद्वार जनपद में मात्र एक कृषि अधिकारी है और उसके पास भी भूमि संरक्षण और अन्य विभागों का एडीशनल चार्ज है। वह कृषि विभाग को देखेगा या भूमि संरक्षण को। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उसकी सहायता के लिए 7 और अधिकारी हुआ करते थे। मंगलौर में आज ए0डी0ओ0, एग्रीकल्चर नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग में स्टाफ की बहुत कमी है और जो अधिकारी नियुक्त भी हैं, उनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने अपने यहां कृषि अधिकारी से एक भूमि की पी0एच0 पूछी तो वह नहीं बता पाया, जबकि उसे यह सब बातें रटी होनी चाहिए। मैं एक शेर कहते हुए अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं–

"भूख मिटा दे, भूख बहुत अहम है।
जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है,
तब यह जर्रा हीरा है, तब यह शबनम मोती है।"

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, काजी निजामुद्दीन जी से सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने जोशीले भाषण में जो बात की और ऐसा लगा कि जैसे इस सरकार ने कुछ विशेष काम कर लिए, 3 माह में गेहूं की फसल हो गयी, 3 माह में धान की फसल हो गयी, कोई शोध कर लिया। ऐसा कोई शोध यदि वास्तव में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा।

मान्यवर, मुझे 2–3 बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना है सरकार का, एक तो निरन्तर प्रगति के लिए जरूरी है कि शोध होता रहे और जो भाषण मैं पढ़ रहा था इस बजट में तो कहीं भी शोध कार्य के लिए कोई व्यवस्था की गयी है, इसका जिक्र नहीं है। यदि हम कृषि को उन्नत करना चाहते हैं और समय की मांग के अनुसार चलना चाहते हैं तो इस पर निरन्तर शोध की आवश्यकता है, उसका कहीं न कहीं प्रावधान होना चाहिए और तभी हमारे जो कृषक हैं वे परम्परागत खेती से और उसको आज के युग के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। उत्तरांचल की कुछ विशिष्ट उत्पादन जैसे उत्तरकाशी जिले का यमुना घाटी का जो क्षेत्र है, यहां का लाल चावल बहुत प्रसिद्ध है और इसकी बहुत मांग रहती है और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, यदि इस बजट में उसके संरक्षण की मांग होती तो ठीक होता। माननीय मंत्री जी जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां की मूंगफली बहुत स्वादिष्ट है, 4 दानों वाली। मैं जब वहां गया और मुझे पता चला कि चम्पावत में इतनी अच्छी मूंगफली होती है तो मुझे आश्चर्य हुआ। मान्यवर, ये परम्परागत चीजे हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है और उस पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। राजमा है, उड़द पहाड़ की बहुत अच्छी है, बहुत डिमाण्ड रहती है उसकी, उसके भी संरक्षण की बात होनी चाहिए। झंगोरा या सांवा चावल की बहुत मांग होती है अब जिसका उत्पादन हमारे यहां बन्द हो गया। लोगों ने मुझे बताया कि डायबिटीज के लोग भी इसे

खाते हैं, शुगर के रोगी इसे प्रयोग करते हैं और लाभ भी होता है तो इसके संरक्षण की बात होनी चाहिए। ओगल या कुट्टू के लिये भी संरक्षण होना चाहिए। मेरा आशय यह नहीं है कि हमको उधर लौटना चाहिए, लेकिन जो हमारी विशिष्टता है, जिसके नाते हमारी पहचान बन सकती है उसका सामंजस्य हमको बैठाना चाहिए। दूसरी बात हमारे यहां जो गन्ने की किस्म आ रही है, जो बीज आ रहा है उसका उत्पादन एक तिहाई हो गया है जैसा कि निजामुद्दीन जी कह रहे थे कि किसान की आंखों में आँसू हैं और यह वास्तविकता है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे किसान हैं, वे भी अत्यन्त परेशान हैं। कृषि भूमि लगातार भवनों में परिवर्तित होती जा रही है। देहरादून का एक खास किस्म का गन्ना है–काला गन्ना और विशेष रूप से रस के लिए उसकी डिमाण्ड होती थी और आज वह गायब हो गया है। ऐसी उपयोगी गन्ने की नस्ल का भी संरक्षण होना चाहिए।

मान्यवर, इसके लिए कहीं न कहीं जो कृषि योग्य भूमि लगातार भवनों के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, वास्तव में यह भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे यहां तो वैसे भी जंगल अधिक हैं। मान्यवर, माननीय काजी निजामुद्दीन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विस्तार से चर्चा की और अपनी उपलब्धियों को गिनाया। मान्यवर, लीची का जिक्र आया तो लीची में लक्ष्य बहुत अधिक निर्धारित किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो आय–व्ययक के अनुमान रखे गये हैं, इसमें इन्होंने बहुत कम प्राविधान किया है। मान्यवर, देहरादून की लीची बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें बारिश में कीड़े लग जाते हैं और फिर वह किसी काम की नहीं रहती है। लीची पक नहीं पाती है। मान्यवर इसमें अनुसंधान होना चाहिए था। जो बजट रखा गया है उसमें कृषि रक्षा के मद में धनराशि शून्य कर दी गई है। मान्यवर, एक कुरमुला कीट होता है जो फसल को बिल्कुल चौपट कर देता है। इसके लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मान्यवर, जबकि पिछले बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया था। मान्यवर, जो पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय है, यह विडम्बना है कि वह तराई में है। तराई क्षेत्र में खेती अधिक होती है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 67 प्रतिशत वन भूमि है और 17 प्रतिशत भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य है। यह अधिकतर तराई में है और तराई में ही पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय है। रानीचौरी में कृषि विश्वविद्यालय की एक शाखा की स्थापना हुई है। मान्यवर, छोटी जोतों के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है कि कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाये। इस पर विचार नहीं किया गया है। मान्यवर, जो 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई यह कृषि से ही सम्भव हो सकता है। मान्यवर, मैं माननीय काजी निजामुद्दीन जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जब यहां का किसान सम्पन्न होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश सम्पन्न होगा। यहां किसान सम्पन्न होगा पैसे से। मान्यवर जो क्रॉपलोन की बात आती है आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। इस क्रॉपलोन का कोई आधार नहीं है। जिस किसान के पास 10 बीघा जमीन है उसे भी क्रॉपलोन दिया जाता है एक लाख रुपये का और जिस किसान के पास 100 बीघा जमीन होती है उसे भी एक लाख रुपया क्रॉपलोन मिलता है जबकि एक लाख से पांच लाख रुपये तक क्रॉपलोन लेने का प्रावधान है लेकिन जब किसान एक लाख से ऊपर का लोन लेता है तो उसे 14 हजार की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। मान्यवर स्टाम्प ड्यूटी फ्री होनी चाहिए। दूसरा जो बीज नये प्रजातियों के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है उसके रेट्स में जमीन आसमान का अन्तर है बाजार में गेहूं 600 रु0 कुन्तल मिलता है तो आपको यहां 1200 रुपया कुन्तल। इसमें संयोजन होना चाहिए। हरिद्वार जिले में काफी बाग की खेती होती है। बाग की खेती के लिए एक निश्चित नियम बनाना चाहिए। भट्टे उस क्षेत्र से दूर होने चाहिए क्योंकि बागों के ऊपर भट्टों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। भट्टों को बागों से दूर होना चाहिए। फर्टिलाइजर किसानों को अच्छे किस्म का नहीं मिल पा रहा है। भगवानपुर में एक ऐसी फर्टिलाइजर की फैक्टरी चल रही है उसका क्या मानक है वह अपने गुणवत्ता पर खरी नहीं है। स्ट्रेटा की बात, आज पानी का स्ट्रेटा कम होता जा रहा है इसको कम होने से बचाने के लिए छोटी-छोटी कैनाल बनायें इससे सिंचाई का साधन तो उपलब्ध होगा ही, स्ट्रेटा भी निश्चित रूप से ऊपर आएगा। मान्यवर, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए काजी निजामुद्दीन की बातों पर बल देता हूं।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, आज खेती प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक ऐसा आधार है जिससे हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मान्यवर हमें कृषि के ऊपर कुछ बदलाव लाना होगा। आज किसान के आंकड़े बता रहे हैं कि खेती अनइकानॉमिकल हो गयी है, किसान नीचे को जा रहा है और आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान की दशा दयनीय होती चली जा रही है। हम एक चीज माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि यहां जो विश्वविद्यालय हैं उसमें माननीय मंत्री जी, किसान के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हॉयर एजूकेशन ले रहे हैं, यह बता पायेंगे। किसान का बच्चा गांव की प्राइमरी पाठशाला में दाखिला लेने के बाद छठी कक्षा तक नहीं पहुंच पाता है। उसके पास दाखिले के लिए पैसा नहीं है। कौन सा ऐसा किसान है जिसने बैंक से कर्जा न ले रखा हो। कौन कर्जा लेना चाहता है जब पैसा नहीं होता है तभी वह कर्जा लेता है। आज सौ प्रतिशत किसान कर्जे में डूबे हैं।

मान्यवर, खेती के कीड़ों के लिए जो दवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं वह असरदार नहीं हैं, उससे कीड़े नहीं मर रहे हैं। तो मान्यवर, इस तरह की दवाई न दी जाय। सरकार को इनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, खाद की महंगाई, बीजों की महंगाई, ट्रैक्टरों की कीमत में बढ़ोत्तरी कीटनाशक दवाईयों की डुप्लीकेसी पर सरकार का ध्यान न होने से किसान लोग परेशान हैं। मान्यवर, हर तहसील में एक बंदीगृह बनाया गया है और वह किसानों के लिए है। आम आदमी जेल जाता है पर किसान तहसील के बंदीगृह में बन्द किया जाता है। मान्यवर, किसानों को 15-20 दिन के लिए

बन्द कर दिया जाता है और फिर उनसे पैसे मांगते हैं अगर वे नहीं देते हैं तो कुछ दिन बाद फिर उनको बन्द कर देते हैं। मान्यवर, बड़ा दुःख होता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां पर किसानों को बंदीगृह में बन्द करके उनकी बेइज्जती की जाती है। यह अच्छा नहीं है। मान्यवर, यह परम्परा बदलनी होगी, इसके लिए ध्यान देना होगा। मान्यवर, आप जितना कर्जा दे सकते हैं उतना दीजिए, पर आप खुद सोचिये कि इस महंगाई के जमाने में किसान उन कर्जों को वापिस कैसे कर सकता है और जब नहीं वापिस कर पाता है तो उसे बंदीगृह में डाल दिया जाता है। मान्यवर, आज सरकार को किसानों के प्रति रुख बदलना होगा। मान्यवर, विदेशों की जो गुणवत्ता है हमारे किसानों को उस गुणवत्ता तक पहुंचना होगा।

मान्यवर, जो गुणवत्ता विदेशों की है अभी हम उन मानकों तक नहीं पहुंच पाये हैं। अगर वर्तमान परिवेश में हमने डब्लू0 टी0 ओ0 को ध्यान में न रखा तो हम आधुनिकतम तकनीकी के क्षेत्र में और पिछड़ जायेंगे। हमें कृषि विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वह अपने कृषि सम्बन्धी जो पाठ्यक्रम हैं उनमें तब्दीली लायें जिससे हमारे किसान आधुनिकतम तकनीकी से जागरूक हों। मान्यवर, हमें भी हिमाचल प्रदेश की तरह साल भर का एक खाका बनाना होगा, जैसे कि हिमाचल में बनाया जाता है। इसमें यह भी उल्लिखित होता है कि किस माह में कितने टैम्प्रेचर पर कौन सी फसल उगायी जाती है। इसी आधार पर हमें अपने प्रदेश के किसानों को जानकारी देनी होगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

मान्यवर, पर्वतीय कृषि की और तराई क्षेत्र की कृषि की स्थिति भिन्न है। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े रखे वे तराई के आधार पर रखे हैं, लेकिन पर्वतीय कृषि के लिए कोई विशेष उसके संवर्धन के लिए कृषि के लिए ग्रामीणों को उन्नत बीजों का प्रयोग, कृषि यन्त्रों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी परम्परागत खेती को छोड़ते चले जा रहे हैं और खेती का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। खेती के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिन नहरों से पानी आता था, वे नहरें सूखती चली जा रही हैं। नदियों का स्तर नीचा है। हमें पर्वतीय क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना होगा, यहां आलू की पैदावार बहुत अधिक होती है, यह पैदावार ऐसे समय में होती है, जब मैदानों में आलू नहीं होता है। लेकिन बरसात में सड़क टूट जाने के कारण, वह आलू सड़ जाता है, मान्यवर, इसके लिए हमें समुचित व्यवस्था करनी होगी।

मान्यवर, यहां आलू को कोल्ड स्टोरेजों में स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है जिससे बड़ी मात्रा में आलू बरबाद हो जाता है। मान्यवर, मेरी चिन्ता यह है कि जो हमारे कैश क्रोप्स हैं जैसे राजमा, रामदाना आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो इन फसलों का उत्पादन करते हैं उनको संरक्षण भी राज्य सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। इनके बीजों में कीड़ा लग गया या ओला वृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो गयी तो उनको पैदावार नहीं मिल पायी, वह अगली बार इसे बोने के लिए डरते हैं, उनको बीज का पैसा भी नही मिल पाता है। हमारा पंत नगर विश्वविद्यालय है इसकी एक शाखा रानीचौरा में भी, हमारे पर्वतीय किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर पर्वतीय क्षेत्र के

न्याय पंचायत स्तर पर कृषि संबंधी कार्यालय खोल दें जो उनको उर्वरक, उन्नत प्रकार के बीज, कृषि संबंधी और भी जानकारियां दें। इस तरफ सरकार को प्रयास करना चाहिए, इससे कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जो किसान इससे विमुख होते जा रहे हैं, उनको इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अधिक न बोलते हुए मैं माननीय सदस्य निजामुद्दीन भाई के कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आभारी हूं अपने माननीय सदस्यगणों का कि उन्होंने बड़े भावनात्मक सुझाव यहां पर रखे। मुझे खुशी है, परन्तु कष्ट भी है हो रहा है कि हमारा बजट भाषण आप लोगों तक नहीं पहुंचा। इसमें हर बिन्दु को आपकी भावनाओं के अनुसार रखा गया है। इसमें 90 प्रतिशत जो है वह भारत सरकार की सहायता से चलायी जा रही है। धान के बीज एवं वितरण को सुदृढ़ करते हुए पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर जो आपकी आशंका थी कीड़े की, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कुर्मूला आदि की रोकथाम के लिए रसायनिक उर्वरकों की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, कीटनाशकों पर 50 प्रतिशत अनुदान कराया जायेगा। एक आशंका और थी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मिलावटी एवं नकली दवाओं तथा उर्वरकों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने हेतु राज्य में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की बहुत आवश्यकता थी। अतः प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 152.9 लाख की राशि रखी है पांच जनपदों में प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी मैं अपनी बहन का बहुत आभारी हूं तराई क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में कोई अन्तर होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं भी उसी देश का रहने वाला हूं, वहां से ही यहां पर आया हूं। यहां पर आलू की खेती बहुत होती है। हमारे एक भाई ने मूंगफली की बात कही कि बजट में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। हमने इस बजट में यह सब बातें रखी हैं। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में एक टीस थी और आज माननीय तिवारी जी के मंत्रिमण्डल में रहते हुए उस टीस को निकालना चाहता हूं। अभी माननीय बीमा साहब ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं ? यह टीस मेरे मन में भी थी आज हमने यह व्यवस्था की कि प्रयोगशाला अब कमरे के अन्दर नहीं रहेगी, लैब फील्ड में काम करेगी, आज तक होता यह था कि लैब कमरे के अन्दर परीक्षण करती थी वह जलवायु तथा मिट्टी की टेस्टिंग करके नहीं हमारी जमीन को देखकर नहीं। मुझे खुशी है कि आज जैसे सम्मानित साथियों ने मुझे मौका दिया इस बजट को पेश करने का, मैं सभी सदस्यों से गुजारिश करूंगा परिव्यय पर अपनी सहमति प्रदान करें। (धन्यवाद)

श्री अध्यक्ष–

निजामुद्दीन जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी का भाषण मुझ तक नहीं पहुंचा, तो यह जनता तक कैसे पहुंचेगा। मंत्री जी जब माननीय विधायकों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आम जनता को क्या पहचानेंगे। मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर और अधिक बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1868932 हजार (एक सौ छियासी करोड़ नवासी लाख बत्तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 3.45 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3.45 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

अनुदान संख्या–1, विधान सभा विभाग

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1, विधान सभा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 42768 हजार (चार करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–1, विधान सभा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनरशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 42768 हजार (चार करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–3, मंत्रिपरिषद् विभाग

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3, मंत्रिपरिषद् विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 34524 हजार (तीन करोड पैंतालीस लाख चौबीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–3, मंत्रिपरिषद् विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 34524 हजार (तीन करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 71906 हजार (सात करोड़ उन्नीस लाख छः हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है जो जनता एवं शासन की मदद से भूमिका निभा रहा है। शासन के विभिन्न कार्यों को, निर्णयों को जो जनहित में किये जाते हैं, उनकी सूचना का प्रसारण राज्य और राज्य के बाहर भी करता है और प्रदेश की क्या भविष्य की योजनाएं हैं उस स्वरूप की भी जानकारी देता है, विभिन्न संचार माध्यमों से। देश एवं प्रदेश के विभिन्न समाचार–पत्र, पत्रिकाओं में, रेडियो में, दूरदर्शन में, फिल्म द्वारा गीत एवं नाट्य द्वारा एवं विभिन्न प्रचारात्मक प्रकाशनों, सरकार के संकल्पों को, प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी जन–जन तक पहुंचाने का कार्य यह विभाग करता है।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2002–2003 में विभिन्न योजनाओं, कार्यों के सम्पादन हेतु अनुदान संख्या–14 के तहत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के विभिन्न उप लेखाशीर्षकों / मानक मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001–2002 में आयोजनागत पक्ष में 71,21,000 रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसके सापेक्ष 53,98,250 रुपये का

बजट अवमुक्त हुआ। आयोजनेत्तर पक्ष में 10,28,18,000 रुपये के स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष 8,20,51,750 रुपये अवमुक्त तथा 3,35,27,926 रुपये व्यय किये गये। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कुल रुपये 9,53,86,000 जिसमें आयोजनागत पक्ष में 6,82,000 तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 2,27,98,000 अर्थात कुल रु0 दो करोड़ चौतीस लाख अस्सी हजार मात्र का प्राविधान किया गया था। विभागीय कार्य–कलापों के संचालन के लिए विभाग में विभिन्न प्रभाग कार्यरत हैं। मान्यवर, प्रेस प्रभाग–शासन से संवाद स्थापित करने के लिए श्रमजीवी पत्रकारों की सुविधाओं तथा सहुलियतों की व्यवस्था प्रेस प्रभाग करता है। माननीय मंत्रीगण तथा उच्चाधिकारियों आदि से सुविधाजनक रूप से सम्पर्क बनाने के लिए समाचार–पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश–पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को सड़क परिवहन निगम द्वारा साधारण बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

मान्यवर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में स्थायी जिला स्तरीय समितियां गठित करना है जो समय–समय पर बैठक आयोजित कर पत्र प्रतिनिधियों की शिकायतों पर विचार करती हैं। पत्रकार संस्थाओं द्वारा आयोजित सम्मेलनों में श्री राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा पत्रकारों के सम्मेलनों तथा उनके आदेशानुसार प्रदेश के बाहर के पत्रकारों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना प्रेस प्रभाग का कार्य है। मान्यवर, निरीक्षा शाखा–सूचना संबंधी कार्यों का एक महत्वपूर्ण प्रभाग निरीक्षा शाखा है। निरीक्षा शाखा द्वारा समाचार–पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन एवं प्रेस मान्यता सूची में शामिल करने के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने हेतु भाषा, स्वर नीति आकार व नियमित प्रकाशन आदि की आख्या भी तैयार की जाती है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से प्रकाशित होने वाले सभी समाचार–पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा इस शाखा द्वारा की जाती है। प्रतिदिन महत्वपूर्ण समाचारों से सम्बन्धित समाचार कतरनों की पत्रावली मा0 मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियों आदि को प्रेषित की जाती है। साथ ही जनसमस्याओं से सम्बन्धित समाचार एवं सुझावों को शासन के संज्ञान में लाने के साथ ही उनके निराकरण हेतु कतरनें सम्बन्धित विभागों को सन्दर्भित की जाती हैं। सूचना ब्यूरो द्वारा प्रतिदिन शासन की योजनाओं/उपलब्धियों से सम्बन्धित प्रेस नोट, लेख विभिन्न समाचार माध्यमों को उपलब्ध कराये जाते हैं। निदेशालय में इन्टरनेट सुविधा से युक्त कम्प्यूटर की व्यवस्था इस निमित्त की गई हैं। विधान सभा स्थित मीडिया सेन्टर को भी सभी उपकरणों से सुसज्जित और अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। जिसका उद्घाटन 14 जून को सदन उठने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। विधान सभा स्थित मीडिया सेन्टर सभी जानकारी, सुख–सुविधाओं से युक्त होगा। इसमें पठन–पाठन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसके उद्घाटन समारोह में भाग लें। इस मीडिया सेन्टर की बड़ी आवश्यकता थी। जब मैं विपक्ष में थी, तब भी मैंने इसकी मांग की थी, लेकिन तब मीडिया सेन्टर नहीं बन सका था, जगह की कमी थी। ऊपर जब निर्माण कार्य पूरा हो गया तभी इसे बनाना सम्भव हो पाया। मीडिया सेन्टर बनने से पत्रकार बन्धुओं को कार्य करने में सुविधा होगी। हमने कार्यभार सम्भालते ही मीडिया सेन्टर बनाने की बात कही थी।

इस पर मैं लगातार लगी रही। साल भर से पहले यह नहीं बन सका। मैं निवदन कर रही हूँ कि मीडिया सेन्टर पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार है। विभागीय अधिकारी और सचिव जी से मैं अनुरोध करूँगी कि आप माननीय मंत्रीगणों को और माननीय सदस्यों को इस मीडिया सेन्टर के उद्घाटन पर आमंत्रित करें। हम जो कमिटमेन्ट करते है उसका पालन होना चाहिए, ईमानदारी से पालन होना चाहिए। स्थान के अभाव के बावजूद भी हमने इस मीडिया सेन्टर को तैयार किया। सदन उठने से पहले हम इसका 14 तारीख को उद्घाटन करेंगे। स्थान के अभाव में इसे बनाने में हम सफल रहे। यह संकल्प के कारण ही ऐसा हो सका। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम जो घोषणा करें, उसका पालन गम्भीरता से यथा समय और पूरी ईमानदारी से करें।

विभिन्न सास्कृतिक दलों द्वारा गीत नाट्य योजना के अन्तर्गत शासन की नीतियों का प्रचार, स्थानीय भाषा, बोली व संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर लिया जाता है। प्रकाशन शाखा के अन्तर्गत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका उत्तरांचल दर्शन, सूचना निदर्शिनी तथा कैलेण्डर एवं शासन की योजनाओं उपलब्धियों पर फोल्डर, प्रचार साहित्य आदि का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय समारोह के अन्तर्गत देश व प्रदेश की राजधानियों में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि पर होने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था इस शाखा द्वारा की जाती है।

फोटो/फिल्म शाखा के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा विकास योजनाओं से सम्बन्धित चित्र तैयार कर समाचार-पत्रों को उपलब्ध कराये जाते है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों का कवरेज कराना एवं फीचर स्टोरी तैयार कर दूरदर्शन को प्रसारण हेतु उपलब्ध कराना। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा शासन की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कराया जाता है।

प्रदर्शनी शाखा का कार्य शासन की प्रमुख नीति, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को, आकर्षक चित्रों के माध्यम से क्षेत्रीय मेलों तथा अल्प सामहित आयोजनों के अवसर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शासन का संदेश पहुँचाना है।

क्षेत्र प्रचार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में जिला सूचना कार्यालय तथा सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जो जनपद स्तर पर होने वाले विकास कार्यों/योजनाओं नीतियों आदि के प्रचार प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति विचार गोष्ठी आदि का आयोजन करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शीघ्र ही दिल्ली में सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रयास विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु सभी सूचना कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कराया जा रहा है।

प्रदेश की सूचना नीति को और व्यवहारिक, पारदर्शी एवं पत्रकारों के लिए बहुउपयोगी बनाने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन हेतु पत्रकार संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गये हैं। ताकि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पत्रकारों तथा इन क्षेत्रों से प्रकाशित हाने वाले लघु समाचार-पत्रों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य में पत्रकार कल्याण कोष की शीघ्र स्थापना कर दी जायेगी। इसके साथ ही साथ पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। हमारी सरकार प्रदेश में पत्रकारों के कल्याण हेतु पेंशन एवं सामूहिक बीमा योजना लागू

करने के साथ-साथ उनकी आवासीय समस्या के निस्तारण के लिए भी कार्य कर रही है और इस दिशा में शीघ्र ही आशाजनक परिणाम सामने आयेंगे। राज्य सरकार लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों की समस्या के निस्तारण के लिए कारगर कार्य कर रही है और इन समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों में शीघ्र ही वृद्धि कर रही है। पत्रकारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार जिला स्तर पर पत्रकार बन्धु का गठन करेगी। जो जनपद के पत्रकारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्य करेगी। सरकार परिवहन निगम गठित होने तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तरांचल में चल रही निजी परिवहन कम्पनियों जैसे गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं विकास निगम को निर्देशित कर दिया गया है।

मान्यवर, सूचना तंत्र प्रदेश को सुव्यवस्थित रूप से देने के लिए सरकार सूचना तंत्र को मजबूत बना रही है। मान्यवर, सूचना मीडिया सेन्टर को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से विचार कर रही है।

मान्यवर, हमारी सरकार का पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करना सर्वोच्च प्राथमिकता में है और हम सूचना के अधिकार को जनाधिकार बनाने के लिए विधि विशेषज्ञों, मीडिया कर्मियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर इसके लिए एक आदर्श बिल भी प्रस्तुत करेंगे। सरकार द्वारा राज्य में प्रेस क्लबों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा सूचना निदेशालय और मीडिया सेन्टर को जिला सूचना कार्यालयों से इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जायेगा। जिससे जिले की समस्त सूचनायें तत्काल राज्य मुख्यालय पर प्राप्त हो सके और उसे यथासमय मीडिया को उपलब्ध कराया जा सके। सरकार इसके लिए जिला सूचना कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत भी करेगी। जिसके लिए जिला योजना के अन्तर्गत बजट का प्राविधान भी कराया गया है।

मान्यवर, हमारी बैठक पत्रकारों के साथ हुई जिसमें उनकी मांग थी कि उनके कल्याण कोष की व्यवस्था की जाय, तो उनकी इस मांग के रूप में हमने निर्णय लिया कि पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की जाय। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2002-2003 में बजट प्राविधान 5 लाख कर दिया है। कल्याण कोष की नियमावली तैयार की जा रही है जिस पर पत्रकार संगठनों से सुझाव भी मांगे जायेंगे।

मान्यवर, पत्रकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार पत्रकारों को राजकीय चिकित्सालयों में किये गये उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति सूचना विभाग से करायी जायेगी। इसका शासनादेश शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा। मान्यवर, पत्रकार बीमा योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 में पत्रकार बंधु आधा देते थे और आधा सरकार की ओर से जाता था, मान्यवर, जब इसका पूरा विवरण प्राप्त किया तो हमने निर्णय दिया कि बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम का समस्त भुगतान शासन द्वारा वहन किया जायेगा। मान्यवर, हमारे पत्रकार बन्धु बार्डर पर जाते हैं उनका जीवन जोखिम भरा है इसलिए निर्णय लिया गया है उनकी प्रीमियम का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, यहां पर पत्रकारों के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की भांति श्रमजीवी पत्रकारों को आवासीय सुविधा दिलाये जाने के लिए श्रमजीवी पत्रकारों से आवास के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये हैं। उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार भूखण्ड की उपलब्धता तथा उस पर होने वाले व्यय का आंकलन कर प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

मान्यवर, मान्यता समिति का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य होता है, इनकी भी कुछ नियम नियमावली है, जिनमें इनके संगठन के लोग प्रस्ताव देते हैं। अभी तक हमारे पास केवल दो प्रस्ताव आये हैं। मान्यता समिति एवं विज्ञापन समितियों के लिए निर्धारित मानक हैं सभी पत्रकार बंधु अपनी भागीदारी नीति निर्धारण में सुनिश्चित करेंगे यह मेरी आशा है। यहां पर एक समान दर लागू हैं। यहां की और उत्तर प्रदेश की दरों में अन्तर है। उत्तर प्रदेश में ये दरें रु0 14 हैं और यहां पर 9 रु0 90 पैसा है। यह दर उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है। इस संबंध में पत्रकार संगठनों की हमसे वार्ता हुई। हमने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए ये दरें बढ़ाने का आश्वासन दिया। पत्रकारों के कल्याणार्थ हमने कई योजनाओं को बजट में शामिल किया है। मान्यवर, अभी हमारा परिवहन निगम गठित नहीं हुआ है, निगम गठित होने तक सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तरांचल में गढ़वाल विकास निगम तथा कुमाऊं विकास निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देगी। हम जल्द ही दिल्ली में प्रेस का सूचना केन्द्र खोलने जा रहे हैं। सरकार ने प्रेस एवं विज्ञापन नियमावली की आवश्यकता महसूस की, इस संबंध में प्रेस संगठनों से सुझाव मांगे गये हैं। हम एक निजी प्रेस प्रिन्ट लाईन बना रहे हैं जो समाचार-पत्रों की एकरूपता का निरीक्षण करेगी। सुधार न होने पर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। जिन समाचार-पत्रों का भुगतान लम्बित है, उनकी भुगतान राशि में परिवर्तन कर तद्नुसार नियमावली में संशोधन कर भुगतान किया जायेगा।

मान्यवर, हमने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मीडिया सेन्टर तैयार किया है, इसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग मिला। किसी भी दिन समय मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें कार्यरत सभी समाचार-पत्रों को समुचित स्थान दिया जायेगा चाहे वे क्षेत्रीय समाचार-पत्र हों या राष्ट्रीय समाचार-पत्र। मान्यवर, हमारा राज्य नया होने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में यहां कुछ कठिनाईयां हैं, इनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, हमारी क्या कठिनाईयां हैं उनके निस्तारण के लिए विधिवत् कार्यवाही करने का आश्वासन दे दिया है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि सभी राजाज्ञायें निर्गत कर दी जायेंगी। जो लोग सरकार में रहे हैं उन्होंने नजदीक से देखा है और जो पहली बार आने का मौका मिला, समाचार-पत्रों और समाचारों को प्रेषित करने में आपके सुझाव आयेंगे उनका सरकार स्वागत करेगी, जिन्हें समाहित करने का प्रयास सरकार करेगी।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी हमने माननीय मंत्री जी से कहा था कि आप सूचना विभाग का बजट रखेंगी तो बता देना कितना है हम उसको सर्वसम्मति से पास करेंगे, जब उन्होंने वर्णन शुरू किया, मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सूचना विभाग का जो टोटल बजट रखा वह 9 करोड़ 53 लाख 86 हजार रखा गया है, इस बजट का 75 प्रतिशत भाग विज्ञापनों के लिए अलग निकाल दिया गया है। कहीं भी इस बजट में यह नहीं बताया गया कि जो हमारे 13 जिले हैं उनमें सूचना अधिकारी किन-किन जिलों में नहीं हैं, यह

किस तरह काम कर रहे हैं। एक सूचना अधिकारी किस तरह सूचना कलैक्ट करेगा, वहां पर भवन है कि नहीं है ? कहीं इसका वर्णन नहीं किया गया है। उनके अधीन जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनकी नितान्त कमी है उनके लिए बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। सूचना अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी बहुत देर तक वर्णन किया गया कि हमने पत्रकारों की यात्रा के लिए डी0जी0एम0ओ0 और जी0एम0ओ0 में व्यवस्था कर दी है। डी0जी0एम0 और जी0एम0ओ0 का शोषण करेंगे, इसका मतलब है कि वह मुफ्त में जायेंगे, आप उसके लिए बजट में व्यवस्था करें।

मान्यवर, कहा जाता है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है बड़ी जिम्मेदारी होती है उन पर यह बात सच है लेकिन सबसे ज्यादा संकट में आज पत्रकार ही हैं चाहे आप कश्मीर में देख लें या किसी अन्य जगहों पर कहीं भी पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको सरकार क्या सुरक्षा देने जा रही है जो बार्डर पर जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए सरकार ने इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर यह कहा जाता कि हम पत्रकारों को पांच-पांच लाख रुपये ब्याज रहित ऋण देंगे तो अच्छा लगता जो उनकी आवश्यकताएं उनके बारे में बजट में जिक्र होता तो अच्छा लगता कोई योजना बनती तो खुशी होती। पत्रकारों के कल्याण के लिए उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष बनाया है जिसकी राशि मात्र रु0 पांच लाख रखी गई है इस धनराशि से कितने परिवार लाभान्वित होंगे ? प्रेस क्लब के लिए 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है अच्छा होता यदि सदन में यह घोषणा की होती कि हम एक भूखण्ड की व्यवस्था करेंगे आप केवल जमीन उपलब्ध करा दीजिए, प्रेस क्लब वे अपने आप बना लेगें। माननीय अध्यक्ष जी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जो जनता और शासन के बीच सेतू की भूमिका निभाता है इसके लिए जो बजट में पहले रखा गया था उसका मद शून्य कर दिया है।

मान्यवर, सूचना विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। माननीया मंत्री जी ने सूचना विभाग को 9 भागों में विभक्त करके विस्तार में इसके विषय में बताया लेकिन इसके लिए जिस प्रकार की योजना बनानी चाहिए थी, वह कहीं नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भाई मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी माननीया सूचना मंत्री जी जब भाषण दे रही थी, काफी अच्छा लग रहा था कि अपने प्रदेश के अन्दर समाचार-पत्रों के बारे में उनको कितनी चिन्ता है। वैसे तो हर सरकार यह चाहती है कि उसकी उपलब्धियां गांव-गांव तक जायें, उनके द्वारा जो योजनाएं बन रहीं हैं, उनका व्याख्यान दूर-दूर तक जाये लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता है। सरकार की उपलब्धियों की जानकारी निचले स्तर से अपने निर्धारित रूप में नहीं पहुंच पाती हैं, वह केवल मंत्रियों के गुणगान तक ही सीमित रह जाती है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। छोटे और मंझोले जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, जिनमें स्थानीय जनता की समस्याओं को उजागर किया जाता है, उनके विकास की बात इस बजट में होनी चाहिए थी, प्रत्येक जनपद में उनकी समस्याओं को लेकर जो पत्र-

पत्रिकाएं निकलती हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, इस दृष्टि से इस बजट में प्राविधान होना चाहिए था। मान्यवर, वैसे तो हमारे यहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से कुमाऊंनी, गढ़वाली और चकरौता क्षेत्र में बोली जाने वाली जौनसारी भाषाओं में निकलने वाली पत्र–पत्रिकाओं के संवर्धन के लिए इस बजट में यदि कोई प्राविधान किया जाता तो निश्चित रूप से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी मदद मिलती। मान्यवर, हमारा उत्तरांचल राज्य सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने पौराणिक नृत्यों और गाथाओं का प्रचार–प्रसार कर सकते हैं लेकिन इनको प्रोत्साहित करने की कोई योजना इस बजट में परिलक्षित नहीं होती है। मान्यवर, हमारे यहां लोक गीतों के ऐसे कलाकार हैं, जो पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के कारण आज कुण्ठित हो रहे हैं। कुमाऊंनी और गढ़वाली लोकगीतों की कैसेट निकालने के लिए कोई प्राविधान इस बजट में होना चाहिए था। मगर इस प्रकार का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। उत्तरांचल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जानी चाहिए थी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ऐतिहासिक स्थानों का प्रचार–प्रसार बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इसे पर्यटन का केन्द्र बनाना चाहते हैं, इस उत्तरांचल को। इसलिए ऐतिहासिक स्थानों का चित्र भारतवर्ष के दूरदर्शन में देश–विदेशों में अपने जितने भी सिनेमा हॉल है, कोशिश यह होनी चाहिए कि विदेशों में भी क्योंकि जहां तक हम लोग यह कहते हैं कि उत्तरांचल तो हमें स्विटजरलैण्ड के रूप में बना बनाया मिला हुआ है। उसके लिए कितना बजट हम लोग रख सकते थे, उसके लिए इसके अन्दर व्यवस्था आनी चाहिए और एक हम सब लोगों के लिए बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि मान्यवर, 2 वर्ष होने जा रहे हैं उत्तरांचल को बने हुए। अभी उत्तरांचल का समाचार कितनी देर दूरदर्शन पर आता है। उत्तरांचल का जो केन्द्र खुलने वाला था उसमें 3 माह में माननीय मंत्री जी द्वारा क्या प्रयास किये गये, हमारी गतिविधियां किस प्रकार आती हैं दूरदर्शन में इसका बजट में प्रावधान होता तो मुझे अच्छा लगता। तो मैं शायद इस कटौती के प्रस्ताव पर नहीं बोलता। वही पुरानी बातें कि हम पत्रकारों के लिए यह करने वाले हैं, वह करने वाले हैं, आदि।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण रखा और इसमें प्रस्तावित कार्य योजनाएं दर्शायीं और अन्त में जो 11 बिन्दु की कार्य–योजना है इसमें केवल 2 बिन्दु ऐसे हैं जिसके लिए बजट में प्रावधान है बाकी 9 बिन्दुओं में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी जो पुरानी योजनाएं, जो चल रही थीं उसमें रखना तो मजबूरी थी, इसलिए रखी गयी हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहले रेडियो की व्यवस्था थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक रेडियो दिया जाता था और फिर टेलीविजन भी दिया गया ताकि प्रचार–प्रसार के माध्यम से सरकार की गतिविधियां उन लोगों तक पहुंचे, इसकी धनराशि भी काट दी गयी। जो समाचार–पत्र गांव तक पहुंचता है वह छोटा समाचार–पत्र होता है, मासिक समाचार–पत्र, छोटे और मझोले समाचार–पत्र जो आज बन्दी के कगार पर हैं उसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम विज्ञापन समिति

बना रहे हैं, प्रेस समिति बना रहे हैं। उन्होंने इस तरह से एक सब्जबाग दिखाया और फिर से बजट भाषण में एक बार पुनः इसे दर्शाया। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारे पत्रकार बन्धुओं की भावनाओं के साथ अवश्य खिलवाड़ किया है। उन्होंने पत्रकार बन्धुओं को बस में मुफ्त यात्रा की बात कही। जब कि इसका प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। दूरदर्शन की व्यवस्था के तहत पूरे उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में देखने वाले लोग, सरकार से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं रख सकते। लेकिन सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनायी कि सब जगह एक साथ कोई कार्यक्रम दिखाया जा सके। आपने प्रेस क्लब की बात कही। वास्तव में यह प्रशंसनीय कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो 11 बिन्दु हैं उनमें जो 9 बिन्दु हैं यदि उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया होता तो हम केवल परम्परा का निर्वाहन करते, किन्तु अब मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपना यह बजट वापस ले लें और फिर से इन 9 बिन्दुओं पर विचार करके इस बजट को प्रस्तुत करें तो हम निश्चित रूप से इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, अभी मैंने माननीय मंत्री जी को सुना। काफी विस्तार से आपने इस विषय को रखा लेकिन मैं सोचता हूं कि यह ऐसा विषय है जिससे पूरी दुनिया की तस्वीर सामने आती है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध एक अखबार की वजह से हुआ था। मान्यवर, इससे पता चलता है कि अखबार का कितना महत्व है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पेज नम्बर–2 में जो धनराशि का प्राविधान किया है उसे कुछ बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा होगा और इससे पत्रकार दीर्घा में बैठे पत्रकार भाईयों में भी खुशी की लहर आ जायेगी। मान्यवर, इनका जो प्रबन्ध तंत्र होता है अगर आप इन्हें थोड़ा कस दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मुझे सूचना विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो बड़े पत्र हैं, जिनका अपना पूरा प्रबन्ध है, उनकी व्यवस्था जो भी हो लेकिन जो छोटे पत्र हैं उनकी हालत वाकई बहुत खराब है। आपके जो सरकारी विज्ञापन जाते हैं, उसे वे बड़े मनोयोग से छापते हैं, लेकिन जब विज्ञापन जाने की बात आती है तो बड़े पत्रों को ही विज्ञापन मिल जाते हैं। इन बड़े पत्रों को आप सहूलियत दें, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो छोटे पत्र हैं, उन्हें भी आप प्रोत्साहित करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री मदन कौशिक जी, अजय भट्ट जी, प्रकाश पंत जी, नारायण पाल जी और काशी सिंह ऐरी जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं इसमें बहुत विवाद पर नहीं जाना चाहती हूं। सभी वित्तीय स्वीकृतियां इसमें दी हुई हैं, सभी प्रस्तावित कार्य योजनाएं दी हुई हैं। मान्यवर, हमारा जो अनुभव उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल तक हुआ और मुझे यह सौभाग्य रहा कि प्रदेश की राजनीति में एक लम्बे समय तक समाचार–पत्रों के साथियों से सम्पर्क करने का अवसर मिला।

जिस दिन इस सरकार ने शपथ ली तो मुझे उनके साथ सामूहिक रूप से बैठने का अवसर मिला और मैंने उनसे एक कमिटमैन्ट किया। उन्होंने कहा कि हम 14 महीने से, जब से इस राज्य का गठन हुआ है शौचालय के नजदीक बैठते हैं तो मेरे मन में पीड़ा हुई। पत्रकारों का सभी से रिश्ता है और यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ हैं। पत्रकारों की अपनी एक भूमिका है। सरकार ही नहीं प्रतिपक्ष की सोच को भी वह निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करते आये हैं। हमारे पत्रकारों की निष्पक्ष भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र में इस चौथे स्तम्भ ने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल किया है। जिसके कारण आज देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की सरकारें हैं। उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं। हम प्रतिपक्ष में बैठकर उनकी बात कहें और जब स्वयं सत्ता में बैठ जायें तो उनकी समस्याओं का समाधान न कर सकें तो अच्छी बात नहीं होगी। चूंकि मैंने कमिटमैन्ट कर लिया था, हमारे दो मंत्रियों के पास कमरे तक नहीं हैं फिर भी उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया और उसी का परिणाम है कि आज यह मीडिया सेन्टर खुला और हमारा कमिटमैन्ट पूरा हुआ। आज हमारे सचिवों के पास कई विभाग हैं जहां हम एक ओर नौकर शाही पर अंकुश लगाने की बात करते हैं तो वहीं पर हमें उनकी सुविधाओं को भी देखना होगा। कल ही केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्री यहां आये हुए थे, जो राजाज्ञायें सब लिखी हुई हैं कल वह यहां पर घोषित हो जाती परन्तु सचिव के ऊपर कार्य का दबाव होने के कारण वह नहीं हो पाया। हमारे पास सचिव तक नहीं हैं उसके बाद दूसरे नम्बर का अधिकारी भी नहीं है। सरकार वही घोषणा करती है जिसे वह कर सके उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी चादर लम्बी हो। घोषणा करने से पहले हम तीन बार सोचेंगे और जो घोषणा करेंगे उसे क्रियान्वित करेंगे। आपने कहा कि आप मीडिया को शब्जबाग दिखा रहे हैं परन्तु हम उन्हें प्रसन्नता का बाग दिखा रहे हैं। माननीय ऐरी जी ने लघु पत्रकारिता के पत्रकारों की बात कहीं। मैं उनसे सहमत हूं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लघु पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार काफी प्रतिभावान हैं। बौद्धिक बीमारी के कारण कभी-कभी इनमें उनकी कलम से लिखी हुई चीज को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाती है उनकी लेखनी श्रेष्ठ है। मैं 1974 से इन छोटे-छोटे समाचार-पत्रों से जुड़ी रही और शुरू में मैं अपने समाचार भेजती थी। जहां अखबार नहीं जाता है वहां लोग समाचार सुनते हैं, आपात काल में बी0बी0सी0 सुनते थे। हम अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ नहीं पाये।

मान्यवर, यहां पर जो प्रकृति ने दिया है उसको संवारना है और इसे एक सुन्दर प्रदेश बनाना है। मान्यवर, कल जब पर्यटन का लिट्रेचर आयेगा तो आप देखेंगे कि हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसको साफ-सुथरा बनाने के लिए संकल्प लिये हैं। मान्यवर, हम अपने चौथे स्तम्भ की सुविधाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं। पत्रकारों के आवास बनने के बाद जब हम और आप इसके उद्घाटन के लिए जायेंगे तब आप देखेंगे कि कितने अच्छे आवास बने हैं, तो ऐसा सपना पूरा करने के लिए हमने सोचा है। मान्यवर, हम आवास के बारे में कोई खानापूरी नहीं करेंगे, हम उनके लिये एक बहुत सुन्दर आवास देंगे। मान्यवर, अगर स्वस्थ चिन्तन देंगे, तो स्वस्थ तस्वीर उभरेगी।

मान्यवर, माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने जो-जो सुझाव दिये हैं हम उन सबको, जो आज तक प्रकाशित हुए हैं, वह भी हम प्रेषित करने जा रहे हैं। लघु-पत्रकारिता के पत्रकारों की बात कही मैं उस बात से भी सहमत हूं।

मान्यवर, प्रेस के पीछे अपलिंग होना चाहिए। दूरदर्शन में अभी हमारी कमी है। दूरदर्शन के माध्यम से उत्तरांचल की प्रगति, उत्तरांचल के लक्ष्य, उत्तरांचल को नये राज्य के रूप में किस ढंग से विकसित हो रहा है इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करती हूँ कि कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेकर इसे पारित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रु0 कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 71906 हजार से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4358389 हजार (चार सौ पैंतीस करोड़ तिरासी लाख नवासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इनफ्रास्ट्रेक्चर की दृष्टि से किसी भी राज्य का विकास दृष्टि से आगे चाहता है और हमारी ही नहीं सारे देश की ये मान्यता रही। (व्यवधान)

मान्यवर, विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसमें लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर इस देवभूमि में सैलानी एवं तीर्थ यात्रियों को सुविधाजनक एवं स्तरीय आवागमन उपलब्ध कराने के लिए मोटर मार्ग एवं सेतुओं के नवनिर्माण, सम्पर्क मार्गों के सुधार एवं उच्चीकरण, झूलापुलों का निर्माण रख–रखाव कार्य तथा आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण इत्यादि विभाग का मुख्य कार्य है। दूरस्थ ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से सड़क द्वारा जोड़ना विभाग की प्राथमिकता है। मान्यवर, वर्तमान समय में उत्तरांचल में मार्गों की कुल 16968 कि0मी0 लम्बाई की सड़कें मौजूद हैं जिसमें राष्ट्रीय मार्ग (एन0एच0) 1158 कि0 मी0, राज्य मार्ग

1137 कि0मी0, मुख्य जिला मार्ग 1436 कि0मी0, अन्य जिला मार्ग 7092 कि0मी0, ग्रामीण मार्ग 4082 कि0मी0 एवं हल्का वाहन मार्ग 2063 कि0मी0 है। राष्ट्रीय मार्ग की उक्त लम्बाई में 622 कि0मी0 का भाग सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत इसमें सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त 3233 कि0मी0 पैदल मार्ग तथा 724 कि0मी0 सीमान्त पथ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 14367 कि0मी0 लम्बाई की सड़कों का अनुरक्षण किया जाता है जिसमें 88.7 कि0मी0 सड़क लेपित स्तर की है तथा 5560 कि0मी0 कच्चे मार्ग हैं। जुड़े ग्रामों की स्थिति जो है वह विभिन्न श्रेणियों के कुल 16177 ग्राम हैं जिनमें 31–3–2002 तक 10209 ग्राम जुड़ चुके हैं। इस प्रकार 5968 ग्राम अभी भी सड़क मार्गों से जुड़ने शेष हैं। इन ग्रामों में 4288 ग्राम 250 से कम आबादी के हैं, जो भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार पहले जोड़े जायेंगे इन बिना जुड़े ग्रामों में से 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 1680 है, जिसके लिए लगभग 6720 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग एवं 224 सेतुओं के निर्माण तथा लगभग 1050 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2001–2002 की प्रगति आख्या वर्ष 2001–2002 में राज्य निर्माण के पश्चात् 583 कि0मी0 नई सड़कें, 140 कि0मी0 सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार तथा 53 सेतुओं का निर्माण किया गया इस अवधि में 143 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2001–2002 के आय–व्यय में मार्ग एवं सेतु के लिए रु0 181.75 करोड़ का प्राविधान था जिसके सापेक्ष रु0 176.24 करोड़ अवमुक्त हुआ है एवं कुल रु0 163.70 करोड़ का व्यय हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में अवमुक्त धनराशि रु0 60.00 करोड़ के सापेक्ष केवल रु0 19.93 करोड़ का व्यय हुआ। केन्द्रीय सड़क निधि में वर्ष 2001–2002 में प्राविधानित धनराशि रु0 7.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 5.81 करोड़ का व्यय हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस हेतु रु0 11.00 करोड़ की व्यवस्था आय–व्यय में प्रस्तावित की गई है।

राष्ट्रीय मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 2001–2002 में कुल अवमुक्त धनराशि रु0 25 करोड़ में से रु0 23.42 करोड़ का व्यय हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–2003 के जो आय–व्ययक के वित्तीय प्राविधान रखे गये हैं उनमें 2002–2003 के आय–व्ययक में लेखा शीर्षक–5054 के अन्तर्गत चालू कार्य के लिए रु0 56 करोड़ हेतु कार्य के लिए रु0 15 करोड़ मार्ग/सेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चालू कार्य रु0 12.75 करोड़ के प्राविधान किये गये हैं। मार्ग सेतु जिला सेक्टर के लिए रु0 48.00 करोड़ के प्राविधान किये गये हैं। सड़क पुल भवन आदि हेतु रु0 1.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य सेक्टर में नये कार्यों के लिए रु0 11.25 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार राज्य योजना एवं जिला योजना के अन्तर्गत चालू एवं नये निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 144.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है। बाढ़ एवं भू–स्खलन के क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु रु0 4.00 करोड़ तथा मशीनरी तथा यंत्र संयंत्र क्रय हेतु रु0 6.00 करोड़ तथा क्रोनिक स्लिप जोन के स्थाई निदान हेतु रु0 5.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अर्थात् कुल रु0 15.00 करोड़ का प्राविधान इन मदों में किया गया है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2002–2003 में राजस्व लेखा, आयोजनागत मद में रु0 104.62 करोड़ तथा नानप्लान में रु0 53.85 करोड़ का प्राविधान एवं भारित हेतु रु0 1.04 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। पूँजीगत लेखा में रु0 277.36 करोड़ का प्राविधान

प्रस्तावित किया गया है। लोक निर्माण विभाग का कुल प्राविधान आयोजनागत मद में रु0 381.98 करोड़ तथा आयोजनेत्तर मद में रु0 54.89 करोड़ प्रस्तावित है। मान्यवर, 2002–2003 के लिए भौतिक लक्ष्य के संबंध में कहना चाहती हूँ 330 कि0मी0 मार्गों का नवनिर्माण, 275 मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सुधार, 10 कि0मी0 पैदल मार्ग का निर्माण एवं 38 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत 1590 कि0मी0 लम्बाई में विभिन्न मार्गों पर नवीनीकरण का कारण लक्षित है। राज्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 900 मार्ग एवं 180 सेतु कार्य कुल लागत रु0 363.62 करोड़ के अवशेष चालू कार्य हैं। जिला योजना के अन्तर्गत 7.05 मार्ग तथा 58 सेतु कार्य कुल लागत रु0 58.01 करोड़ के अवशेष चालू कार्य हैं। अन्य जो लम्बित कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए नाबार्ड, बैंकों इत्यादि से ऋण लेने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से रु0 50.00 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2002–03 में 112 ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल 544 ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। जिसमें से 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को प्राथमिकता दी जायेगी। केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत 2000–2001 में चार कार्य स्वीकृत हैं। अन्तर राज्य संयोजन योजना के अन्तर्गत कोटद्वार–सतपुली मार्ग के सुधार का कार्य कुल लागत रु0 14.45 करोड़ की स्वीकृति फरवरी 2002 में प्राप्त हुई है। जिस पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। एक अन्य योजना हल्द्वानी–कालाढूंगी–बाजपुर मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। आर्थिक महत्व की सड़कें इस योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग जिसकी कुल लागत रु0 10.12 करोड़ के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कार्यों के अन्तर्गत तीन कार्य प्रगति पर हैं। पहला देहरादून में रिंग रोड का निर्माण, दूसरा चमोली से गोपेश्वर तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण, तीसरा श्रीनगर से पौड़ी तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण इसी वित्तीय वर्ष में अन्त तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

मान्यवर, नवीन प्रयासों के बारे में बताना चाहती हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न कार्य एवं अन्य मार्ग कार्यों हेतु, जिनमें चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार जैसे कार्य कराने के लिये इण्डियन रोड कांग्रेस एवं भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित विशिष्टियों अपनाई जाने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। इससे मार्ग की गुणवत्ता में प्रभावशाली रूप से सुधार आएगा। तकनीकी गुणवत्ता जांच हेतु सी0बी0आर0आई0, रुड़की, राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाला, नई दिल्ली तथा श्री राम टैण्ट हाउस, नई दिल्ली जैसी उच्च मानकों से युक्त प्रयोगशालाओं से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी जांच करायी जायेगी, जिससे कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। मान्यवर, सड़क निर्माण के क्षेत्र में प्रबन्धकीय क्षमता बढ़ाने, अधिकाधिक वित्तीय संसाधन जुटाने एवं अधिक से अधिक उनका उपयोग करने, कार्यों में समयबद्ध प्रगति प्राप्त करने एवं उच्च गुणवत्ता हेतु, अन्य विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडू आदि की तर्ज पर उत्तरांचल में भी उत्तरांचल स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपारेशन की स्थापना के लिए विचार किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु इंटरनेट पर लोक निर्माण विभाग ऑन लाईन पर लाकर विभाग को कम्प्यूटीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी। जिससे विभाग के समस्त कार्यों संबंधी समस्त विवरण ऑन लाईन पर उपलब्ध हो सकेंगे। मान्यवर, इस

हेतु महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग, सी0 डैक एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश में मार्गों के योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास हेतु जनपदवार मास्टर प्लान बनाये जायेंगे। इसके बनाने में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर मार्गों के निर्माण हेतु इस प्रकार प्लानिंग की जायेगी, जिससे कि बनने वाले मार्गों से क्षेत्र की जनता समग्र प्रकार से लाभान्वित हो सके। इस हेतु क्षेत्र में पड़ने वाले कृषि उपज क्षेत्र, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, व्यापारिक सुविधाएं, पर्यटन इत्यादि को लाभान्वित करने की दृष्टि से मार्गों के प्राविधान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त मान्यवर, वर्ष 2004 में हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेले का आयोजन किया जाना है जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक तीर्थ यात्री एवं श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है। इतनी बड़ी जनसंख्या में तीर्थ यात्रियों के सुगम यातायात को सुनिश्चित करने हेतु मेला परिक्षेत्र को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राज मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग रुपये 45 करोड़ लागत के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं। मान्यवर, मेरी यह प्रकृति है कि इंजीनियरिंग विभाग के लोगों से मेरा घोलमेल नहीं हो पाता है। जब मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग का कार्यभार संभाला, तो मैंने देखा।

मान्यवर, जो नियम उत्तर प्रदेश में लागू थे वहीं उत्तरांचल के लिए भी लागू थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल आते-आते राजाज्ञा की तस्वीर 1982 से पूर्व, 1992 से पूर्व की कर दी गयी। यानि जब उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना तो जो उत्तर प्रदेश में लागू था वह तो उत्तरांचल में लागू होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश विकल्पधारी में अधिशासी अभियन्ता का एक ही पद है, लेकिन शेष अवर अभियन्ताओं की भारी भीड़ है। 223 पद हमने चिन्हित किये हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश ही भेजना राज्य के हित में प्रतीत होता है। उनकी परिस्थितियाँ एकदम बदल दी गयीं जैसे एक शासनादेश उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों की श्रेणीबद्ध शासनादेश, दिनांक 24 अगस्त, 1982 से उत्तर प्रदेश में जो राजाज्ञा निकली, अब जिसका भी यह युग होगा, जो राजाज्ञा निकली वही आज तक 2002 तक अभी तक उत्तरांचल में लागू है, परन्तु इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन उस कार्य में किया गया जैसे वर्गीकरण और पंजीकरण। इसमें लिखा है कि ठेकेदारों की सीमा श्रेणी-"डी" ठेकेदार 02 लाख रुपये से अधिक कार्य के लिए अनधिक सीमा देने के लिए, श्रेणी "सी" 05 लाख रुपये तथा श्रेणी "बी" में 15 लाख रुपये। कोई भी निविदा देने के लिए इसमें कोई भी परिवर्तन कभी नहीं हुआ। श्री ऐरी जी और सम्भवतः श्री पंवार जी ने एक पत्र दिया जिसमें किसी राजाज्ञा का उल्लेख था। 1999 में उत्तर प्रदेश शासन में जिसमें श्रेणी-"डी" और "सी" को 10 लाख की बात की उन्हीं के ठेकेदार कोर्ट में चले गये। इसलिए 1982 से आज तक जो वर्गीकरण ठेकेदारों का है। "ए", "बी", "सी", "डी" उनका क्रम यही था, 15, 5, 2 और यही यहाँ पर भी लागू था, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लागू था। लेकिन मैंने इस पर काफी विचार किया और मुझे लगा कि 1982 से आज तक इसमें पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी तो मैंने शासनादेश निकालने की बात की। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। स्थानीय सहभागिता व्यापक करने के लिए ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण हेतु 3 लाख की वृद्धि कर दी गयी। श्रेणी-"डी" में 5 लाख, श्रेणी-"सी" में 8 लाख तथा श्रेणी-"बी" में 18 लाख कर दिया गया, सबमें कर दिया गया, केवल एक में नहीं। आज की तारीख में मैं इसे प्रस्तुत कर रही हूँ ये 1982 के

बाद 20 वर्ष बाद यह पैसा इतना बढ़ाया गया और श्रेणी–"डी" के कई ठेकेदार मुझसे मिले, मैं वे निविदाएं भी आपको दे सकती हूँ जो कल होनी है। तो यह ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उनके लिए काम नहीं है। परिस्थिति क्या है यह भी आप जानिए, क्योंकि जानना जरूरी है। हमारे यहां जो इंजीनियर 123 उत्तर प्रदेश से आये, क्योंकि इस समय मुझे अवसर नहीं मिला और लगभग सबकी फाइल मैं पढ़ चुकी हूँ। आप सबने, पक्ष, प्रतिपक्ष, में जो भी सदन में रहा, हिल डेवलपमेन्ट का जो पैसा मिलता था, इन्जीनियर यहीं के लिए आना चाहता था।

मान्यवर, हिल डेवलपमेन्ट के पैसे को लूटने के इरादे से इंजीनियर यहीं आना चाहते थे। मान्यवर, राज्य बनने के बाद पैसा कमाने के उद्देश्य से जिन इंजीनियरों ने यहां का विकल्प दिया था, वे अभी भी यहां से जाना नहीं चाहते हैं। अभी हमने एक इंजीनियर को वापस उत्तर प्रदेश जाने को कहा तो उसने कई जगहों से दबाव डलवाने का प्रयास किया। सदन के किसी सदस्य से उसने दबाव नहीं डलवाया। मान्यवर, मुझे यह भी जानकारी मिली कि देहरादून में इन सबके अपने आवास भी बने हुए हैं। आप किसी साईट पर जायें तो पायेंगे कि जे0ई0 कहीं दूर पर खड़ा होगा क्योंकि इंजीनियर अपने चहेते जे0ई0 को भी कार्य सौंपते हैं। मान्यवर, इंजीनियरों की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मान्यवर टेण्डर प्रणाली के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही कि टेण्डर के मामले में जो प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू थी क्या वहीं प्रणाली यहां भी लागू की गई है। मान्यवर, यह कहा गया कि आपने निविदा नीति परिवर्तित कर दी। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर निविदा प्राप्त होती थी, वे निविदायें किन परिस्थितियों में प्राप्त होती थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को विपरीत परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ा कि निविदायें 4 अलग–अलग स्थानों पर डाली जायें।

उत्तरांचल में उन्हीं लोगों ने इस राजाज्ञा का पालन नहीं किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने राजाज्ञा का पालन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ राजाज्ञा का पालन किया है। मैंने कहा कैसे तो उन्होंने बताया कि निविदाएं तो 3 डलवाई लेकिन अलग–अलग खोल दिया।

उसका उत्तरांचल में पालन क्यों नहीं किया गया। आज उत्तरांचल में दुबारा जारी करना पड़ा। वहीं व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में थी। यह टेण्डर चार जगह पड़ेगा और खुलेगा एक ही जगह पर। एक सुपरिन्टेन्डेन्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें तीन अधिकारी रहेंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग एवं समर्थन चाहिए। आज यहाँ सरकारी व्यवस्था और सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार 30 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक एडवांस कमीशन के रूप में लेते हैं। मुझ से ठेकेदार संघ ने सवाल पूछा कि मैडम आपको यह सब कैसे पता चला तो मैंने बताया कि आप ही लोगों से पता चला। यदि माना 15 प्रतिशत भी कमीशन लिया जाता है और पहली तारीख से ऐसा भ्रष्टाचार हो जाता है, तो निर्माण कार्य क्या होगा। गरीब ठेकेदारों का क्या होगा। हमने अधिकारियों पर दबाव बढ़ाया और जो भी शासनादेश किया वह उत्तर प्रदेश के शासनादेशों का अध्ययन करके ही किया। मस्टर रोल पर घर में ही बैठकर काम करा दिया जाता था, सड़क चाहे कितनी ही क्यों न बनी हों। इसका मतलब यह नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है जो क्रोनिक स्लिप एरिया हैं उन पर कार्य भी जारी हैं। हम जब यहाँ आये तो हमने हिमाचल और हरियाणा के बारे में नहीं पूछा। हमने उत्तर प्रदेश के बारे

में पूछा। मैंने देखा कि मस्टर रोल पर ही सारा पैसा वितरित कर दिया गया। आपकी सरकार का शासनादेश था, परन्तु उसका पालन नहीं किया गया। अचानक नयी राजधानी बनी, आप लोग बैठे। मैं आपको चाय व भोजन नहीं करा पा रही थी। महिला होने के नाते मैं आपकी पीड़ा को समझ रही थी। चाहे इसे आप मातृत्व समझें या संवेदनशीलता सब लोग मुझे घूर-घूर कर देख रहे थे। आज बजट पास होने के बाद मैं आपके लिए चाय व भोजन का इंतजाम करूंगी। एक महीने दो दिन तक मुझे नींद नहीं आई। कागज नहीं मिल रहे थे। दूसरे महीने में हमने सख्ती की और तीसरे महीने में कागज मिले एक करोड़ अड़सठ लाख रुपये एक नेशनल हाइवे पौड़ी से लेकर सतपुली तक बनना था।

मान्यवर, नेशनल हाईवे पौड़ी के लिए एक करोड़ अड़सठ लाख रुपये लिये। मान्यवर, राष्ट्रीय मार्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार कार्यों का होरीजेन्टल स्पलिटिंग अथवा वर्टिकल स्पलिटिंग करके कार्यों की निविदा न कराये जाने के आदेश हैं। मान्यवर, एक करोड़ 68 लाख के कार्य हेतु भी कार्य को चार टुकड़ों में बाँटकर चार निविदायें प्राप्त की गयी। जिस पर गम्भीर शिकायतें आने पर भारत सरकार ने तत्काल ही कार्यवाही करने के आदेश भी दिये और जिस पर मान्यवर, जांच की जा रही है। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के 223 अभियन्ताओं की सूची हमारे पास है जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्हें क्रमशः हटाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। मान्यवर, आपने सही कहा कि 2.5 प्रतिशत सी0एस0टी0 की जगह कागज पर कुछ बढ़ाकर प्रतिशत लगा रखा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच होगी। मान्यवर, इन सबके विरुद्ध कार्यवाही होगी, भ्रष्ट लोगों को बर्दास्त नहीं किया जायेगा, इसके पीछे कोई बनावटी बात नही है।

मान्यवर, एक अपील मेरी सभी सम्मानित सदस्यों से है कहां हम दौड़ रहे हैं। नव भारत टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर छपा हुआ है झारखण्ड, पंजाब, आदि राज्य बोट से सड़के बना रहे हैं यह टोलरोड पर लेते हैं। अन्य राज्य विदेशी कम्पनियों के पीछे दौड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, इतनी राजाज्ञा हमारे पास है, आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होती है तो इस संबध में आप आईये। मान्यवर, हमारा उद्देश्य राज्य को प्रथम और सर्वश्रेष्ठ बनाना है इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया क्योंकि उनके पास बड़ा लम्बा संसदीय अनुभव है। जो प्रस्तुतीकरण था उनकी संसदीय कुशलता की बानगी थी लेकिन मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूँ यह बजट वस्तुस्थिति से परे है। आज भूमण्डलीकरण के युग में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था और यह उम्मीद की गयी थी सभी लोगों को समानता का अवसर मिलेगा, इसके लिए संविधान में भी व्यवस्था की गयी है। संविधान के 42वें अधिनियम के अन्तर्गत संविधान की

प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था। हम यह महसूस कर रहे थे खास तौर से जो प्रबुद्ध मंत्री हैं उनका जो बजट होगा हमारे उत्तराखण्ड में कई लोक मध्ययुगीन जीवन जी रहे हैं हम यह सोच रहे थे, उनके लिए यह बजट होगा। क्रान्तिकारी कदमों की घोषण होगी। इनफ्रास्ट्रेक्चर के क्षेत्र में विकास की प्रथम सीढ़ी सड़क है, इससे हम लोग बहुत दूर हैं। लोक निर्माण विभाग सड़कों, पुलों के निर्माण एवं मेन्टीनेंस का कार्य करता है। इसके लिए इसमें एक क्रान्तिकारी पहल इसमें लेंगे ऐसी अपेक्षा थी। मान्यवर, दूरदराज के जो छोटे–छोटे गाँव हैं उनको सड़कों से हम जोड़ेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो कम्प्यूटरीकरण के बारे में बात कही यह स्वागत योग्य है। अल्टीमेटली मैंने मैटर्स, व्यक्ति पर सभी चीजें निर्भर हैं।

मान्यवर, इस बात को सब जानते हैं कि सहायता से लेकर जितना पैसा यहां पर आया और उस पैसे का सदुपयोग हुआ होता तो आज घर–घर सड़कें होतीं। आज भी एक सड़क कई बार बन जाती है और फिर वैसी ही हो जाती है। मान्यवर, राजीव गांधी ने कहा था कि विकास का एक रुपया गाँव में जाते–जाते 15 पैसा हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने जो बातें बजट में कहीं उनको पूरा किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है हम अगर इस दिशा में कारगर उपाय कर सकें तो इससे जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा महकमा पी0डब्ल्यू0डी0 का है लेकिन जिम्मेदारी का एहसास कहीं नहीं है। लाखों करोड़ों की योजनायें बनायी जाती हैं। वह खराब हो जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है, इसमें बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की जाय। मैं एक उदाहरण नैनीताल का देना चाहता हूँ मेरे तमाम साथी कहते हैं कि आप तो विकसित क्षेत्र से हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप नैनीताल से 10–15 कि0मी0 की दूरी के गाँव यथा अघौड़ा, बजून, रौखड़, जलाल गाँव, थापला, नलनी, चेला, जोड़पूड़ा आदि के गाँवों में जायें तो ये सारे गाँव सब्जी उत्पादन वाले गाँव हैं, अगर वहाँ आधारभूत संरचना में सड़क बना दी जाती है तो हम उनसे कुछ नहीं माँगते। मान्यवर कोटाबाग भी मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है मा0 अध्यक्ष जी के विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा पंगूट, कोटाबाग की सड़क बना दी जायेगी वो लोगों की जीवन रेखा होगी। वह भी सब्जी उत्पादन क्षेत्र है, उनकी सब्जी घरों में सड़ती है, अगर वहां सड़क बन जाये तो वहां के लोगों का जीवन स्तर ठीक हो सकता है। दूसरा इन्फ्रास्ट्रेक्चर की बात कर रहे हैं, हर गाँव को, हर घर को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ अब तक बजट में कहा गया कि जो बड़े–बड़े इंजीनियर्स हैं उन पर लाखों करोड़ों रुपये का खर्च हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि कम पैसे में काम चलाया जा सकता है। जो हमारी संबंधित विभाग की मंत्री जी हैं वह तो शिक्षकों की, कर्मचारियों की नेता रह चुकी हैं, वह उनकी आवाज को हाउस में भी उठाती रही हैं।

मान्यवर, मैंने कल विधान सभा में यह सवाल लगाया था लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। लम्बे समय से पी0डब्ल्यू0डी0 में दैनिक वेतन पर बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्होंने विभाग को अपना सारा जीवन का क्रीम पीरियड दे दिया उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, नियमित करने की बात नहीं की गयी है। यदि उनकी 10 साल की सेवा पूरी नहीं होगी तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार से जब इस सम्बन्ध में

बात की जाती है तो कहा जाता है कि सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है। मान्यवर, जो परियोजनाओं की स्वीकृति का जो तरीका अभी तक रहा है उसमें कार्यों को प्रारम्भ करने में ही बहुत समय लग जाता है। मार्ग स्वीकृत हो गया या पुल स्वीकृत हो गया लेकिन स्वीकृति के समय न तो फारेस्ट की क्लियरेन्स मिलती है कहीं पर कम्पन्शेसन का विवाद होता है तथा कहीं पर जमीन का विवाद होता है स्वीकृत करते समय ऐसे विवादों को सुलझाया नहीं जाता है वर्षों विवाद को सुलझाने में समय बर्बाद होता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि वास्तविक स्वीकृति तभी मानी जाय जब नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाय। उसके बाद एक बहुत लम्बी प्रक्रिया और भी होती है जैसे इस्टीमेट बनाने और उसकी तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया उसमें हमारे जूनियर इंजीनियर तथा सहायक अभियन्ता फाइलों को लेकर विभागों में घूमते रहते हैं। इस व्यवस्था को ठीक करना होगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड में बेरोजगारों का बहुत बुरा हाल है कई बेरोजगार ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार पाते थे जो ठेकेदारी करते थे वह वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार देते थे। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश ठेकेदारी के संबंध में अभी यहाँ पर लागू हैं उनमें कुछ प्रतिबन्ध हैं तो हमें नये शासनादेश इस प्रकार का बनाना चाहिए जिसमें यहां के लोगों को काम मिल सके। हाँ इसका ध्यान जरूर रखा जाय कि जो काम दे करें उसमें गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। मान्यवर, टेण्डर की बात आई जिस तरह की प्रक्रिया टेण्डर के लिए बताई जा रही है कहीं यह प्रक्रिया बहुत पेचीदा तो नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वे इसका परीक्षण कर लें। एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब श्रमिकों के हितों की बात आती है तो बड़े नियम कानून उठते हैं लेकिन पी0डब्ल्यूडी0 विभाग के पास अपनी गाडियां होती हैं लेकिन वह अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं, ड्राइवर के पास कोई काम नहीं होता विभागीय कार्यों के लिए गाडियां किराये में ली जाती हैं उनमें लाखों रुपया खर्च होता है उसमें जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी है। मैं चाहता हूं कि वे अपने विभाग की गाड़ियों से कार्य करायें। मान्यवर, एक बात प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विषय में भी कहना चाहता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले ठेकेदार ए-क्लास के होंगे पहले यह कहा जा रहा था लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसके लिए कंसल्टेंस रखे जायेंगे कंसल्टेंस का काम तो केवल सलाह देना होता है। इसके माध्यम से सर्वे का सारा कार्य उनसे लिया जायेगा। मान्यवर, हमारे पास पी0डब्ल्यू0डी0 जैसा महत्वपूर्ण विभाग है उसकी एक मान्यता है अगर उसमें कमियाँ हैं तो उन्हें दूर किया जाए, उसे मजबूत बनाया जाए, किसी बाहरी एजेन्सी के मुकाबले अगर हमारी एजेन्सी काम करेगी तो जो धन होगा वह यहाँ आयेगा उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं और बहुत से पुराने शासनादेश दिखाये लेकिन एक बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि उत्तरांचल के अन्दर आज किसी चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है, आवागमन के साधन। जब तक आवागमन के साधन नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, विकास की कल्पना कोरी है। यह अच्छी बात है कि आप प्रयास कर रहे

हैं। उत्तर प्रदेश के शासनादेश में आपने थोड़ा बहुत संशोधन किया। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है, यह जांच का विषय हो सकता है। मान्यवर, मैं एक दो बातें सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। मान्यवर, एक नयी बात सुनने में आयी कि जो हल्के वाहनों के मार्ग हैं और जो पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं, उनका निर्माण कार्य केवल इसलिए रोक दिया गया कि अब सिर्फ बड़े वाहनों के मार्ग की बनेंगे, यह सही नीति नहीं है। मेरा सुझाव है कि इन हल्के वाहन मार्गों को बनने देना चाहिए और जब भविष्य में आपके पास अधिक बजट होगा, तब इनको भारी वाहनों के मार्ग में तब्दील कर सकते हैं। केवल बड़े वाहनों के मार्ग का निर्माण कराना, हल्के वाहनों के लिए मार्ग न बनाना उत्तरांचल के हित में नहीं है। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का एक नया शासनादेश आया है, जब मैं जिला सड़क योजना की बैठक में गया तो मुझे पता चला कि जिला प्लान में नए मार्गों के निर्माण के लिए 20 प्रतिशत, पुलों के लिए 20 प्रतिशत और डामरीकरण के लिए 60 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, उत्तरांचल में नये मार्गों की बहुत अधिक आवश्यकता है लेकिन आप नये मार्गों पर कुल बजट का मात्र 20 प्रतिशत दे रहे हैं और डामरीकरण के लिए 60 प्रतिशत दे रहे हैं, यह उचित नहीं है।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह शासनादेश कब निकला ?

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, यह शासनादेश, शासनादेश संख्या–8162, 27 दिसम्बर, 2001 को चुनाव की अधिसूचना के बीच में अधिकारियों द्वारा निकाला गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने टेण्डर की व्यवस्था के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में टेण्डर बन्दूक की नोंक पर करा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तरांचल के अन्दर इसमें कोई नया परिवर्तन करें। मान्यवर, चमोली से लगा हुआ रूद्रप्रयाग और उसके बाद पौड़ी उसमें ज्यादा विकृतियां आयेंगी, मान्यवर यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। उत्तरांचल में तो मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि ठेकेदारी में बहुत लोग पूरी तरह से निपुण हो गये हैं। चूंकि जिस जिले का ठेकेदार होगा वह अपने जिले के अन्दर अपने निर्माण कार्य के प्रति संवेदनशील होगा। मान्यवर, इस अवसर पर मैं अपने केन्द्रीय भू–तल परिवहन मंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह पहला अवसर है जब कि हमें पहले मंत्री भारत सरकार के अन्दर मिले हैं जिन्होंने सड़कों के लिए उत्तरांचल के अन्दर कीर्तिमान स्थापित किया है। केदारनाथ यात्रा का मार्ग जो रूद्रप्रयाग से था।

(व्यवधान)

मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं, यह अच्छा संकेत है और ऐसे मंत्री का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों की स्वीकृति हो जाती है, उसमें वित्त व्यवस्था बहुत विलम्ब से होती है, वित्त आता है, लेकिन एक टाइम बाउन्ड व्यवस्था

होनी चाहिए, कि इतने दिन के अन्दर यह सड़क चाहिए। वित्त आने के बाद भी काम प्रारम्भ नहीं होता है। लगभग 3–4 साल पहले स्वीकृत हुई सड़कें आज बन्द पड़ी हैं। अभी वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनेकों सड़कें रुकी पड़ी हैं। यहां पर कोई सेन्टर बन सकता है और आपके यहां स्टेट से भी जो सड़कें प्रस्तावित हो रही हैं, उसमें आपके यहां से क्या वित्त व्यवस्था हो रही है। लोक निर्माण के पैदल पुल हैं बहुत ऐसे गांव हैं जिनमें पुल नहीं हैं, लेकिन जे पैदल पुल बने हुए हैं 50–60 सालों से वे पुल ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, उनका भी एक समय होना चाहिए। कितने समय बाद ये पुल निश्चित रूप से नष्ट करके नए पुल का निर्माण किया जाना चाहिए, यह भी तय होना चाहिए। ताकि वहां की जनता अपने को सुखद महसूस कर सके। एक और सुझाव यह है कि अभी बहुत सारे स्थानों पर सड़कें गई हैं जैसे ऋषिकेश में और उन सड़कों के पास के सामने के जो गांव हैं वहां भी एक झूला पुल दे दिया। यदि वहां पर हम बड़ी सड़क का पुल दे दें तो कम से कम छोटे वाहन उनके गांव तक जा सकते हैं। मुख्य गांव से नदी के पार जो गांव हैं उसके बीच में कम से कम सड़क मार्ग देना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने जी0ओ0 और डी0ओ0 के बीच में केवल इस सदन को ही नहीं उलझाया बल्कि पूरे उत्तरांचल की सड़कें भी इसमें उलझकर रह गई हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग बन्द पड़ी हुई है।, मान्यवर, मैंने एक प्रश्न लगाया था तो उसमें मुझे जो उत्तर माननीया मंत्री जी ने दिया था और उनके बजट भाषण में जो उल्लेख किया गया, उसमें काफी विरोधाभास है। प्रश्न के उत्तर में मुझे यह जानकारी दी गयी थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि आज दूसरी जानकारी दी जा रही है। मान्यवर, जितने भी पूर्व में स्वीकृत मोटर मार्ग हैं, जिनमें वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई थी और उसमें निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था, उनमें प्रगति बहुत कम हुई है। मान्यवर, 1997 में शासनादेश हुआ था। तब से इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या तब से ये सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय पन्त जी कृपया कोई ऐसी सड़क का नाम बता दें जो तब से अभी तक अधूरी पड़ी हो।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एक तो मुखौली–चमाली सड़क है। (व्यवधान) मान्यवर, सरकार में जो भी व्यक्ति बैठता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पन्त जी कृपया आप अपनी बात रखें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितनी भी सड़कें हैं, जिसमें धन स्वीकृत हो चुका है, उसमें अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मान्यवर, 24 दिसम्बर, 2001 को शासनादेश हुआ, उन सड़कों के लिए टोकन मनी की व्यवस्था की गई थी। समरेखन का कार्य पूरा हो गया था। उन सड़कों का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कृपया स्पष्ट कर दें, शासनादेश कब हुआ था ताकि उत्तर देने में सुविधा रहे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 24 दिसम्बर, 2001 को शासनादेश हुआ था।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 24 दिसम्बर, 2001 को शासनादेश हुआ था और 26 दिसम्बर, 2001 को आचार संहिता लग गई थी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है, 26 दिसम्बर, 2001 से आचार संहिता लग गई थी, लेकिन आज तो आचार संहिता नहीं लगी हुई है।

मान्यवर, अगर आप कहें तो उनके नाम गिना दूं। मैं अपने क्षेत्र की सड़कों के मान्यवर आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इनमें किसी तरह का कोई भेद–भाव नहीं होना चाहिए क्योंकि क्षेत्र की जो जनता होती है किसी दल विशेष से नहीं जुड़ी होती है। मान्यवर, 6 हजार गांव में से लगभग 5998 गांव ऐसे हैं जो आजादी के 54 वर्ष तक सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं। जहां पर 25–25 कि0मी0 तक पैदल चलना पड़ता है सड़क तक पहुंचने के लिए। उन गांवों में सड़कें कैसे पहुंचेगी अगर हम यह सोच लें कि यह शासनादेश पिछली सरकार ने किया था। हम इसको कैन्सिल करके हमारी सरकार नया करेगी, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है इससे उत्तरांचल की जनता का भला नहीं हो सकता। हम तो तैयार बैठे हैं लेकिन मान्यवर, सहयोग उधर से भी मिलना चाहिए। मैं माननीया मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं जैसा कि पहले सड़कों की संस्तुति देने की एक परम्परा रही है। सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में कुछ कि0मी0 तक सड़क निर्माण की संस्तुति प्रदान करने का अधिकार देंगी। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने विभाग में दिया ऐसा, ये भी करेंगी। मान्यवर, एक विशिष्ट बात यह है कि उत्तरांचल दैवीय आपदा क्षेत्र है, दैवीय आपदा के कारण हमारे विभिन्न प्रकार के मार्ग जैसे मोटर मार्ग, पैदल मार्ग ये अवरुद्ध हो जाते हैं। मान्यवर, पुरानी जितनी भी क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए निश्चित रूप से बजट में प्राविधान होना चाहिए था। क्योंकि ये सड़कें अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, भू–स्खलन से या भूकम्प से या फिर ज्यादा बरसात के कारण जिनको तुरन्त बनाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लिए टेण्डर तो लाया नहीं जा सकता। इसलिए यह व्यवस्था होनी है, कि उसको तुरन्त खोल दिया जाय।

बजट पर इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। जब तक इसके लिए जिले के स्तर के अधिकारी और विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। वह कैसे खुल जायेगी। मान्यवर, पहले तो सड़क के रख–रखाव के लिए एक गैंग होता था उस गैंग को इतने से इतने कि0मी0 तक सड़कें एलाट हो जाती थी रख–रखाव के लिए, लेकिन यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ताकि सड़क को ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। मान्यवर, जो सड़कें टूटने की स्थिति में नहीं हैं केवल उनकी नालियां बन्द हो गयी हैं जिसको साफ करके सड़क को ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके, इसके लिए कोई व्यवस्था, कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, दूसरी यह बात है कि अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चली आ रही है बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या कारण है। मान्यवर, केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है परन्तु उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे आप गावों में इन कार्यों को करेंगे।

मान्यवर, यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार बदलती रहती हैं, लेकिन काम की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अतः मैं माननीय जंतवाल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जंतवाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस पर कुछ पूछना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी थोड़े ठीक आंकड़े बनवाया करें। आपने पृष्ठ संख्या–1 में उत्तरांचल शासन लोक निर्माण का विवरण है इसमें ख भाग में 5968 गांव सड़क से जुड़ने दिखाये गये हैं जबकि मा0 मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में 6 हजार गांव दिखाये गये हैं। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि कई जगह दोनों तरफ से सड़कें बन गई लेकिन मिसिंगलिंक नहीं बनी हैं। क्या आप इसके लिए कुछ करेंगी। मान्यवर, 20 साल पहले गयास नदी पर एक पुल बना कि रोड आयेगी पर आज तक रोड नहीं गई। मान्यवर, जो सड़कें बनकर तैयार हो गयी हैं, बहुत बड़ी पूंजी उस पर खर्च हो गई पर उस पर वाहन नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका टेक्निकल मुयाना नहीं हुआ। जिसे लो0नि0वि0 एवं परिवहन के अधिकारियों से संयुक्त रूप से होना चाहिए।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसी सड़क का नाम बताइये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, निम्न सड़कें हैं–सौनी तिकाली खेत, सौनी ड्योड़ा खाल, चौबटिया, कुनला खेत, द्वाराहाट, ईड़ा काकड़ी घाट चौका। मान्यवर, इसमें लम्बा समय हो गया लेकिन इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए इसका टेक्निकल मुआयना कराया जाये। मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1000 से अधिक जनसंख्या के गांवों को लिया जा रहा है। सड़क योजना के अन्तर्गत 500 गांवों को लिया जा रहा है।

मान्यवर, इसके बाद लिया जायेगा 500 से 999 तक की जनसंख्या के मानकों को और उसके बाद 250–499 तक के गांवों को इस योजना में लिया जायेगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो बैठक चल रही थी उसमें से आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है यह सरकार भी निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं कर पायेगी। कुछ जगहों पर पिछली बार वन विभाग की जमीन आयी थी। मान्यवर, कम से कम नियम तरीके से चरणबद्ध ढंग से काम हो एवं जिस भी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता गिरती है उसको जेलों की सीखचों के पीछे बन्द करें। मान्यवर, जो उत्तरांचल के स्थानीय ठेकेदार हैं उनको आई0एम0टी0 में मान्यता प्राप्त एजेंसियों को थोड़ी बहुत छूट देने का कष्ट करें, ऐसा भी न हो, मान्यवर, ज्यादा सख्ती से काम पूरा न हो। भ्रष्टाचार के संबंध में माननीया मंत्री जी ने अपने विद्वतापूर्ण भाषण में भ्रष्टाचार को हटाने का बीड़ा उठाया है, यह बहुत अच्छी चीज है। परन्तु मान्यवर, दो हजार–चार हजार, तथा छः हजार रेट फिक्स हैं, इसको कैसे रोका जाय यह भी देखना होगा। यदि कोई रिवाइज इस्टीमेट आता है और उस पर काम हो चुका हो, तो उसकी जांच अविलम्ब करके भुगतान किया जाना चाहिए इससे कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दो–तीन बातें लाना चाहता हूं। मान्यवर, देश को आजाद हुए करीब 50 से ज्यादा साल व्यतीत हो गये हैं इसके बावजूद मेरे विधान सभा के कई गांवों में सड़क नहीं बनी है। लोगों को इस 21वीं सदी में 50–50 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मान्यवर, ये करोड़ों रुपयों के बजट हर वर्ष आते–जाते रहेंगे, लेकिन फील्ड में क्या हो रहा है यह बहुत चिंता का विषय है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यहां भी हिमांचल पैटर्न पर सड़कों का निर्माण होना चाहिए। अक्सर देखने में यह आ रहा है सड़कें कुछ दूर जाकर बन्द हो जाती हैं, इसके लिए या तो सड़कों का रेट फिक्स किया जाय तथा निर्माणाधीन सड़क की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर फिक्स होनी चाहिए।

मान्यवर, आज हिमांचल प्रदेश में जायें तो कहीं पर भी दीवार नहीं है। दूसरा निवेदन है जो सुनने में आया है, जो साढ़े 4 लाख, साढ़े 5 लाख प्रथम चरण में दिया जाता है, उसमें 5 साल तक चूना ही पड़ रहा है, दोबारा पूरा कि यह सड़क क्यों आगे नहीं बढ़ रही है तो उन्होंने कहा कि यह प्रथम चरण है अभी सर्वे हो रहा है। मान्यवर, जिस क्षेत्र में वन विभाग की भूमि है वहां पेड़ नहीं हैं वहां पर प्रथम चरण में सीधे– सीधे सड़क का कार्य क्यों नहीं किया जाता है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहां दो–तीन पशु वन बिहार हैं वहां बिना गोबिन्द पशु बिहार की अनुमति के पाइप लाइन या पैदल सड़क नहीं बना सकते हैं। मेरा मा0 मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि क्षेत्र की समस्या को ध्यान रखते हुए वहां पर सड़कें स्वीकृत हैं जो धन स्वीकृत है उसे वन विभाग को दिया जाय जिससे वह सड़क बना सके।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सड़कें बनती हैं उसकी गुणवत्ता को चैक नहीं किया जाता है। आज ऐसी सड़कें बन रही हैं।

ठेकेदार ने डामर में तेल डाला और डामर पतला किया और उसके बाद खे करते हुए आगे बढ़ गये सड़क काली हो गयी और डामरीकरण हो गया। मेरा इसमें सुझाव यह है कि जिस भी सड़क का ठेका जिस ठेकेदार को दिया जाय चाहे वह दो किलोमीटर हो या तीन किलोमीटर की हो वहां उसका नाम हो उसके ऊपर उसकी गुणवत्ता हो चाहे वह किसी भी स्कीम के अन्तर्गत बनाई जा रही हो, इस तरह के बोर्ड लग जायें तो इसकी गुणवत्ता को चैक कर सकते हैं। दूसरी चीज जो भी ठेकेदार हो उसके साथ यह कन्डीशन हो उसके पास गुणवत्ता चैक करने के इनस्ट्रूमेंट जरूर हों ताकि वह चैक करायें और विधायकों और सांसदों को अपने-अपने इलाकों में गुणवत्ता चैक करने का, रिपोर्ट देने का अधिकार हो। मान्यवर, सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आती हैं कुछ जिला योजना में आती हैं, कुछ वल्ला सोसाइटी, कुछ गन्ना सोसाइटी द्वारा बनवाई जाती हैं। कभी-कभी वह तीनों योजनाओं में आ जाती हैं इसलिए मेरा कहना है कि इनका जो फण्ड हम देंगे वह जिला योजना के अन्तर्गत आये ताकि एक ही जगह इसकी प्लानिंग हो यह एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। तीन-तीन ऐजेन्सी एक सड़क को बना रही है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सीमेंट को कोई चैक नहीं करता जिसके कारण जो पुल बनाने में सीमेंट का उपयोग किया जाता है उस पुल की लाइफ 40-45 साल तक होती है जब कि अंग्रेजों द्वारा बनाये गये पुल अभी तक चल रहे हैं एक जगह तो मैंने देखा जो 1857 का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल था उनकी गुणवत्ता उच्चकोटि की होने से अब भी मोटर गाड़ियां चल रही हैं। मान्यवर, पहाड़ों में सीमेंट के बजाए जो स्पैन बनाये जाते हैं वे स्टील के बनायें जाय तो वे काफी मजबूत होंगे उनकी लाइफ भी बहुत होगी। यह जो निर्माण कार्यों की संस्तुति विभाग की तरफ से ली जाती है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसका वैरीफिकेशन यदि विधायक अथवा माननीय सांसदों से करवा लिया जाय तो इससे एक तो हमें यह पता रहेगा यह कहां पर बन रहा है तथा दूसरा अधिकारियों को इस बात का डर रहेगा कि हमारी संस्तुति अभी फाइनल नहीं है इसे जनता के प्रतिनिधि भी देखेंगे। हमें उनकी भी संस्तुति चाहिए।

श्री अनिल नौटियाल-

माननीय अध्यक्ष जी आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जैसा कि माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र को विकसित तभी माना जाता है जब उस क्षेत्र में सड़कें हों। मान्यवर, वर्ष 2001-2002 में कुल नई 583 सड़कें बनाई गयी जब कि वर्ष 2002-2003 के लिए मात्र 330 कि0मी0 नये मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार से 2001-2002 में 53 सेतुओं का निर्माण किया गया इस वर्ष 38 सेतुओं का निर्माण प्रस्तावित है केवल पुनर्निर्माण कार्यों में ही थोड़ी बहुत बढ़ाई गयी है। मान्यवर, एक शासनादेश का जिक्र अभी माननीय अजय भट्ट ने किया जो 27-12-2001 को जारी हुआ उसमें जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि बहुत कम दी जाती है।

मान्यवर, जिला योजना के माध्यम से भी कई मार्गों का निर्माण कराया जाता है। इनके माध्यम से भी निर्माण कार्य कराकर क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। मान्यवर, आज हमारे रावत जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कल कहा था कि 1997 में हमने 40-40 किलोमीटर सड़कें दिलाई थी, आज हम माननीया मंत्री जी से भी आग्रह करना

चाहते हैं कि इस तरह की स्वीकृति आप द्वारा भी दी जाय और विधायकों की संस्तुति के आधार पर सड़कों का निर्माण पूरे उत्तरांचल में कराया जाय। 1982 का उत्तर प्रदेश का एक शासनादेश माननीया मंत्री जी ने सदन में दिखाया, मैं माननीया मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उस शासनादेश पर पुनर्विचार करते हुए उत्तरांचल में इस तरह का शासनादेश जारी करें ताकि यहां के बेरोजगारों को राहत मिल सके। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस ओर सम्भवतः किसी अन्य माननीय सदस्य का ध्यान नहीं गया। निर्माण निगम के माध्यम से आज हमारे उत्तरांचल में बहुत अधिक विकास कार्य किये जा रहे हैं और निर्माण निगम के द्वारा 12.50 प्रतिशत की रॉयल्टी उत्तरांचल की तरफ से उत्तर प्रदेश को जा रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपना निर्माण निगम बनाने पर विचार किया जाय। इस प्रकार जो आय हमें होगी, उसको हम विकास कार्यों में लगा सकते हैं। मान्यवर, गैरसैंण–रामनगर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव पूर्व सरकार ने रखा था इसके अतिरिक्त गैरसैंण में मढोथा और हरसाडी में दो झूला पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव भी पिछली सरकार ने रखा था, जो वित्त विभाग में पड़ा है। उसको स्वीकृत किया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है, जिसमें कुमाऊं का भी कुछ क्षेत्र आता है और गढ़वाल का भी कुछ क्षेत्र आता है। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि सीमा पर सड़कों के माध्यम से उनको जोड़ा जा सकता है। माननीय त्रिपाठी जी यहां पर बैठे हैं, आपका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से मात्र 2–4 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग द्वारा उसको जोड़ा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सड़कों के निर्माण के संबंध में यहां पर जो चर्चा की जा रही है, उसका सारांश यही है कि मोटर मार्गों के निर्माण के सन्दर्भ में कोई समयबद्ध कार्यक्रम पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार निर्माण कार्यों के बारे में कोई समयबद्ध कार्ययोजना बनायेगी, ताकि समय पर निर्माण कार्य सम्पन्न हो सकें। दूसरा सुझाव यह है कि उत्तरांचल में स्टाफ की कमी के कारण समय पर काम नहीं हो पा रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो घनसाली लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है उसमें 12 जूनियर इंजीनियर के पद स्वीकृत हैं और उसमें से 4 ही कार्य कर रहे हैं, और आज कल तो केवल 3 कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से यह स्थिति है। जिससे कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीया मंत्री जी इस स्टॉफ की पूर्ति का कार्य करेंगी ताकि कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में घनसाली कोटी, अखोडी, डोनाला खाल, मूलगढ़ मोटर मार्ग है, मान्यवर, उस पर पिछले 10 वर्षों से कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। और यही स्थिति घनसाली, चमियाला किमुण्डाखाल, रिन्दुक, प्रदुड़गांव, लाटा–भटगांव, छतियारा नौल, चबेटी मूलगढ़ थार्ती, चिरपटिया, चाड़ी, डंखषाण गांव मार्ग की है। जहां पर आज तक पिछले 20 वर्षों से डामरीकरण

नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि यह जो दूरस्थ इलाका है, पूरे देश–विदेश के पर्यटक वहां जाते हैं, वहां ऐसी कच्ची सड़क है कि जान हथेली पर रखकर जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जो 1990 में मोटर मार्ग स्वीकृत कराये थे उसके बाद 1990 के बाद उन मोटर मार्गों के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी रही है और इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि मूलगढ़ ठेला मार्ग, बूढ़ा केदार बेबक हल्का वाहन, सिंदुल पट्टुड़गांव आदि जो पिछले 10–12 वर्षों से लम्बित हैं। मान्यवर, उनमें कार्य की प्रगति नहीं हुई है। उसमें मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीया मंत्री जी इस पर कार्य की प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं। मैंने अभी विभाग से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि दिनांक 27–12–2001 के शासनादेश के अनुसार जिला योजना की स्वीकृति हेतु नव–निर्माण में 20 प्रतिशत, सेतु निर्माण 20 प्रतिशत तथा डामरीकरण, हल्का वाहन को मोटर मार्ग का परिवर्तन करना उसके लिए 60 प्रतिशत। मैंने देखा, मैंने आपकी बात समझी। यह हल्का वाहन मार्ग जो राष्ट्रीय निर्देश आते हैं उसमें वे कहते हैं कि हल्का न बनाकर मोटर मार्ग बनाइये, हमारी परिस्थितियों में इसे कहीं न कहीं बनाया जाना ठीक होगा। किन्तु जल्दबाजी में नहीं, सम्यक् विचार करने के उपरान्त। चूंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे जंतवाल जी जो छात्र संगठन के नेता भी रहे हैं उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी भाषा में कहीं, संसदीय भाषा में कहीं। भ्रष्टाचार की तरफ उन्होंने जबरदस्त संकेत दिया, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि एक ही सड़क कई बार बनती है, यह भी सही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसे भी मैं सही मानती हूं। मान्यवर, एकाउन्टबिलिटी निर्धारित करनी होगी।

मान्यवर, फिजिकल वेरीफिकेशन भी कराना होगा। हम गवर्नमेन्ट में हैं। इस पर अंकुश लगाने में आप सबका सहयोग चाहिए। एकाउन्टबिलिटी तय करनी होगी। इसके लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद जो लिप्त पाये जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से हम हिचकेंगे नहीं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा, ऐसा दावा तो मैं नहीं कर रही हूं। लेकिन मान्यवर, एकाउन्टबिलिटी तय की जायेगी। एक करोड़ में 20 लाख लगा और 80 लाख गायब कर दिया गया या समय अधिक लग गया जिसके कारण निर्माण लागत बढ़ गई। इसमें आपका सहयोग मिला तो हम इसे दूर करेंगे। जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वे हमारे ही विभाग के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। जिस ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है, उस ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा। मान्यवर, सब्जी उत्पादन वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण की बात कही गयी। मान्यवर, सब्जी और फल उत्पादन के बिना हमारे देश में कोई होटल चल ही नहीं सकता है। जिन क्षेत्रों में सब्जी और फल का उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में सड़कें बनवाई जाएंगी। हमारे अधिकारी इस बिन्दु को नोट कर लें। हमारे पास कई योजनाएं हैं नेशनल हाईवे है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। कहां से कहां तक की सड़क लें, इसके लिए हम कम्प्यूटराईजेशन भी कर रहे हैं। हम विश्व बैंक से ऋण लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेंगे लेकिन हमारी सरकार उत्तरांचल में सड़कों का जाल बिछाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तरांचल की आय बढ़ाने के लिए और पर्यटन तथा तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत आवश्यक है। मान्यवर,

दैनिक वेतन भोगियों की बात कही गई। इनके लिए हमने भी बहुत संघर्ष किया है। हम इनकी खुशहाली के लिए प्रयास करेंगे। टेण्डर प्रक्रिया के बारे में आपने कहा। जो भारत सरकार के मानक हैं, उन्हें बेस बनाकर, पढ़कर हम कार्यवाही करेंगे।

इसके लिए यह प्रश्न आया 82 के शासनादेश को बदलकर 2002 का हमने नया शासनादेश दिया। हमारे माननीय सदस्य ने जिन्होंने जिला योजना बजट की पीड़ा के बारे में कहा है हम इसको देखेंगे। निर्माण निगम से पी0डब्ल्यू0डी0 फिलहाल कोई कार्य नहीं करा रही है। जब राजधानी बनी तो निर्माण निगम यहां आया, तत्कालिक व्यवस्था के लिए। गाड़ी को पटरी पर आने पर ही हम भरोसा दिलायेंगे। समयबद्ध कार्यक्रम की ओर नेगी जी ने ध्यान आकर्षित किया। आज देहरादून में जितनी भी सड़के बन रही है। मैंने कहा है उसका लक्ष्य बताइये, टाइम बाउण्ड बतायें। माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क को देखने गये तो उसकी गुणवत्ता गलत थी। यह किस दिन पूरी होगी, किस स्पेसिफिकेशन से बन रही है। फिलहाल यह हमारा काम है हम एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। माननीय प्रकाश पंत जी ने स्लिप जोन की कोई व्यवस्था नहीं है, वाली बात उठायी हमने इसके लिए 15 करोड़ का प्राविधान किया गया है। स्लिप जोन मद में जो मस्टर रोल पर काम करेंगे, जो मिट्टी उठाते हैं उनका उपयोग किया जायेगा क्योंकि अचानक स्लिप जोन आ गया तो उस समय इन्हीं लोगों का उपयोग किया जाता है टैम्परेरी व्यवस्था के लिए। इसको हमने क्रानिक जोन तक सीमित रखा है। पहाड़ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए दूसरा और कोई चारा नहीं है। इसके लिए प्राविधान किया है। पन्त जी ने एक ध्यान आकर्षित किया उनकी पीड़ा ठीक है हम भी उधर होते तो ऐसे ही पीड़ित होते। विधायकों का 10 कि0मी0 तक की सड़क की संस्तुति प्रदान करने की, तो इस बारे में हमसे ज्यादा मत बोलवाइये। जब यहां 30 विधायक थे तो उस समय केवल 8 के लिए प्रस्ताव आया था उसमें हम भी थे। सदन में कही गयी बात गैर जिम्मेदाराना नहीं होती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 26 दिसम्बर से आचार संहिता लगी तो क्या उसके पहले के सारे काम बन्द हो जायेंगे ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह सब कार्य होंगे। मान्यवर, जो वित्तीय स्वीकृति होनी थी इसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, जब हमने देखा कि इन सबके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो हम 70 विधायकों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, बिना कैबिनेट के हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में सड़कों का निर्माण होगा। मान्यवर, मैं स्वयं काशीपुर गई और मैंने देखा कि वहां सड़कों पर काम नहीं किया, जब मैं उन सड़कों से गुजरी तो मैंने तुरन्त गाड़ी से उतर कर पूछा कि काम क्यों नहीं हो रहा है, फिर मैंने कहा कि जिन लोगों के पास इसका काम है उनके पेमेण्ट रोक दिये जायें। मान्यवर, जब उनके पेमेण्ट रोक दिये गये तब वह लोग मेरे पास दौड़ कर आये। मैंने, उनके नाम मंगाये हैं। मान्यवर, इस मद में जितनी भी राशि होगी उसे खर्च करना है। हमें सारा निर्माण करना है उसमें छोटी सड़कें भी बननी हैं। माननीय अजय भट्ट जी आपने सभी सड़कों के विषय में बताया कि जाँच के अभाव

में सड़कें नहीं बनी, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने इसके बारे में मुझे बताया। मान्यवर, मैं इसका पता कराऊंगी कि कहां-कहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और इनको चिन्हित करके इसकी जांच करायेंगे।

मान्यवर, हमारे तमाम साथियों के यहां पर सुझाव आये हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने गोविन्द पशु विहार वन विभाग को सौंपने सम्बन्धी बात कही। मैं माननीय सदस्य को बता दूं। ऐसे तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, वन विभाग को भी वहां सड़क बनाने की परमीशन नहीं है। फिर भी इस बारे में वन विभाग तथा वन मंत्री के साथ मिल बैठकर कुछ वार्ता करेंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी प्रभावित न हों। इन्हीं शब्दों के साथ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, कितनी प्रतिशोच्च्य की बात है, पिछली बार हमने सड़क के सर्वेक्षण कार्य के लिए 30 हजार रु0 रखा था, उसको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, इसके कारण यह वित्तीय कार्य प्रभावित हो रहा है।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, सड़कें तो सभी बनेगीं, यह पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं, वे हमें समय-समय पर अपने सुझाव दें, सुझावों का स्वागत किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी गुणवत्ता की, हम इसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। दबाव में कार्य नहीं करेंगे यही हमारा उद्देश्य है। मैं समझती हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन की दृष्टि से आप सभी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की अपील करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जंतवाल जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4358389 हजार (चार सौ पैंतीस करोड़ तिरासी लाख नवासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास विभाग

ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2164261 हजार (दो सौ सोलह करोड़ बयालीस लाख इक्सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल ही जीवन है यह सभी लोग जानते हैं कि शरीर में 70 प्रतिशत भाग जल है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सुदूर ग्रामीण इलाके से लेकर मैदानी क्षेत्र के हर गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो यह हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान मे हमारी पेयजल निर्माण कार्य जल निगम, रख–रखाव जल संस्थान तथा जन सहभागिता के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वजल को उत्तरदायी बनाया गया है। स्वजल के माध्यम से स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं। चौथी व्यवस्था है एकल गांव के रख–रखाव का काम ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। हमारे उत्तरांचल में 31008 बस्तियां हैं, जिसमें से 29906 बस्तियों में पेयजल संचारित किया जा रहा है। 70 गांव गैर आबादी वाले हैं। सन् 2002–2003 के लिए लगभग 577 गांवों को पानी दिलाने की व्यवस्था का प्राविधान है। ग्रेविटी के स्रोतों से पानी पहुंचाना मुश्किल होगा। वहां हार्वेस्टिंग द्वारा पानी उपलब्ध कराया जायेगा, जहां यह व्यवस्था भी नहीं होगी वहां पम्पिंग द्वारा व्यवस्था की जायेगी। नये प्रदेश होने के नाते इसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड रहा है जिसका मुख्य कारण है दैवीय आपदायें इसके अलावा कई बातें और भी हैं जिनकी वजह से इसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारी जनता को पानी की दिक्कतों को सहना पडता है।

मान्यवर, एक कैबिनेट की सब कमेटी गठित की है जो इसके बेहतर भविष्य के लिए कारगर कदम उठायेगी हम इसके लिए चिंतनशील हैं हम उनके जल स्रोतों के संवर्धन के लिए तथा जो वर्तमान में सूखे पड़े हैं पहले उनसे पानी उपलब्ध होता था जनता की आवश्यकताएं पूरी होती थी। उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार ने एक शीर्ष बैठक भी शासन स्तर पर की है, जिसके अध्यक्ष फारेस्ट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं पेयजल सैक्रेटरी उसके संयोजक हैं। उसमें अन्य 11 अधिकारी हैं, यह इस पर विचार करेंगे कि इन जल स्रोतों को कैसे संरक्षित रखा जाय कैसे इसको यथावत् बनाया जा सकता है। पहली बार हमारी सरकार ने यह कोशिश की है कि जो पेयजल है उनमें अभी तक किसी का स्वामित्व नहीं होता था, किसी की जवाबदेही नहीं होती थी, उन जल स्रोत के रख–रखाव के लिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, अब उनकी जवाबदेही तय की जा रही है। जल स्रोत का बीमा करवाया जा रहा है, ताकि उनका रख–रखाव समय पर हो सके। चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 142.74 करोड़ की

धनराशि की व्यवस्था की गयी है। जिसमें भारत सरकार से त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना में रुपये 52.18 करोड़ तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से रुपये 14 करोड़ की धनराशि का आवंटन प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्ष 2002–2003 में नगर पेयजल योजनाओं के मद हेतु रुपये 13 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में भारत सरकार ने त्वरित नगर कार्यक्रम में 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है तथा 50 प्रतिशत राज्यांश होता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच करोड़ का बजट रखा गया है। बीजापुर कैनाल से देहरादून के लिए 12 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है इस हेतु रक्षा विभाग से भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर ली गई है। आर्मी हैड क्वार्टस से स्वीकृति अपेक्षित है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जून, 1985 में गंगा कार्यकारी योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें गंगा नदी के तट पर स्थित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को सम्मिलित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत हरिद्वार एवं ऋषिकेश के प्रथम चरण में निर्मित सीवरेज कार्यों का रख–रखाव जल निगम द्वारा कराया जा रहा है जिस हेतु 2002–2003 में 4 करोड़ का बजट रखा है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 08 नगरों जिसमें बद्रीनाथ, गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग एवं उत्तरकाशी की योजनायें स्वीकृत हैं जिनके लिए भारत सरकार सीधे परियोजनाओं को धनाबंटन करती है।

मान्यवर, राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता के लिए सैक्टर रिफॉर्म पायलट प्रोजेक्ट की एक अभिनव परियोजना प्रारम्भ की गयी है, इस योजना की कुल लागत रुपये 40 करोड़ है जिसमें से ग्रामीण समुदाय द्वारा रुपये 2.50 करोड़ वहन किया जाना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उत्तरांचल राज्य के एक जनपद में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के लिए रुपये 20 करोड़ आवंटित किये गये हैं। उत्तरांचल की जनसंख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस धनराशि से एक जनपद के स्थान पर 5 जनपदों, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी एवं पौड़ी में यह कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष की स्वीकृत रुपये 7.81 करोड़ धनराशि के सापेक्ष इस वर्ष पेयजल सैक्टर के लिए रुपये 14 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित हैं।

मान्यवर, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 6 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस योजना हेतु गत वर्ष कुल 81.66 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था तथा वर्तमान वर्ष हेतु कुल 137.29 लाख रुपये का प्रस्ताव है। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि 50 लाख रुपया ऋण/अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें 15 प्रतिशत अनुदान, 5 प्रतिशत लाभार्थी का अंशदान एवं 80 प्रतिशत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय योजना में शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय में बदलना तथा नये व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। इसमें कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष हडको से ऋण एवं 50 प्रतिशत भारत सरकार का अनुदान और 5 प्रतिशत अंशदान सम्मिलित है। 39 नगरों में कुल 26099 शौचालयों के निर्माण हेतु 1146.43 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार कर, हडको को प्रेषित की गयी है।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् अर्द्धकुम्भ 2004 उत्तरांचल राज्य का प्रथम महापर्व होगा और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस महापर्व में आवश्यक व मूलभूत सुविधाएं जुटाना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि उच्च स्तरीय बैठकों में भी यह निर्णय लिया गया है कि अर्द्धकुम्भ के लिए अस्थायी निर्माणों के बजाय स्थायी निर्माण कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अस्थाई निर्माण कार्य कराये जाएं। वर्ष 2002–2003 के आय–व्यय में इस हेतु 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जिसे अर्द्धकुम्भ की महत्ता को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 100 करोड़ रुपया किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में इस हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार के योजना आयोग से प्राप्त हुई है। नैनीताल क्षेत्र की झीलों के संरक्षण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, मुझे आशा है कि पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर निश्चित रूप से मुझे आप लोगों का सहयोग मिलेगा और आप लोग इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं लाएंगे, बल्कि कुछ अच्छे सुझाव देंगे जिनका समावेश करके हम पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बना सकें। धन्यवाद।

अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास विभाग

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1456621 हजार (एक सौ पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये ग्राम्य विकास विभाग, आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा पूरे प्रदेश की जनता ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के साथ–साथ उन गरीबों के उत्थान की बात इसमें निहित है, जिसमें रोजगार, काम और दोनों की ही व्यवस्था समायोजित ढंग से की जाती है। पूरे प्रदेश में 1033137 परिवार रहते हैं जिसमें से 376502 बी0पी0एल0 की श्रेणी से नीचे हैं और इनके उन्नयन के लिए आर्थिक सुधार के लिए, समृद्धिशाली बनाने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बंजर भूमि विकास योजना और राज्य स्तरीय सभी केन्द्र द्वारा संचालित योजनायें हैं, विकास भवनों का निर्माण, क्षेत्रीय समितियों का अनुदान, विधायक निधि और सांसद निधि। इसमें मैं आपको जो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। स्वर्ण जयन्ती योजना, ग्राम रोजगार योजना के बारे में बताना चाहता हूं। 376502 परिवारों के लिए हैं जो लोग गरीबी की रेखा से जीवन–यापन करने को मजबूर हैं, उनके उत्थान के लिए कि वे ए0एल0पी0 तक पहुंचे स्वयं सहायता ग्रुप का गठन किया गया है और स्वयं सहायता

ग्रुप के माध्यम से उनको रिवाल्विंग फण्ड दिया जाता है, पैसा इकट्ठा करने की भी व्यवस्था की जाती है और इस समूह के माध्यम से एक जागरण का कार्य किया जाता है उसमें वे अपनी आवश्यकतानुसार उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं, पहले फेज में रु0 10 हजार का अनुदान और अधिक से अधिक एक लाख पच्चीस हजार के अनुदान की व्यवस्था है और जब रु0 10 हजार लोन मिलता है तो रु0 15 हजार बैंक लोन के रूप में मिलता है। मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि ग्राम्य विकास विभाग ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कौन–कौन सी चीजों का यहां पर निर्माण कराया, क्या विपणन व्यवस्था करायी, क्या गुणवत्ता है, क्या उसको बढ़ावा मिला है और उसी के लिए मैंने कहा था कि कम से कम जो लोग मुझे पीछे से बल्ब दिखा रहे थे। मैंने कहा कि बल्ब ही सही, बल्ब दिखा दो। जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं और मैं इसकी गुणवत्ता को दिखाने के लिए, आप पीछे से कुछ कर रहे हैं यह कह रहे थे कि टार्च की व्यवस्था करें। अगला बजट भाषण जब हम माननीय तिवारी जी के माध्यम से पास करेंगे तो उन्हीं समूहों के माध्यम से एक टार्च की भी व्यवस्था करेंगे। अगले वार्षिक बजट की बात मैं कर रहा हूं। तो हम टार्च तक बढ़ेंगे तो यह स्वयं सहायता का एक बिन्दु मैंने बताया यह महत्वाकांक्षी योजना है, यह वे लोग निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हैं जिनकी आमदनी कम है। एक संगठित होने की भावना उनमें आयी। पहले फेज में वे स्वयं पैसा जमा करते हैं दूसरी ग्रेडिंग में उन्हें पैसा मिलता है।

मान्यवर, 21 तारीख को स्व0 राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि के अवसर पर हमने इन लोगों के लिए 1 लाख रुपये तक का रिस्क कवर करने वाली बीमा योजना तैयार की है। मान्यवर, इन लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं होता है कि ये बीमा करा सकें। यदि किसी परिवार का कोई कमाऊ आदमी घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उस 1 लाख रुपये से उसके परिवार को कुछ आसरा तो मिलेगा। इस बीमा का प्रीमियम रिवाल्विंग फंड से दिया जायेगा। मान्यवर, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार ने पृथक से 15 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया है। राज्य गठन के बाद 6 योजनाओं जिनकी कुल लागत रु0 44.19 करोड़ की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जिसमें 31.33 करोड़ केन्द्रांश तथा 10.44 करोड़ राज्यांश है। अब तक 15.77 करोड़ रुपया अवमुक्त हो चुका है। टैक्नालॉजी, ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत 3 जनपद चयनित थे। इसमें अब तक 2.05 करोड़ रुपया अवमुक्त किया जा चुका है। इसी प्रकार टी0टी0डी0सी0 परियोजना 10 जनपदों हेतु स्वीकृत है। इसकी लागत रु0 9.53 करोड़ है जिसमें केन्द्रांश रु0 7.14 करोड़ तथा राज्यांश रु0 2.38 करोड़ है अब तक रु0 2.85 करोड़ केन्द्रांश अवमुक्त हो चुका है। इसी प्रकार मशरूम उत्पादन योजना 3 जनपदों नैनीताल, अल्मोड़ा व ऊधमसिंह नगर में रु0 10.25 करोड़ की स्वीकृत है। इसमें गरीबी की रेखा के नीचे के 10 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इसमें केन्द्रांश रु0 7.68 करोड़ तथा राज्यांश रु0 2.30 करोड़ है अब तक रु0 50.125 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है। इस योजना में 63 परिवारों को अनुदान वितरित किया जा चुका है। मान्यवर, एकीकृत अंगोरा ऊन उत्पादन योजना भारत सरकार से 2002 में स्वीकृत हुई है। इस योजना की लागत रु0 9.54 करोड़ केन्द्रांश रु0 4.25 करोड़ व राज्यांश रु0 1.41 करोड़ तथा अवमुक्त केन्द्रांश रु0 1.71 करोड़ है। इस परियोजना के

अन्तर्गत अंगोरा खरगोश, जर्मप्लाजम सेंटर की स्थापना, खरगोशों के स्वास्थ्य, प्रजनन पर शोध एवं विकास, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता संतुलित आहार तैयार करने हेतु फीड प्लांट की स्थापना, प्रसार कार्यक्रम, कामनफोटो सेन्टर की स्थापना, डिजाइन डेवलपमेंट, बुनकर, दस्तकारों की क्षमता का विकास हेतु प्रशिक्षण। 13000 महिलाओं एवं युवकों को रोजगार देकर लाभान्वित किया जायेगा। मान्यवर, उत्तरांचल रूरल पोल्ट्री डेवलपमेंट मार्केटिंग एवं इक्टेंशन योजना भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। जिसमें केन्द्रांश रु0 6.90 करोड़ व राज्यांश रु0 20.30 करोड़ है। मान्यवर, ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम योजना में रु0 3.20 करोड़ केन्द्रांश व रु0 1.06 करोड़ राज्यांश है। इस योजना से, ग्रामीण शिल्प की गुणवत्ता में विकास होगा। मान्यवर, ग्रामीण रोजगार योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होगी। मान्यवर, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर ग्राम पंचायतों के स्थायी अवस्थापना एवं रोजगार सृजन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2001–2002 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 3087.94 लाख के विपरीत रु0 2291.85 लाख व्यय कर रु0 26.74 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया तथा 12149 कार्य पूर्ण किये गये। मान्यवर, वर्ष 2002–03 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना उपरोक्त दोनों योजनाओं को सम्मिलित करते हुए चलाई जायेगी। योजना का प्रस्तावित परिव्यय रु0 6563 लाख होगा जिसमें राज्यांश रु0 2016 लाख सम्मिलित है। इसी परिव्यय के समतुल्य रु0 6563 लाख मूल्य का खाद्यान्न भारत सरकार से निःशुल्क प्राप्त होगा। योजना में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के साथ–साथ कुल 60 लाख मानव दिवसों के समतुल्य रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। योजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में 50 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों को दी जायेगी। द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की जायेगी। ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 50 हजार रुपया मिल सके।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवास विहीन परिवारों को 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु अनुदान के रूप में दिया जाता है दो श्रेणी के आवास पूर्ण आवास ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में रु0 22,000.00 तथा मैदानी क्षेत्रों में रु0 20,000.00 है तथा उच्चीकृत हेतु 10,000.00 रु0 अनुदान स्वीकृत किया जाता है। आवास में प्राथमिकता बन्धुवा मजदूरों, अनुसूचित जाति/जनजाति की विधवा महिलाओं/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के आवास विहीन तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य परिवार हैं। योजना का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आवास में शौचालय तथा निर्धूम चूल्हों का निर्माण होना आवश्यक है। वर्ष 2001–2002 में उपलब्ध धनराशि रु0 2765 लाख के विपरीत व्यय रु0 2464.75 लाख तथा 11245 आवास निर्मित किये गये। वित्तीय वर्ष 2002–2003 का प्रस्तावित लक्ष्य रु0 3149 लाख जिसमें 789.4 लाख राज्यांश सम्मिलित है। 17250 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में भी केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान के आधार पर इन्दिरा आवास तथा क्रेडिट–कम–सब्सिडी आवास योजना के मार्ग–निर्देशों के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2001–2002 में 258 लाख कुल 2046 आवास हेतु प्राप्त हुए यह धनराशि मार्च 2002 में प्राप्त हुई। कार्य प्रगति पर है वर्ष 2002–2003 हेतु 200 लाख का प्राविधान 1200 आवास निर्मित होंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 तक के जनसंख्या के सभी ग्रामों को वर्ष 2007 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है। प्रारम्भ में 1000 तक, फिर 500 तथा अंत तक 250 की जनसंख्या को मास्टर प्लान के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा। यह योजना वर्ष 2000–2001 से प्रारम्भ हुई है अब तक रु0 121.26 करोड़ केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुका है कुल 69 पैकेज तैयार कर 85 मार्गों के निर्माण एवं उच्चीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

क्रेडिट–कम–सब्सिडी हाउसिंग योजना के अन्तर्गत रु0 32000.00 तक वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है कुल 40,000 के लागत से आवास निर्मित किये जाते हैं जिसमें दस हजार अनुदान व शेष तीस हजार बैंक ऋण सम्मिलित है। वर्ष 2001–2002 में उपलब्ध कुल धनराशि का रु0 73.63 लाख के विपरीत रु0 36.10 लाख व्यय कर 376 आवास निर्मित किये गये हैं। वर्ष 2002–2003 हेतु रु0 676 लाख जिसमें राज्यांश रु0 19 लाख सम्मिलित है का प्रस्ताव रखा गया है जिससे 760 आवास निर्मित होंगे।

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन संरक्षण रसोई घर में धुआं कम करना, खाना पकाने तथा जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की कठिनाई कम करना, वनों की कटाई रोकना व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी तथा उठाऊ चूल्हे ग्रामीणों को स्वयं सहायता कार्यकर्ता के श्रमांश वहन करने पर अनुदान के रूप में 50 रु0 उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2001–2002 में उपलब्ध कुल धनराशि रु0 1.04 लाख के विपरीत शत प्रतिशत धनराशि का व्यय कर 1955 चूल्हे निर्मित कराये गये। वर्ष 2002–2003 हेतु रु0 1.65 लाख का प्राविधान किया गया है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थापित कार्यों से कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण पर्यावरण तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय बायोगैस योजना चलायी जा रही है। उत्तरांचल में बायोगैस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से इसे डेरी विकास से संबंधित ग्रामों से जोड़ा गया है। वर्ष 2001–2002 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 21.36 लाख में से रु0 17.34 लाख व्यय कर 634 बायोगैस संयत्र स्थापित किये गए। वर्ष 2002–2003 हेतु रु0 38.5 लाख का प्राविधान किया गया है।

जलागम से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सुखोन्मुख कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया गया है डी0पी0ए0पी0 कार्यक्रम राज्य के 7 जनपदों के 29 ग्रामों में संचालित है वर्ष 2001–2002 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1507.26 लाख के विपरीत रु0 614.99 लाख का व्यय कुल रु0 4873.63 राज्यांश का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

जल संरक्षण संवर्द्धन तथा बंजर भूमि एवं विकास के उद्देश्य से आई0डब्ल्यू0डी0पी0 कार्यक्रम चलाया गया है वर्ष 2000–2001 से उत्तरांचल के गठन के पश्चात् इस कार्यक्रम को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण तथा क्षेत्र समितियों को अनुदान के मद में रु0 954 लाख का वर्ष 2002–2003 में प्राविधान किया गया है।

विधायक निधि के अब तक कुल उपलब्ध धनराशि रु0 6700 लाख के विपरीत रु0 4091 लाख व्यय किया गया कुल 7690 कार्यों में से 3774 कार्य पूर्ण कराये गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में रु0 35 करोड़ का प्राविधान है।

सांसद स्थानीय विकास निधि हेतु माननीय 6 सांसदों को शासन से प्राप्त धनराशि रु0 5473 लाख के विपरीत रु0 4600 लाख का कार्य स्वीकृत तथा रु0 4554 लाख व्यय किया गया है।

खड़ंजा नाली निर्माण योजना में प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों में आवागमन की सुविधा एवं पर्यावरण की दृष्टि से खड़ंजा नाली निर्माण पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलायी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष हेतु रु0 63 लाख रुपया प्रस्तावित है। जिसमें 70 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में खड़ंजा निर्माण किया जायेगा।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास का अवलोकन करने से लगता है कि वह जनता के अनुकूल नही है। मान्यवर, यह बात सही है कि यह नया राज्य बना है, लेकिन पिछले 55 वर्षों में कोई न कोई सरकार रही होगी पर पिछले 55 सालों में भी सरकार जनता को शुद्ध पेयजल नहीं दे सकी। मान्यवर, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 31008 बस्तियों में से कुल 107 असेवित तथा 908 आंशिक सेवित बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की बात कही गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 77 असेवित व 502 आंशिक सेवित बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, परन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी उत्तरांचल के सुदूर क्षेत्रों में 75 प्रतिशत पेयजल योजनायें जीर्ण–शीर्ण हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जितना भ्रष्टाचार जल विभाग में होता है उतना शायद ही किसी विभाग में हो। मान्यवर, स्याल्दे विकास खण्ड में जहां सदेयहर पेयजल योजना का रु0 60 लाख से निर्माण हुआ, और उसके निर्माण के बाद उसकी मरम्मत के लिए जनता ने आन्दोलन किया और फिर अधिकारी आगे किसी तरह से उसको सुलझाया परन्तु विभाग में उसकी मरम्मत का 90 लाख रुपयों आगणन बना दिया। रु0 60 लाख की योजना हेतु रु0 90 लाख की मरम्मत। यह है विभाग की कारस्तानी। मान्यवर, पिथौरागढ़ में नौला डिवीजन है और कई योजनायें हैं जो करोड़ों की लागत से बनी हैं, पर जब जनता ने आन्दोलन किया तब जांच कमेटी बनाई, जांच के प्रमाण भी मिल गये, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी दण्डित नहीं हुआ। मान्यवर, 131 करोड़ रुपये की व्यवस्था ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए रखी गयी है। मान्यवर, इसकी क्या गारण्टी है कि इस धन का दुरुपयोग नहीं होगा। मान्यवर, जब तक जन कल्याण की भावना नहीं होगी तब तक इसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा। मान्यवर, करोड़ों रुपये इस योजना में खर्च हो गये पर आज भी लोग प्यासे हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी उदाहरण देते हैं कि यूरोप के लोग टैक्नॉलाजी में बहुत आगे बढ़ गये हैं और हम लोग अभी तक बिजली और पानी ही मांग रहे हैं।

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद की जनता ने मांग की थी उन्होंने पिण्डर नदी पर परियोजना निर्माण की मांग की थी। पिण्डर नदी ग्लेशियर से निकलती है, जिससे एक वृहद् पेयजल योजना बनायी जाय जो जनता को पांच लाख रु0 देगी, इससे अल्मोड़ा जनपद के 15 विकास खण्ड लाभान्वित होंगे तथा इस परियोजना के पीछे जो दृष्टिकोण था जो तत्कालीन प्रदेश सरकार को भेजा गया था, इस पानी से सिंचाई, बिजली तथा पर्यटन आदि सुविधायें मिलेंगी।

इन पेयजल योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा। इन पेयजल योजनाओं को बनाने के लिए हम विश्व बैंक की सहायता लें। मान्यवर, हमारा पूरा उत्तराखण्ड ग्लेशियर नदियों से घिरा हुआ है। अलकनन्दा, मंदाकिनी, कालीगंगा आदि तमाम नदियों से हम फायदा उठा सकते हैं हमें एक पॉजीटिव सोच विकसित करनी होगी तभी हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। मान्यवर, कल मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं बोल नहीं सका। जितने भी पहाड़ के पेयजल स्रोत हैं, सूखते जा रहे हैं तथा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है इससे हमें भारी राजस्व की हानि होगी हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड में आज कई योजनायें ऐसी हैं जो बन्द पड़ी हैं हमारे अधिकारी पैसा खाने के चक्कर में आनन-फानन में ये योजनाएं लागू कर देते हैं। यहां पर हमारे बहुत से साथियों ने गांधी जी का नाम लिया। मैं समझता हूँ डॉ0 लोहिया ने कहा था कि तीन प्रकार के गांधीवादी होते हैं। सुजात, कुजात, मठी गांधीवादी सारे सुजात गांधीवादी यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन पिछले 45 वर्षों से उनकी ही सरकार देश में रही है, आज हमारी क्या हालत है, उसका आंकलन भी हमें अवश्य करना चाहिए।

मान्यवर, तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वह धन के दुरूपयोग की है। जब-जब धन के दुरूपयोग की शिकायतें की गईं तो कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में उन्हें दण्डित होने से बचाया जाता रहा है जब तक इसके उत्तरदायी व्यक्ति दण्डित नहीं होंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। पिथौरागढ़ घाट पेयजल योजना में भी घोटाला हुआ वह भी बहुत बड़ा घोटाला था नैथैना देवी पेयजल योजना जिससे 3-4 विकास खण्ड के सैकड़ों गाँवों को पानी दिया जाता है, उसी नदी से मानिला देवी जाये बैठाई गई प्रमाण भी मिल गये परन्तु पेयजल योजना भवानी देवी पेयजल योजना इस तरह करोड़ों की योजनायें बन गई हैं इनमें एक भी व्यक्ति दण्डित नहीं हुआ है। जब तक इस पर अंकुश नहीं होगा मैं नहीं समझता कि आप इन योजनाओं को कार्यान्वित कर पायेंगे। मान्यवर, सरकार द्वारा बार-बार कहा गया है कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण कर रहे हैं, अभी तक उत्तरांचल में जल निगम का गठन ही नहीं हुआ तो एकीकरण कहां होगा। जल संस्थान में विगत लम्बे समय से 12-16 जूनियर इंजीनियर कार्य कर रहे हैं उन्हें आज तक विनियमित नहीं किया गया, उनका शोषण हो रहा है। पी0टी0सी0 कर्मचारी हैं क्या उनको स्थायी करने या उनको सम्मान जनक मानदेय देने की व्यवस्था नहीं की जा सकती। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र का डंडा बारखाय सबसे बड़ा गाँव है, वहाँ पर 22 किलोमीटर लम्बी योजना है, अभी डेढ करोड़ की दो योजनायें बनी, 22 किलोमीटर दूरी पर उसका स्रोत है, पी0टी0सी0 कर्मचारी को इतना दूर जाना पड़ता है उसे मानदेय मिलता है 250 रुपया मेरा अनुरोध है इसको मानवीय दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल के नगरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, अधिकांश नगरों में विकास का कोई

मास्टर प्लान नहीं है, जहाँ मास्टर प्लान बनाया गया वह प्रशासनिक अधिकारियों की भेंट चढ़ गया। जल निकास और सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है कचरे से प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है। अधिकांश नगरों की सीवर लाइनें पॉलीथीन फंसने से चोक हो रही हैं, इसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। अधिकांश शहरों में ट्यूबलाइट नहीं हैं। अच्छा होता कि ऐसे छोटे–छोटे मजदूरों को उजाड़ने से पहले शहरी क्षेत्रों में उनकी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। शहरी विकास के लिए कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि इस मद में लेनी चाहिए। मलिन बस्तियों के सुधार की कोई कार्य योजना आपके बजट में नहीं है। मान्यवर, नैनीताल शहर के समुचित विकास हेतु 1985 में नैनीताल विकास प्राधिकरण गठन किया गया, यह बिल्डरों के हित में कार्य करता रहा। जन आन्दोलन के बाद झीलों के विकास और संरक्षण के लिए झील विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, उल्टा झील संरक्षण में बिल्डर पनपते गये। केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत रू0 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर ठीक ढंग से इस धनराशि का उपयोग हो पायेगा इससे पहले भी योजना आयोग ने, आज से 3–4 साल पहले 10 करोड़ रुपया नैनीताल और भीमताल की झीलों की सफाई के लिए दिया था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। मान्यवर, यदि झील विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली ठीक न हुई तो यह पैसा भी बेकार चला जायेगा, डूब जायेगा। यहाँ पर एक बार एक महिला जिलाधिकारी आई थीं जिसका नाम आराधना शुक्ला था उसने नैनीताल और भीमताल की झीलों की सफाई के लिए काफी काम किया उसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो समझता हूँ और यह मेरा सौभाग्य भी है कि माननीय नेता सदन तिवारी जी हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों ने महात्मा गाँधी जी के सपनों को साकार करने की बात कही है हमें विकास के लिए जितना धन मिलेगा उसे विकास कार्यों में लगायेंगे। गंगा यहाँ से अधिक दूर नहीं है हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम विकास कार्यों का पैसा जो हमें मिलता उसको अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग नहीं करेंगे। मुझे तारकेश्वरी सिन्हा जी का वो शेर याद आता है जो उन्होंने संसद में कहा था उन्होंने कहा था–

"दिल के फफोले से जल उठे सीने के दाग,
इस घर में आग लगी घर के चिराग से"
क्या हमारे ये चिराग घर को जलने से बचायेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19, ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन, मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

केन्द्र सरकार जितनी योजनाएं बनायेगी, जितना पैसा आपको देगी, उससे आप के ग्राम विकास के कार्यक्रम चलेंगे और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय नेता सदन जी से कि हमको केन्द्र की योजनाओं से लाभ उठाना चाहिए। मुझे याद है आज तक जब हम उत्तर प्रदेश में थे 1993 से पहले ग्रामीण रोजगार योजना के लिए जो केन्द्र से धन आवंटित होता था उसका एक फार्मूला था वह यह था कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ग्रामीण रोजगार योजना में धन केन्द्र सरकार देगी। दूसरा फार्मूला था जहाँ कृषि उपज जितनी ज्यादा होगी वहाँ उतना ही रोजगार के लिए धन अधिक आवंटित होगा। यानी कृषि उपज कम होगी तो स्वरोजगार योजनाओं में भी धन कम आवंटित होगा। इसका नतीजा यह होता था कि हम लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कृषि उत्पादन कम होता है वहाँ ग्रामीण रोजगार योजना में पैसा कम मिलता था।

मान्यवर, मुझे याद है, 1993 में तत्कालीन ग्रामीण विकास सचिव ने सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग के साथ मिलकर, इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाया था। उस समय केन्द्र में जो संयुक्त सचिव थे, उन्होंने इस बारे में सहमति जताई थी कि मैं क्षेत्र में आकर देखूँगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र की तुलना में लागत ज्यादा है। तीसरा, जो फार्मूला लगता था, उससे आवंटन ज्यादा हो जाता था। हमने हैलीकॉप्टर मुहैया कराकर संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अपने क्षेत्र में घुमाया और उन्हें बताया कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। संयुक्त सचिव ने इसको स्वीकार किया और कम कृषि उत्पादन में कम एलॉटमेंट की जगह, कम कृषि उत्पादन में अधिक एलॉटमेंट की व्यवस्था की। इससे फायदा यह हुआ कि जहाँ पहले जे०आर०वाई० में 2–3 करोड़ रुपये आते थे, उसकी जगह पर 38 करोड़ रुपये, 40 करोड़ रुपये आने लगे। हमारे अधिकारीगण यहाँ पर बैठ कर बजट बना देते हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन उनको दिल्ली में भी भारत सरकार से लाईजनिंग करनी चाहिए। मान्यवर, ग्रामीण विकास की सारी योजनाएं बी०पी०एल० परिवारों पर आधारित हैं, उनके कल्याण के लिए आपकी योजनाएं भारत सरकार से पैसा लेती हैं। सर्वे में जो मानक थे, उनके अनुसार जिसके घर में रेडियो है, वह बी०पी०एल० में नहीं आता, जिसके घर में टी०वी० है, जिसके घर में चारपाई तक भी है, उसको भी बी०पी०एल० की श्रेणी में नहीं रखा गया। मान्यवर, एक गरीब मजदूर जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, उसके पास मनोरंजन और सूचना के लिए सिर्फ एक ही साधन है, रेडियो। एक मजदूर जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और जिसकी आमदनी का कोई निश्चित जरिया नहीं है, वह रेडियो रखने के जुर्म में बी०पी०एल० श्रेणी में न आ पाए, यह उचित नहीं है। बी०पी०एल० परिवारों के बारे में फिर से सर्वे कराए जाने की आवश्यकता है। नए राज्य में इकोनॉमी में जो संकुचन है, उसका सामना करते हुए हमको राज्य चलाना है।

मान्यवर, ये तमाम सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। यदि हम यह मानकर चलें कि भारत सरकार पैसा दे देगी तो मात्र इससे काम चलने वाला नहीं है, समय बदल गया है। राज्य सरकारें दिल्ली में बड़ी लॉबिंग करती हैं, बड़े मार्मिक तरीके से अपना पक्ष रखती हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये सरकारें कहती हैं कि यदि केन्द्र सरकार सहायता नहीं करेगी तो हम भूखे मर जायेंगे। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और हमें जो विशेष दर्जा दिया गया है हम उसके अनुसार फिट करें उसको, हमें इस पर कार्य करना चाहिए, यह मेरा कहना है। यह मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मान्यवर आपने स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की बात कही, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। शहद भी मीठा होगा और टार्च में लाइट भी होगी।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, इन समूहों की गतिविधियाँ कई जगह आधी होंगी। आपने बल्ब बनवा दिया, अगले वर्ष टार्च बनवाने का वायदा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन बात तो यह है कि आपकी 10 लोगों का जो समूह की बात है वह कहीं-कहीं पर और ज्यादातर जगहों पर पर्वतीय क्षेत्र के गाँवों में यह फिजिबल नहीं है, इसकी सम्भावना कम है। हमने डी०आर०डी०ओ० की बैठक ली और लोगों ने कहा कि साहब बहुत दिक्कत है। ज्यादा से ज्यादा इसे 5 कर दिया जाए। क्योंकि जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही मत-भिन्नता बढ़ेगी। तो वह संख्या 5 कर दें तो अच्छा होगा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो केन्द्र सरकार के माध्यम से कर लें। हमने योजना बनायी, केन्द्र सरकार से पैसा आया और खर्च होना है, टार्गेट एचीव करना है, लेकिन जिस भ्रष्टाचार की बात हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे, यह भ्रष्टाचार योजनाओं में भी हमको खल रहा है, जो कि बड़ा काम है, बी०पी०एल० के परिवार के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है। मेरे पास, कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय ब्लॉक कनालीछिना में मेरी पहली बैठक में 3 महिलाएं रोती हुयी आयीं, उन्होंने कहा हमारे पास मकान नहीं है, एक के पास तो जमीन भी नहीं थी। उन्होंने कहा इन्दिरा आवास के लिए हमसे पैसा मांगा गया और पैसा नहीं दे सके तो हमें आवास नहीं मिला। यदि उस गरीब से भी पैसा मांगा जा रहा है तो ये सारी योजनाएं, ये सारे दावे खोखले हो गए। मान्यवर, एक गरीब जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है उससे भी पैसा मांग रहे हैं, अधिकारी घूस मांग रहे हैं।

मान्यवर, घूस कमाने की प्रवृत्ति के कारण पात्र व्यक्तियों को मकान नहीं मिल पाते हैं। और जो सरकारी सेवा में हैं, सैनिक सेवा में हैं उनको ये मकान मिल जाते हैं। इसलिए कृपया आप इसकी मॉनीटरिंग करें। खाद्यान्न रोजगार की जो योजना है उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। खाद्यान्न की गुणवत्ता ठीक हो और वह समय पर पहुँचे। वरना जो अनाज जमा हो जायेगा, उसकी बिक्री होगी। कुक्कुट योजना के बारे में आपने कहा। इसमें यह देखा जाना चाहिए जिन लोगों के लिए यह योजना बनाई गई, उन तक इसका लाभ पहुँचे। मान्यवर, हमारे यहां एक जलागम की स्कीम आई थी डी०पी०ए०पी० के तहत। उसमें साढ़े सात करोड़ रुपये मिले भूमि संरक्षण विभाग को और साढ़े सात करोड़ रुपये दिल्ली के किसी स्वयं सेवी संस्था को मिले। पता चला कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के भतीजे की यह संस्था है। मान्यवर, 60 लाख रुपये राज्यांश के रूप में बचा हुआ था, ईनाम के तौर पर वह 60 लाख रुपया भी उस एन०जी०ओ० को दे दिया गया। कुक्कुट प्रसार योजना में आप एन०जी०ओ० को शामिल कर रहे हैं, इसमें मॉनीटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार को इन पर नियंत्रण रखना होगा। मान्यवर, इन्दिरा आवास के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नैनीताल आये थे तो उन्होंने एक विशेष पैकेज दिया।

उन जगहों के लिए जो भूस्खलन प्रभावित है उसमें बड़ी अड़चनें हैं कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में जो बी०पी०एल० नहीं है लेकिन उसका मकान चला गया उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, उसको मकान कहां से देंगे। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इसको भी देखा जाना चाहिए। मान्यवर, अगली बात पी०एम०जी०एस०वाई० है जिसका जिक्र माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी किया पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पैसा आया है, यह बात सही है। उसके रहते-रहते काम समय पर पूरा नहीं हुआ और पैसा पूरा

यूटीलाइज नहीं हुआ, पूरा खर्च नहीं हुआ। उसको आधार मानकर नयी स्कीम बनाई। लोक निर्माण विभाग जो उसकी कार्यदायी संस्था है उसको तो आपने यह कहा कि जे०ई० नहीं ए०ई० नहीं है, आपके विभाग के पास। जैसा माननीय नेता सदन चिन्तित थे कि हमारा ढांचा तैयार नहीं हुआ है। भारत सरकार से पैसा आ रहा है जितना हो सके, उतना उपयोग करना चाहिए। न पिछली सरकार ने इसके बारे में सोचा और न ही आपने सोचा। आपने सोचा भी तो नया रास्ता सोचा। वह कंसल्टेन्ट नहीं है वह पी०डब्ल्यू०डी० का सब्सटीयूट है। सर्वे से लेकर आगणन तक, जमीनों के केस तक, मुआवजा बांटने तक सारा काम पी०डब्ल्यू०डी० करती रही है। इस नीतिगत फैसले को आपने लिया है इस पर अभी नहीं कहूँगा। लेकिन आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार के अवसर हैं। दूसरी बात काम समय पर हो, या ज्यादा से ज्यादा हो, पैसा वापस न जाए। जल्दबाजी में ऐसा भी न हो कि सड़क भी न बने और पैसा भी हमारा खर्च हो जाए। और हमारा स्टेट बदनाम ही जाए। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो डी०आर०डी०ए० है। माननीय नेता सदन और स्व० बीर बहादुर सिंह के समय में अध्यक्ष जिलाधिकारी होता था, हमें होना चाहिए, बहुत पुरानी बात हो गयी लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह डी०आर०डी०ए० भी अपने आप में कंफर्म चीज नहीं है यह भारत सरकार की स्कीम है इस पर भी सोचा जाए। इसमें जो काम कर रहे हैं तदर्थ, दैनिक वेतन वाले ये काफी समय से काम कर रहे हैं। अगर ये एक दिन काम नहीं करें तो काम रुक जाएगा।

मान्यवर, मैं माननीय त्रिपाठी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय त्रिपाठी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, अभी त्रिपाठी जी ने प्राधिकरण के विषय में बात कही। मान्यवर, प्राधिकरण के अन्तर्गत जो मकानों की कालोनियां बनती हैं वह किस प्रकार बनती हैं सब जानते हैं। मान्यवर, हरिद्वार में साल में 36 मेले लगते हैं जिसमें 5–10 लाख लोग आते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि पूरा शासन सारे मेले की व्यवस्था में लग जाता है, तो शासन प्रशासन का काम पीछे छूट जाता है। तो मेरा सुझाव है कि वहाँ पर मेला विकास प्राधिकरण बनाया जाये। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि हरिद्वार के पेयजल की जो व्यवस्था है उसमें अगर नल लगाना होता है तो वह काम जल निगम को दिया जाता है फिर होता यह है कि उनके पास नल के रख–रखाव के लिए कोई बजट नहीं होता है। जब वह नल खराब होते हैं तो खराब ही रहते हैं, यही हालत वहाँ के सीवरेज की है।

मान्यवर, इन दोनों को या तो नगर निकाय से लेकर जल संस्थान को दिया जाय ऐसा मेरा सुझाव है। मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी को बताना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुदान संख्या तीन पर माननीय त्रिपाठी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है कुछ सुझावों के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी बताना चाहूँगा जो स्वजल योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है एन०जी०ओ० स्वजल की स्कीम बनाने के लिए दी जाती है।

मान्यवर, एन0जी0ओ0 में ऐसे लोग आ गये हैं, कई बार शिकायतें आयी हैं पुराने पाईप लगा दिये ये संदेश देने वाले लोग राजनीति में भी हैं मान्यवर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये लोग जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का पैसा इसमें है। इन लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कमेटी का जिक्र किया है, ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देगी। मान्यवर, आपने बताया कि पेयजल योजनाओं का बीमा कर रहे हैं, लेकिन बजट में आपने यह नहीं बताया कि बीमे के लिए प्रीमियम कहां से लेंगे इसका भी स्पष्टीकरण मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ। पेयजल की तमाम समस्याएं हैं। मैं अपने को श्री त्रिपाठी से सम्बद्ध करता हूँ। अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जो लम्बे समय से हिमांचल का कांसेप्ट था कई जगहों पर हुआ और हमने उत्तरांचल में इसको प्रारम्भ किया और गढ़वाल में यह योजना पहले प्रारम्भ की यह बड़ी सफल योजना है इसलिए मैं नेता सदन से आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि कम से कम ऐसे 25 हैण्ड पम्प प्रति विधान सभा सदस्य को दिया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे पेयजल की समस्या का निदान हो सकता है।

मान्यवर, एक समानता उसमें बनी रहेगी, इसमें या तो मंत्री जी बजट दे तो ठीक है। नहीं तो यहाँ पर इसके लिए स्पेशल बजट की घोषणा कर दें। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इसी के साथ मैं त्रिपाठी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं एक दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। माननीय सदस्य द्वारा जो झील प्राधिकरण के बारे में बात कही गयी। इसी तरह देहरादून में मसूरी–देहरा विकास प्राधिकरण है, जो विकास की धारणा होती है उसमें निरन्तरता बनी रहे, परन्तु प्राधिकरण में ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ जो भी अधिकारी आये उसने अपने हिसाब से कार्य करना शुरू कर दिया जो पुराने अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया उसको वहीं छोड़ दिया गया, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज भी यहाँ पर सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि अनधिकृत रूप से बनी हुई हैं, परन्तु प्राधिकरण में उसके संबंध में कभी उसे नियमित करने के लिए या उन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का कभी विचार नहीं किया। दूसरी बात 1999 में एक जी0ओ0 हुआ था नजूल भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने का, काफी लोगों ने उसके आधार पर पैसा जमा करा दिया परन्तु आज तक उस जी0ओ0 के अनुसार वह फ्री होल्ड में परिवर्तित नहीं हुआ। अभी एक प्रश्न का उत्तर में मुझे बताया गया कि इसके लिए एक समिति बनी हुई है, वह उस पर विचार कर रही है। यह जल्द से जल्द हो जाय, जिससे इसका समाधान हो सके। इसी तरह मैं पेयजल के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी जैसा कि देहरादून नगरपालिका था फिर नगरनिगम बना दिया, अब राजधानी क्षेत्र बन गया है जिस प्रकार से इसका उच्चीकरण हुआ उस आधार पर जो सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए वह नहीं हो पायी। जैसे डी0एल0 रोड क्षेत्र है यहाँ के लिए ट्यूबवैल स्वीकृत हुआ, उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इसी तरह लक्ष्मण चौक, खुडबुड़ा क्षेत्र में दो ट्यूबवैल स्वीकृत हुए थे उन पर भी काम नहीं हुआ है, यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल का गम्भीर संकट है, उन ट्यूबवैलों के लिए जो आश्वासन विधान सभा में दिया गया था उनका बनना बहुत जरूरी है। जैसे कई क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में थे वह नगर निगम क्षेत्र में आ गये हैं। यहाँ का रहन–सहन नगरीय

है उसके आधार पर वहाँ पर पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ पेयजल संकट बना हुआ है। एक और क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा नगर निगम का सीवर्स ट्रीटमेंट प्लान कहीं भी नहीं है। कई जगहों पर सीवरों को नालियों में छोड़ा जा रहा है।

मान्यवर, कभी भी महामारी फैल सकती है जिसके गम्भीर परिणाम होंगे। मान्यवर, सफाई कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूँ जितने सफाई कर्मचारी हमारे नगर पालिका के समय में थे वे भी आधे ही थे किन्तु निगर निगम बनने के बाद भी सफाई कर्मचारियों में कोई वृद्धि नहीं की गई। हम चाहते हैं कि नगर साफ सुथरा बने, सुन्दर बने परन्तु जब तक सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तब तक नगर सुन्दर कैसे होगा। उनकी संख्या बढ़ाई जाए। सफाई कर्मचारियों के गैस मास्क नहीं हैं, दस्ताने नहीं हैं, गैस बूट नहीं है। जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और सफाई व्यवस्था भी चुस्त–दुरुस्त नहीं हो पा रही है। मान्यवर, शहर में एक दो जगह जैसे परेड ग्राउण्ड और खुड़बुड़ा में टंकी बनी है लेकिन उस टंकी को भरने के लिए ट्यूबवैल चाहिए। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 15–18 साल पहले गाँव का सर्वे हुआ जिसमें एन0सी0, पी0सी0 और एफ0सी0 गाँवों का चयन किया गया था पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। अब उन्नतीस हजार नौ सौ छियत्तर गाँव एफ0सी0 दिखाए गये हैं यानी उनमें पेयजल की व्यवस्था ठीक है जबकि आज स्थिति यह है कि इन आधे से अधिक गाँवों में पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वजल योजना के अन्तर्गत मात्र 30 गाँवों का चयन किया गया है जहाँ पानी की कमी है जबकि स्थिति ऐसी है कि पानी की समस्या पूरे राज्य में गम्भीर है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एन0सी0, पी0सी0 तथा एफ0सी0 गाँवों का पुनः सर्वेक्षण करवाया जाए। यह जो आंकड़े यहाँ पर दिखाये जा रहे हैं वह बस आंकड़ों का खेल है। मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मेरे अपने क्षेत्र में घाट पम्पिंग योजना थी इससे 100 गाँवों को पेयजल उपलब्ध होता आज स्थिति यह है कि वहाँ पानी की पूर्ति बिल्कुल नहीं हो रही है।

मान्यवर, जो विधायक निधि पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी, आज उस पर रोक लगा दी गयी है। विधायक निधि के जो मानक हैं, उसके अनुसार जब आचार संहिता लागू हुई थी, उससे पहले ही योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी थी। आचार संहिता समाप्त होने पर भी हमारी विधायक निधि में रोक लगी हुई है।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, विधायक निधि पर लगी रोक हटा ली गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अगर ऐसा कर दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। सभी विधायकों का

यह दायित्व है कि योजना की स्वीकृति डी0आर0डी0ओ0 को जारी करे और डी0आर0डी0ओ0 से वह कार्यदायी संस्था को चली जाती है। हमने आचार संहिता लगने से पहले स्वीकृति दे दी थी और पैसा भी रिलीज कर दिया था, अब उसके बाद बीच में कहीं देर हो गयी हो, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी जानी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अभी माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि विधायक निधि का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। तो, मैं यह बता दूं कि इस सम्बन्ध में 6 तारीख को शासनादेश जारी कर दिया गया है कि विधायक निधि के रूके हुए काम को फिर से शुरू कर दिया जाए। माननीय त्रिपाठी जी शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए, मैंने कहा कि हमारे यहाँ 31008 बस्तियां हैं, जिनमें से 29600 बस्तियों में किसी न किसी योजना के अन्तर्गत पानी पहुँचाया जा चुका है और 17 गाँव गैर आबादी वाले हैं। मान्यवर, आपने पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कही, पेयजल योजनाएं जो जन प्रतिनिधियों द्वारा शुरू की जाती हैं, वह भ्रष्टाचार के कारण जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं। हमने पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्षेत्र के बुजुर्गों को मिलाकर एक को–ऑर्डिनेट कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसके द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी कालीमठ जाने का अवसर मिला था और कुछ अधिकारी भी मेरे साथ थे, मैंने वहाँ पर मन्दिर की ओर इशारा करके कहा था कि कसम खाइये कि त्याग और तपस्या से इस बने हुए राज्य में पैसे की हवस को त्यागते हुए इसमें गुणवत्ता लायें। यह बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि इसकी गुणवत्ता में हमने कुछ सुधार अवश्य किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी गुणवत्ता भविष्य में 100 फीसदी लाने का प्रयास करेंगे। आपने पम्पिंग स्कीम की बात कही। डेढ़ साल में कई प्रकार की चर्चाएं आपने सुनी होंगी। यदि योजना पानी उपलब्ध नहीं कराएगी, अगर यह बहती है तो इसका सारे का सारा खामियाजा अधिशासी अभियन्ता को भुगतना होगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जितने भी यहाँ पेयजल के लिए हैण्ड पम्प लगे हैं उन्हें उखाड़ कर देख लिया जाए वे 30 फुट से ऊपर हैं ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इसके बारे में मैं यहाँ सदन के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि किसी एक हैण्ड पम्प की गहराई में भी फर्क होगा इन 3 महीनों में तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को सस्पेन्ड कर दिया जाएगा और उससे रिकवरी भी करायी जाएगी। आपने कहा कि बहुत से स्रोतों में कमी आती जा रही है। आपको बता दूं कि अभी एक वर्ल्ड बैंक की टीम आयी थी और उन्होंने कहा था कि हम योजनाओं को पैसा उपलब्ध कराना चाहते हैं। उनसे हमने कहा कि हमारे यहाँ का जो जल स्रोत कम होता जा रहा है आप उसके लिए क्या व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। और हमने कहा कि हम उन्हीं योजनाओं को लेंगे जिनकी सोर्स पर 15–20 साल तक पानी चलेगा। लेकिन इन सोर्सेस की स्थिति भी बड़ी विकट है, क्योंकि हमारे यहाँ भू–स्खलन की वजह से दरारें पड़ जाती हैं और हमारे स्रोत बहुत

नीचे चले जाते हैं। श्री ऐरी जी ने प्रश्न उठाया था कि क्या भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं क्या हम उनसे समन्वय बना रहे हैं या नहीं। मैं आपको बता दूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था केन्द्र में पेयजल मंत्री से बात करने का और हमने कहा था कि भू-स्खलन के कारण हमारे स्रोत नीचे चले गए हैं इसके साथ ही यह भी कहा कि जो 3582 योजनाएं हैं उनके रख-रखाव के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें कन्वेन्स करने का हमारा प्रयास था। और इसे उन्होंने स्वयं सहर्ष स्वीकार भी किया। सचिव, ग्रामीण विकास और सचिव, पेयजल पाण्डा जी भी उड़ीसा के रहने वाले हैं और मैंने कहा कि आप भी उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसके माध्यम से आप कुछ लाइये, अतिरिक्त लाइये। वे शीघ्र ही इस क्षेत्र का दौरा करने आ रहे हैं, वे इस क्षेत्र में यहाँ कुछ दिशा देंगे, कुछ घोषणा करेंगे ऐसी हमें आशा है। मान्यवर, धन का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।

मान्यवर, आपने कहा कि इसमें दो-दो बार जांच हुई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आप विश्वास रखें इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। अब वो समय निकल गया है जब कुछ नहीं होता था। आपने जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण की बात कही। मैं मानता हूँ कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण न होने की वजह से गुणवत्ता में कमी आती है। हमने इनके एकीकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह पेयजल संकट का समय है। इसलिए हमने इसे जानबूझ कर लेट किया है। मानसून के बाद इसे किया जायेगा। मान्यवर, आपने पी0टी0सी0 का मानदेय बढ़ाने की बात कही कि कुमायूँ में 250 रुपये मिलता है और यहाँ 450 रुपये मिलता है। मान्यवर, इसके लिए हमने आदेश कर दिया है, लेकिन इनके नियमितीकरण में परेशानी है। इनको महीने में कभी-कभी काम के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से इनके नियमितीकरण में दिक्कत आ रही है। माननीय विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने वर्कचार्ज कर्मचारियों के मानदेय के सम्बन्ध में बात कही। इससे मैं सहमत हूँ। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, जो वर्कचार्ज के कर्मचारी हैं इन्हें जल निगम, जल संस्थान, पी0डब्ल्यू0डी0 आदि विभागों में अलग-अलग मानदेय दिया जाता है। इसमें एकरूपता लायी जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने झीलों की सफाई की बात कही। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था करवा दी गई है। इस कार्य को बहुत ठीक ढंग से किया जा रहा है। आपने आशंका व्यक्त की थी कि कहीं इसमें भ्रष्टाचार न हो जाये। मैं इसके लिए माननीय जन्तवाल जी को अधिकृत करता हूँ। जो रिपोर्ट वे भेजेंगे, उसे गम्भीरता से लिया जायेगा। इसे भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जायेगा। माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने केन्द्र सरकार से समन्वय की बात कही है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि इस पर हमें गम्भीरता से ध्यान देना होगा। यूनिसेफ की रिंग मशीनें भी अभी हमें नहीं मिल पाई हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो हिस्सा छूट गया है, वह तो हमें मिलने से रहा। बी0पी0एल0 समूह की बात आपने कही। इससे मैं भी सहमत हूँ। हमारे यहाँ जनसंख्या बिखरी हुई है।

10 बी0पी0एल0 व्यक्तियों को एकत्रित करने में परेशानी होती है। इस संख्या को 5–7 किया जायेगा। मान्यवर, बी0पी0एल0 सर्वे में बहुत से लोग छूट गये हैं।

हमारे पत्थर के मकान सीमेण्ट के नहीं बनते हैं हमने उनसे कहा कि इन्हें कच्चे मकान के रूप में आप दीजिए। जब वह दोबारा सर्वे करेंगे तो कुछ लोग जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हुए थे वह सम्मिलित हो जायेंगे। माननीय ऐरी जी ने भ्रष्टाचार की बात कही। आज हमारे किसी भी विकास खण्ड में जिला पंचायत में, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है तो हमने जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सी0डी0ओ0 और डी0डी0ओ0 से कह दिया गया है कि यह आपका टेस्टिंग पीरियड है। पिछले के मुकाबले इसमें गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। हम सही दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। माननीय सदस्य ने 58 रु0 की बात कही चाहे वह पांच किलो गेहूँ ले ले या चावल ले ले। इसमें भी गुणवत्ता की बात कही गयी। हम गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह खाद्यान्न भारत सरकार से आता है मैं अजय भट्ट जी से अनुरोध करूँगा कि वह अपने खाद्य मंत्री जी को कहें कि सही गेहूँ हमारे यहाँ भिजवाने की कृपा करें। एन0जी0ओ0 की बात कही गयी है जो चिन्ता आपने व्यक्त की है उससे हम अपने को भी जोड़ते हैं इसमें हम कुछ अवश्य करेंगे। आपने यह भी कहा कि पांच हजार इन्दिरा आवास बहुत कम हैं इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे लोग आवास विहीन हैं मैं भी निरन्तर लगा रहता हूँ और अपने सचिव से भी कहता हूँ इसमें कुछ करिये। हमारी कोशिश जारी है। पी0डब्ल्यू0डी0 के कन्सट्रक्शन की बात कही गयी। पिछली बार तीस करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ था उसमें से 19 करोड़ रु0 खर्च हुए हैं। हमें 2007 तक उन तमाम गाँवों को फीड करना है और सड़क पहुँचानी है अगर पौने दो करोड़ रु0 प्रतिवर्ष के हिसाब से हम काम करेंगे तो 2007 तक हम फीड कर पायेंगे। अगर 19 करोड़ रु0 और 25 करोड़ रु0 के फेर में हम रह जायेंगे तो हमारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। 2007 तो क्या हम कई वर्षों तक इसे पूरा नहीं कर पायेंगे। जहाँ तक पी0डब्ल्यू0डी0 की क्षमता का सवाल है पहले एक पी0आई0ओ0 होता था अब दो कर दिया है। हम चाहते हैं कि जो एस0ई0 है उसको पी0आई0ओ0 बना दें, तो इससे काफी कुछ काम हो जाएगा उस जिले में और कार्यों की भी जांच सही ढंग से हो सकेगी। कन्सल्टेन्ट की बात कही गयी हमने अभी एक निर्देश जारी किया है कि सबसे पहले हम पी0डब्ल्यू0डी0 को प्रायरिटी देंगे उसकी क्षमता के बाद जो काम बच जाएगा और जिस पैसे का वह इस्तेमाल वे नहीं कर पायेंगे उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए इन एजेन्सियों से काम करवायेंगे। हम पी0डब्ल्यू0डी0 के कार्यों को बाधित नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, पी0डब्ल्यू0डी0 की क्षमता के अनुसार देना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मदन कौशिक जी ने प्राधिकरण के बारे में बहुत कुछ कहा। मान्यवर, 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है अर्द्धकुम्भ के लिए। मान्यवर, आपने कहा कि जो योजना जल निगम द्वारा निर्गत होती है उन्हें दे दिया जाता है। मान्यवर, आपका यह प्रस्ताव भी अच्छा है इसमें निश्चित रूप से कोशिश की जायेगी। माननीय अजय भट्ट जी ने एन0जी0ओ0 के बारे में कहा, इसमें राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप करने की बात की गई है। शायद पिछला अनुभव आपका रहा हो जिसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, जिसमें आपके कार्यकाल में एक इन्क्वायरी बैठी थी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो

भी प्रक्रिया एन0जी0ओ0 के माध्यम से है, उस योजनाओं के प्रति जवाबदेह के लिए एक योजना है जिसके माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि जो राजनीतिक लोग एन0जी0ओ0 चला रहे हैं और फिर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में कह रहे हैं सरकार ने नहीं किया बल्कि मैं यह स्वजल योजना लाया हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपका प्रस्ताव अच्छा है। ठीक है, उसको अलग करने की हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर, यह बिन्दु महत्वपूर्ण है और वही काम किया जायेगा जो आप चाह रहे हैं। मान्यवर, एक बात और आपने पूछी थी कि जो बीमा राशि है उसको प्रारम्भिक रूप में हम करने जा रहे हैं। 50 परसेण्ट स्वजल करेगा और 50 परसेण्ट जो लाभान्वित होंगे वह करेंगे। मान्यवर, आपने हैण्डपम्प का जिक्र किया था।

मान्यवर, आपने हैण्डपम्प के बारे में कहा यह जानकर आपको खुशी होगी जहां जरूरी होगा, जहां पानी की किल्लत है, वहां के लिए हमने पैसा उपलब्ध कराया है यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप बताने का कष्ट करें, उसके लिए पैसा स्वीकृत हो जायेगा।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, कुम्भ क्षेत्र की बात आयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम पड़ता है, कुम्भ के दौरान इन स्थानों पर अस्थाई पुल की व्यवस्था की जाती है, मान्यवर, मैं चाहती हूँ इस बार इन पुलों को स्थाई बनाने का कष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अर्द्धकुम्भ में इस बार जितने भी कार्य होंगे उनमें हम कोशिश करेंगे 80–90 प्रतिशत कार्य स्थाई हों। स्वर्गाश्रम से थोड़े आगे ज्यूंग गाँव पड़ता है। मैं चाहता हूँ इस गाँव तक सड़क जाये। आपके क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। माननीय श्री हरबंस कपूर साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि बीजापुर कैनाल स्वीकृत है इस पर कोई भी कार्यवाही इन तीन महीनों से पहले नहीं हुई है मैंने व्यक्तिगत प्रयास करके दो–चार अधिकारियों से मिला सबने अच्छी रिपोर्ट दी है, इस पर हमने चार ट्यूबवैल स्वीकृत किए हैं। (व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो नये क्षेत्र नगर निगम में जुड़े हैं।

मान्यवर, पिछले साल डी0एल0 रोड और खुडबुड़ा और लक्ष्मण चौक में तीन ट्यूबवैल स्वीकृत हुए थे उन पर कार्य नहीं हुआ। दूसरा यह कि प्राधिकरण के सम्बन्ध में निवेदन किया जो नजूल की भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए 1999 में पैसा जमा किया था वह अभी तक पूरे नहीं हो पाये उसे पूरा किया जाय। सफाई कर्मचारियों जो

नगर निगम के मानक के अनुसार होना चाहिए। सीवर ट्रीटमेंट प्लान के लिए जो चौथाई क्षेत्र है वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लान न होने के कारण वह गंदगी, नाले और खाले में जा रही है इससे महामारी फैल सकती है, इसे जल्द से जल्द किया जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने नजूल भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित की बात कही, वर्ष 1999 में कुछ लोगों ने पैसा जमा कर दिया उसकी प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं हुई, इसको तत्काल दिखवा लिया जायेगा, अगर कोई प्रकरण लम्बित होगा तो उसमें टाइम बाण्ड फिक्स करके, अगर वह सभी औपचारिकतायें पूरी करते हैं तो, उनको एक महीने के अन्दर निस्तारण कर दिया जायेगा। जहाँ तक आपने सफाई की बात कही हम तो भ्रष्टाचार को सफा करते हुए इसको भी दिखवा लिया जायेगा। मैं चाहूँगा श्री हरबंस कपूर, त्रिपाठी जी, काशी सिंह ऐरी जी, श्री पंत जी, श्री भट्ट जी, श्री कौशिक जी, श्री विजय बड़थ्वाल जी आप सभी लोग यह कोशिश करें जैसे सुबह पानी बरसा मुझे बड़ी खुशी हुई, अब हम चाहते हैं कि शाम का भोजन यहाँ है और आप भी बरस जायें और आप अपनी कटौती वापस ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण/अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19 ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2164261 हजार (दो सौ सोलह करोड़ बयालीस लाख इकसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19 ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1456621 हजार (एक सौ पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20 सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1488299 (एक सौ अड़तालिस करोड़ बयासी लाख निन्यानब्बे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

उत्तरांचल राज्य का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः पर्वतीय है तथा इस क्षेत्र में देश की प्रमुख नदियों का उद्गम हिम आच्छादित क्षेत्र से है। विश्वविख्यात गंगोत्री एवं यमनोत्री स्थल से होते हुए क्रमशः गंगा एवं यमुना की पवित्र धारायें उत्तरांचल राज्य एवं निकटवर्ती राज्यों की जीवन रेखा है। इसी प्रकार कुमाऊँ क्षेत्र में मुख्यतः शारदा नदी का उद्गम है। गंगा, यमुना एवं शारदा नदियों में उत्तरांचल की सीमा में अनेकों छोटी–बड़ी नदियां एवं नाले आदि मिलते हैं तथा इन नदियों के निस्तारण में बहुमूल्य योगदान करते हैं। इस प्रकार से उत्तरांचल अनेकों छोटे–बड़े नदी–नालों से घिरा हुआ है जिसके जल प्रवाह में अपार विद्युत शक्ति एवं सिंचन क्षमता प्राप्त होती है।

उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी से ऊपरी गंगा नहर प्रणाली जनपद हरिद्वार से लगभग 150 वर्ष निकाली गई थी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खुशहाली का प्रतीक है। गंगा नहर प्रणाली से पूर्व जनपद देहरादून में सिंचन हेतु दून नहर प्रणाली क्रमशः बमुना, टौंस, रिस्पना, सौंग तथा जाखन नदियों से निकाली गई जो आज भी इस जनपद में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल क्षेत्र के जनपद रूद्रप्रयाग में अधिकतम ऊँचाई पर स्थित लस्तर नहर एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न नहरों द्वारा सिंचन कार्य सफलतापूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार से कुमाऊँ क्षेत्र में कोसी नदी से कोसी फीडर नहर एवं गोला नदी से गोलापार एवं गोलावार नहर प्रणाली से सफलतापूर्वक सिंचन कार्य हो रहा है।

गैर मानसून काल में सिंचन कार्य हेतु जल की कमी लगातार अनुभव की जा रही है तथा भूगर्भीय जल स्तर भी लगातार गिर रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए बांधों एवं जलाशयों का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है। कुमाऊँ क्षेत्र में अनेकों जलाशयों यथा बेगुल, धौरा, नानक–सागर, हरिपुरा एवं तमुढिया जलाशयों का निर्माण किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र में कालागढ़ बांध निर्मित है तथा टिहरी बांध निर्माणाधीन है। इस दिशा में कुमाऊँ एवं गढ़वाल क्षेत्र में अनेकों अन्य बांधों की आदर्श भौगोलिक स्थिति है जिसमें मुख्यतः जमरानी, लखवाड़–व्यासी, किशाऊ उत्यासू एवं कोटली नहर बांध हैं। इन बांधों से न केवल सिंचन क्षेत्र में वृद्धि होगी अपितु देश को भयंकर पेयजल की किल्लत से राहत मिलेगी तथा अपार जल शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन में सहायक होगा।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में मुख्यतः नहरों, नलकूपों तथा लघु डाल नहरों का निर्माण एवं रख–रखाव होता है। उत्तरांचल राज्य में कुल 2125 नहरें, 676 नलकूप तथा 85 लघु डाल नहरें निर्मित हैं जिसमें वर्तमान में 1733 नहरें, 615 नलकूप एवं 74 लघु डाल नहरें चालू स्थिति में हैं। शेष बन्द नहरें, नलकूपों एवं लघु डाल नहरों को शीघ्र ही चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा सिंचन कार्य के अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण एवं निर्मित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के रख–रखाव का कार्य भी सम्पादित किया जाता है जिससे जनमानस को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिल सके। यह उल्लेखनीय है कि नदियों में खनन का कार्य वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा तथा शेष भाग में राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है जबकि यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना अत्यधिक उपयुक्त होगा क्योंकि सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण कार्य में दक्ष है एवं नियंत्रित खनन कराकर न केवल सिंचाई विभाग नदियों पर निर्मित अपनी संरचनाओं को सुरक्षित रख सकता है बल्कि इस प्रकार से कार्य करा सकता है कि बाढ़ आने पर कटाव किनारे पर न होकर नदियों में मुख्य प्रवाह बीच में ही बना रहे और नदी का तल बिना किसी कारण के ऊँचा न हो जिससे प्रत्येक वर्ष मानसून काल में जल स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि न होने पाए। इसी प्रकार खनन कार्य की आय से सिंचाई विभाग बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने में स्वयं सक्षम होगा और बाढ़ निरोधक परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता भी उत्पन्न नहीं होगी। यह बिन्दु नीतिगत है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सिंचाई विभाग का योगदान जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल निर्माण कार्य में अत्यधिक प्रशंसनीय रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में अनेकों जल विद्युत परियोजनाओं यथा छिबरो, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल, खारा, तिलोथ, चीला तथा कालागढ़ आदि विद्युत गृह इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। इसी दिशा में अब उत्तरांचल सिंचाई विभाग मनेरी भाली चरण–द्वितीय जल विद्युत परियोजना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।

सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं से सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में अनेकों विभाग लाभान्वित होते हैं जिनमें मुख्यतः विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशु पालन विभाग तथा मत्स्य पालन विभाग आदि प्रमुख हैं। सिंचाई विभाग में बांधों एवं हैडवर्क्स का विकास होने से वे रमणीक स्थल बन जाते हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र होते हैं। इस प्रकार से पर्यटन विभाग भी सिंचाई विभाग के कार्य से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है।

उत्तरांचल राज्य में असीमित जल सम्पदा होने के कारण सिंचन एवं विद्युत उत्पादन के दोहन करने के पश्चात् उत्तरांचल राज्य के विकास में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। सिंचाई विभाग के कार्यों से अन्य विभाग लाभान्वित होने के कारण प्रदेश के बहुमुखी विकास एवं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि से भी सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सिंचाई विभाग उत्तरांचल विकास में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेगा।

श्री अध्यक्ष–

सब लोग इससे सहमत हैं, कृपया पास करा लें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं आप सबका सहयोग इस विभाग की महत्ता को देखते हुए वांछनीय माँगता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस विभाग के बजट को पास करने में और आगे भी योजनाओं में सार्थक सिद्ध होगा।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 20, सिंचाई तथा बाढ़ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, सिंचाई और बाढ़ का बजट जब सामने आया तो मन में बड़ी खुशी की लहर आयी, इस बजट के अन्दर अपना उत्तरांचल प्रदेश जो यह पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हमारे जो मुख्य विकास के आधार हैं वह काश्त से जुड़ी हुयी है। और इसकी प्रमुख भूमिका सिंचाई से है। वर्तमान में सारी नहरें बन्द पड़ी हैं और नई नहरों का कोई बजट नहीं है, बजट में जो 4 नहरें हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे धान की पौध सूख गयी है। आपके सामने जिक्र आया, और आपने स्वयं कहा कि मात्र ढाई जे०ई० हैं यहाँ पर। स्टाफ नहीं है और विगत वर्षों में इतनी बाढ़ आयी कि सारी नहरें बहकर नष्ट हो गयी। वर्तमान समय में छोटी–छोटी गूलें भी नहीं बन रही हैं। छोटी नहरों का जो निर्माण किया जाता था अब वह नहरें भी नहीं बन पा रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि वर्तमान समय में जो बाढ़ के दृश्य से गंगा, नैटवाड़ तमाम बहकर सारे खेतों का कटाव हो रहा है और इसके साथ ही नदी–नाले गहराई में चले गए हैं और सारी नहरें बन्द पड़ी हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार से नहरों को चलाने के लिए शीघ्र व्यवस्था की जाए ताकि रोपाई का समय है। आई०बी०पी० के अन्तर्गत जो साढ़े सात करोड़ का बजट दिया गया है, इसमें बजट की व्यवहारिकता को देखते हुए, लेकिन इसमें जो मानक रखा गया है 5 कि०मी० रेडिएन्स बढ़ने वाली नहरें। यह पहाड़ों के हिसाब से नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसमें लचीलापन लाया जाए और किसी भी तरह से छोटी–छोटी गूलों को बनाने के लिए व्यवस्था की जाए क्योंकि पहाड़ों में बेरोजगार काश्तकार हैं और बेरोजगार जो पढ़े–लिखे साथी हैं।

मान्यवर, वे बेमौसमी का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बिना सिंचाई के फसल को नुकसान हो रहा है। माँ–बेटी अपना खून बहाती हैं और जब बारिश नहीं होती है तो फसल सूख जाती है, चौपट हो जाती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। परसों पीठ से निर्देश हुए थे कि विधान भवन में हुए अग्निकांड की जांच के लिए एक संयुक्त जांच समिति बनेगी।

श्री अध्यक्ष–

आज इसकी घोषणा हो जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 4 ऐसी नहरें हैं जो लम्बे समय से चल रही हैं, लेकिन मान्यवर, उन नहरों से सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है। मैं इनके नाम बता देता हूँ। यदि मान्यवर, आप सहमत हों तो मैं लिख कर दे दूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारे यहाँ कादर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। मैं इसकी सूचना लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दूँगा। कृपया इस ओर भी ध्यान दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पेयजल व्यवस्था से यह समझा जाता है कि पेयजल व्यवस्था केवल इंसानों के लिए बनाई गई है। मान्यवर, जानवरों के लिए भी पेयजल व्यवस्था उतनी ही जरूरी है जितनी इन्सान के लिए जरूरी है। मान्यवर, कई नहरें ऐसी हैं, जिनकी 8–10 सालों से सफाई नहीं हुई है। जिस कारण ये नहरें बन्द हो गई हैं। इससे जानवरों और पक्षियों को बहुत परेशानी हो रही है और सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। जो सिंचाई अधिकारी हैं वे यह कहते हैं कि इस नहर के कमांड क्षेत्र में आपका खेत आता है इसलिए आपको इरीगेशन चार्ज देना होगा। हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है ऊधमसिंह नगर में। एक बार अमेरिका से यह राय ली गई थी कि यहाँ बाढ़ बहुत आती है इसके लिए क्या व्यवस्था की जाये। मान्यवर, हमारे यहाँ कई बड़े–बड़े डैम बने हुए हैं और इनका जो मकसद था कि बारिश में, जब तेजी से पानी आता है तो उसे इन डैम में रोक लिया जायेगा और इससे नहरें निकाली जाएंगी जिससे सिंचाई की जायेगी, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इसमें पानी के साथ मिट्टी भी आती है। इसलिए इनकी समयबद्ध सफाई कराना अति आवश्यक होगा।

मान्यवर, न वह रिपोर्ट उपलब्ध है और न उसकी खुदाई की कोई व्यवस्था है। लेबल ऊँचा उठता चला जा रहा है, थोड़ा पानी आने पर भी वह टॉप लेबिल पर चला जाता है। सिंचाई विभाग वालों को जब खतरा लगता है तो वह बांध को खोल देते हैं चूँकि आगे आबादी है और वहाँ पानी भर जाता है इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। और इन नहरों की जिस गहराई तक खुदाई की जानी आवश्यक है वह की जाए। क्योंकि इसके लिए आपने बजट में पैसा नहीं रखा है इसलिए मान्यवर, मैंने जो कहा इसकी ओर आप अवश्य ध्यान देंगे।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो व तीन बातें कहना चाहता हूँ। सिमली–सेनू नहर पचास साल पुरानी है। सिमली–सैलेश्वर मोटर मार्ग बनने के कारण यह नहर क्षतिग्रस्त हो गयी है। क्या इसका मुआवजा पी०डब्ल्यू०डी० ने सिंचाई विभाग को दिया है इसकी जांच आप करें। इसी तरह से गोचर में मट्ट नगर पम्पिंग सैट है। जो दो–चार दिन में खराब हो जाता है। गोचर की बहुत उपजाऊ भूमि है इसलिए इसके लिए ठोस नीति बनाई जाए। वर्ष 2001–2002 में आपने नई नहरों के बारे में जो जिक्र किया है उसमें आपने चमोली जनपद के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है। रुद्रप्रयाग और चमोली काफी पिछड़ा जिला है इसलिए यहाँ पर नई नहरों के निर्माण की व्यवस्था की जाए।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं इस महत्वपूर्ण बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बजट अभी तक आया है इस बजट में 2 तटीय चिन्तनों का थोड़ा अभाव है। मान्यवर, इसमें शहरी मदों पर ज्यादा महत्व दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के मदों पर कम महत्व दिया गया है।

मान्यवर, बजट में विशेष योगदान दिया जाना चाहिए था उनको। मान्यवर, मेरे यहाँ धान के तमाम पौधे सूख गये, उसमें जो नहरें बनी थी उनके रख–रखाव की रक्षा पिछली सरकार ने नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि इस बजट में इसके रख–रखाव की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो अनुपयोगी भूमि है उनको सिंचाई के लिये उपयोगी बनाया जाये।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मान्यवर, सरकार यह महसूस करती है कि जल जीवन है और जिन्दा रहने की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है। मान्यवर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ रहे थे तो हम सब को उनके भाषणों में उत्तरांचल प्रदेश का समग्र विकास दिख रहा था।

मान्यवर, उत्तराखण्ड के साथ–साथ देश को हम क्या दे सकते हैं। मान्यवर, जो योजनाएं उत्तराखण्ड में प्रस्तावित हैं उनका सम्बन्ध देश के समग्र विकास से है, देश की तमाम योजनाओं के लिए यहाँ का पानी जनरेट होगी, वह पूरे देश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करेगी। माननीय तिवारी जी के भाषण में विश्वबंधुत्व और राष्ट्र प्रेम की झलक देखी होगी। आज चिंता इस बात की है कि जो जल स्रोत थे वे सूखते चले जा रहे हैं। सिंचाई की नहरें और पुल सब छित–विछित हो गयी हैं। हिमालय क्षेत्र में वनों के दोहन के कारण बर्फ भी कम होती जा रही है, यह एक गम्भीर समस्या है, निःसंदेह पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नहरों और नलकूपों के सुधार के लिए हमको सुझाव मिले मैं उनका स्वागत करता हूँ इस पर कार्यवाही होगी। अन्त में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20, सिंचाई तथा बाढ़ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20, सिंचाई तथा बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1488299 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ बयासी लाख निन्यानब्बे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ऊधमसिंह नगर की ग्राम सभा गिधोर देवीपुर, आस्ता, विही चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीर पीराडांया, पीलापानी जाने वाली सड़क तथा इससे सम्बन्धित पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ "इस सदन का सुनिश्चित मत है" कि ऊधमसिंह नगर की ग्राम सभा गिधोर देवीपुर, आस्ता, विही चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीर पीराडांया, पीलापानी जाने वाली सड़क तथा इससे सम्बन्धित पुलिया का निर्माण कराया जाय।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ब्लॉक सितारगंज में ग्राम गिधोर, देवीपुर, ऐंवता, विही एवं इन ग्रामों के मजरे चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, इत्यादि नानकसागर बांध/जलाशय के अपस्ट्रीम में जंगल की ओर बसे हैं। इन ग्रामों के एक ओर नानकसागर जलाशय एवं दूसरी ओर आरक्षित वन क्षेत्र आता है। नानकसागर बांध के बंधे अपस्ट्रीम में जीरो बिन्दु से उपरोक्त ग्रामों हेतु प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 4 कि0मी0 होगी जिसका समरेखण आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ता है। इसके अतिरिक्त कामन नदी पर 60 मीटर स्पान पुल का निर्माण भी आवश्यक होगा समरेखण आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ऊधमसिंह नगर की ग्राम सभा गिधोर, देवीपुर, आस्ता, विही, चैतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीराडांया, पीलापानी जाने वाली सड़क तथा इससे सम्बन्धित पुलिया का निर्माण कराया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत् सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 में कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री नारायण सिंह जंतवाल जो उत्तरांचल राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रक की स्थायी नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है जिसे नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया और श्री हरबंस कपूर की जो जनपद देहरादून में कोद्रों में अरबों रुपये के लागत से बने सिंचाई विभाग के भवनों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत की जाती है।

विधान सभा मण्डप की लॉबी में हुए अग्निकाण्ड की जाँच हेतु सर्वदलीय जाँच समिति का गठन

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा मण्डप की लॉबी में हुए अग्निकाण्ड के विषय में दिनांक 10 जून, 2002 के उपवेशन में हुई चर्चा के उपरान्त मेरे द्वारा एक सर्वदलीय जाँच समिति गठित किए जाने की घोषणा की गई थी। तद्नुसार अपनी अध्यक्षता में मेरे द्वारा निम्नलिखित रूप में समिति गठित की जाती है:–

1–डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश, संसदीय कार्य मंत्री।

2–श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य विधान सभा।

3–श्री नारायण पाल, सदस्य विधान सभा।

4–श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा।

5–श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य विधान सभा।

6–श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा।

7–श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा।

8–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल, सदस्य विधान सभा।

उपर्युक्त समिति राजधानी निर्माण में हुयी कथित अनियमितताओं तथा दिनांक 6 जून, 2002 को विधान सभा मण्डप में हुए अग्निकाण्ड के कारणों की जांच कर 60 (साठ) दिन की अवधि में अपना प्रतिवेदन तैयार करके उसको आगामी सत्र के प्रथम उपवेशन के सदन में प्रस्तुत करेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

ऊधमसिंह नगर में 2000 के0एल0सी0 की 1987 में स्वीकृत पेयजल योजना के सम्बन्ध में डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का वक्तव्य

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत यह अवगत कराया है कि जसपुर विधान सभा में 2000 के0एल0 की एक करोड़ सड़सठ लाख रुपये की पेयजल योजना 1987 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना के तहत पानी का टैंक 10 वर्ष पहले ही बन चुका है किन्तु 10 वर्ष बाद भी उस टैंक का उपयोग नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जसपुर पुनर्गठन पेयजल योजना फेज–1 अनुमानित लागत रु० 179.89 लाख में 2000 कि०ली० अवर जलाशय का निर्माण 5 वर्ष पूर्व किया गया था। पेयजल योजना में अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति विगत एक माह से की जा रही है। इस प्रकार निर्मित जलाशय का उपयोग प्रारम्भ हो गया है।]

पंजीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया है कि उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व से ही प्रशिक्षित डिप्लोमा फार्मासिस्ट, पूर्व सरकारों की उपेक्षा पूर्ण नीतियों के कारण बिना रोजगार के तरस रहे हैं। समस्त पंजीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों को 10 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुये 550 पदों को पूरित किये जाने की विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 04–09–2000 को निकाली गयी थी किन्तु उत्तरांचल के अस्तित्व में आने पर उक्त पद के पात्र अभ्यर्थी अभी तक पद पाने से वंचित हैं।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उत्तरांचल राज्य गठन के पूर्व अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय द्वारा फार्मासिस्टों के पदों हेतु सितम्बर, 2000 में विज्ञापन निकाला गया था। चूँकि इन पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष, 1991 में कराये गये चयन के उपरान्त कोई विज्ञापन नहीं किया गया था। अतः इस बीच अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी, इन पदों पर उत्तर प्रदेश में मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चयन कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है।

उत्तरांचल में कुल 398 फार्मासिस्टों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 71 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को नियमानुसार भरे जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

उत्तरांचल :
दिनांक : 12 जून, 2002

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 विधान सभा/121–09–07–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।